(1)

राजस्थान विधान-सभा की कार्यवाही का वृत्तांत

अंक 2] सप्तम् विधान सभा के द्वितीय सत्र का सैंतीसवां दिवस [संख्या 22

शनिवार,

दिनांक 28 मार्च, 1981

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :

वे प्रस्ताव जो राज्य सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे जा रहे हैं और जिन्हें स्वीकृति नहीं दी जा रही है :—

(1) **श्री नन्दलाल मीणा व श्री गुलाबचन्द कटारिया**: धरियावद जिला उदयपुर की पुलिस द्वारा जनवरी, 1981 में एक निर्दोष व्यक्ति को शराब रखने के आरोप में गिरफ्तार करके बाद में छोड़ देने के विषय में।

(2) **श्री हीरालाल आर्य व श्री दाऊदयाल जोशी**: पीपल्दा व सुल्तानपुर क्षेत्र में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अनेक पद रिक्त पड़े हुए हैं, इस विषय में।

(3) **श्री बालचन्द्र आर्यवीर व श्री अनंग कुमार** : भवानीमण्डी कस्बे में मोटर स्टेण्ड नहीं होने से यात्रियों को असुविधा।

(4) **श्री उम्मेदसिंह** : ग्राम माना व आसपास के गांवों में गत 19 मार्च को ओलावृष्टि से हुए नुकसान के विषय में।

(5) **श्री चुन्नीलाल व श्री हंसराज शर्मा** : सवाईमाधोपुर में खाद का कारखाना स्थापित करने के विषय में।

(6) **श्री गोपाल पचेरवाल** : केशोरायपाटन जिला बून्दी में बाबा मक्केशाह की दरगाह की मरम्मत की आवश्यकता के विषय में।

(7) **श्री बंशीलाल पटवा** : थाना तलाई, नेहरू रोड शास्त्री नगर, जवाहर खेड़ा आदि में कृषि भूमि पर बने मकानों को सरकार द्वारा नियमित न करने के विषय में।

(8) **डा. उजला अरोड़ा** : गत 25 की रात को खजाने वालों के रास्ते में एक दुकान से करीब 20 हजार रुपयों की चोरी के विषय में।

इनके अतिरिक्त अग्रांकित स्थगन प्रस्ताव की सूचना भी प्राप्त हुई है :—

(2)

(श्री अध्यक्ष)

(1) श्री रामकंवार बैरवा : चाकसू स्थित 20 वर्ष पुराने हाई स्कूल को क्रमोन्नत न करना।

(2) श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय मुख्य मंत्री के द्वारा प्रधान मंत्री को कथित त्याग-पत्र भेजना।

ये स्थगन प्रस्ताव के विषय नहीं हैं और माननीय सदस्यों को इन पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

(3) श्री कैलाश मेघवाल : अजमेर नगर परिषद् क्षेत्र के 30 गांव अकाल की चपेट में आने के विषय में।

राज्य में अकाल के विषय पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं। इस प्रस्ताव को आवश्यक कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को भेजा जा रहा है।

(1) श्रीमती उजला अरोड़ा, सर्वश्री भंवरलाल शर्मा व गुलाबचंद कटारिया सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर में मिट्टी का तेल, चीनी, गेहूं आदि के संकट के विषय में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई थी। इस संबंध में एक ध्याना-कर्षण प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ था।

इस पर सदन में दिनांक 31 मार्च, को सरकार की ओर से एक वक्तव्य दिया जायेगा।

(2) श्री हीरालाल आर्य की ओर से पीपल्दा क्षेत्र में वन विभाग द्वारा किसानों की बेदखली के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई थी।

इस विषय पर दिनांक 3 अप्रेल, 1981 को सरकार की ओर से वक्तव्य दिया जायेगा।

(3) श्री देवीसिंह भाटी सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर की कच्ची बस्तियों में पेयजल की कमी के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई थी। इसी विषय पर एक अन्य माननीय सदस्य का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार किया गया है जो सदन में 31 मार्च को लाया जायेगा, माननीय सदस्य उस समय इस पर चर्चा कर सकते हैं और मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

व्यवस्था का प्रश्न

मुख्य मंत्री के त्याग पत्र सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा नियम 52 के अन्तर्गत एक व्यवस्था का प्रश्न है। उसमें इस प्रकार के ग्राउंड्स दिये गये हैं, जिन ग्राउंड्स के आधार पर अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी निश्चित विषय पर चर्चा करने के प्रयोजन से सदन के स्थगित करने के प्रस्ताव का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है, वह मुख्य मंत्री के त्याग पत्र देने संबंधी है। मेरी बात सुन लें, साहब। तो इसमें जो एक एक करके आठ पाइंट दिये हैं, उनमें से किसी के भी अन्तर्गत यह नहीं है? मेरा प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व का इसलिये है, माननीय मुख्य मंत्री ने स्पेशल वायरलैस मैसेज के द्वारा प्रधान मंत्री को अपना त्याग पत्र भेजा और रात को उनका विदाई समारोह हो गया। इसमें सिर्फ चार मंत्री और कुछ विधायक उपस्थित थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

व्यवस्था चाहूंगा । इस विषय पर आपने चर्चा न करने की बात कही है, यह प्रदेश के हित का सवाल है, सरकार कोई काम नहीं कर रही है, आज की तारीख में राज्य में कोई सरकार नहीं है, काम चलाऊ सरकार है । इस विषय पर मेरा स्थगन प्रस्ताव है । मैं निवेदन करूंगा कोई भी ऐसा ग्राउन्ड आता नहीं है, जिसके अन्तर्गत आपने चर्चा करने की अनुमति नहीं दी है । इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिस प्रकार अन्य स्थगन प्रस्ताव रिजेक्ट करते हैं, उसी प्रकार इसको रिजेक्ट करके इस पर चर्चा करने की अनुमति आप कृपा करके दें ।

श्री अहमद बक्श सिन्धी (जोधपुर): होली तो चली गई, अभी होली का मूड बाकी वही रहा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर ! माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें । अध्यक्ष ने अगर कोई व्यवस्था दी हो तो उसके विरुद्ध कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जाता । इसलिये आपका जो व्यवस्था का प्रश्न है वह मैं निरस्त करता हूँ । जहां तक अवसर देने का सवाल है, आपने अवसर स्वयं ही प्राप्त कर लिया है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी व अनेक अन्य माननीय सदस्य : नहीं किया है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! कोई घटना नहीं है । घटना के बारे में आपको स्वयं को पूर्ण जानकारी नहीं है । इसलिये माननीय सदस्य···

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : घटना घटित हो चुकी हैं । केन्द्रीय मन्त्री मण्डल···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! इस पर चर्चा नहीं होगी । मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कृपया नियमों का ध्यान रखें । नियम उसी स्थिति में मैं लागू करने में सक्षम होऊंगा जब आप माननीय सदस्यों का सहयोग मिले । अगर 100 में 90 माननीय सदस्य नियमों की अवहेलना करें तो 10 के बलबूते पर शांतिपूर्वक सदन की कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती है । इसलिए माननीय सदस्यों से विनम्र निवेदन है कि आसन के साथ सहयोग करें ।

जो उपयोगी विषय होते हैं, उनके विषय में सदैव आसन की यह कोशिश रहती है कि वह किसी प्रकार से सदन के समक्ष आ जायं । जिस पर मैं यह व्यवस्था दे देता हूं कि यह कोई अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय नहीं है अथवा नियमों के अनुसार नहीं है अथवा स्थगन प्रस्ताव या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का विषय नहीं बन सकता है तो उस पर माननीय सदस्य सदन में चर्चा उठाने का कष्ट न करें, यही मेरा निवेदन है । अब मैं माननीय सदस्य····

श्री घनश्याम तिवाडी : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 54 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष : कौन सा नियम, आप स्पष्ट करें ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 54 (1) अध्यक्ष महोदय, इसमें सैकण्ड देखिये आप। नियम 54 (2) में है, "यदि अनुमति दी जाने पर आपत्ति की जावे तो अध्यक्ष उन सदस्यों से जो अनुमति दिये जाने के पक्ष में हों, अपने स्थानों पर खड़े होने के लिये कहेगा और तद्नुसार यदि सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या के कम से कम दसवें भाग के सदस्य खड़े हों तो अध्यक्ष सूचित करेगा कि अनुमति दी जाती है। यदि सदस्यों की संपूर्ण संख्या के दसवें भाग से कम सदस्य उठें तो अध्यक्ष सदस्य को सूचित करेगा कि उसे सदन की अनुमति नहीं है।"

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है, एक मिनट निवेदन कर दूं, रात को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के सदस्य आये थे। आज आयेंगे और चर्चा करेंगे इससे, अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से···

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आपने जो रूल कोट किया है वह लागू नहीं होता। वह दूसरी स्थिति में लागू होता है। जिस विषय की माननीय सदस्य को जानकारी नहीं हो, खास तौर से इस तरह के···

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मुझे पूरी जानकारी है, अध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट भेज दी गई है। रिपोर्ट के आधार पर···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। अंकित न हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : XXX

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री नन्दलाल मीणा।

स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है। 26-3-81 को जब विधान सभा की कार्यवाही समाप्त हुई···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य, यह विषय कल भी आ गया था। आपने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना आज 11 बजे दी। नियमानुसार सूचना प्रतिदिन साढ़े नौ बजे प्राप्त हो जानी चाहिये। समय पर प्राप्त न हो तो उसी दिन व्यवस्था नहीं दी जा सकती। मैं इसका अध्ययन कर रहा हूं उसके पश्चात् इसके ऊपर निर्णय लिया जायेगा, इसलिये माननीय सदस्य इस पर चर्चा नहीं उठायें। वैसे इस पर चर्चा कल हो गई थी, बिना अनुमति के। जब मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है तो इन्तजार कीजिये कि आसन की ओर से क्या व्यवस्था होती है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप पुलिस की बात कह रहे हैं। यहां जो कुछ होता है यहां सदन के परिसर में पुलिस का जुरिस्डिक्शन नहीं है। जुरिस्डिक्शन है इस सदन का तो आपने इसकी सूचना दे दी····

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा यह निवेदन है कि मंत्री महोदय, अब्दुल रहमान के साथ

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री भंवरलाल शर्मा)
अयाज महाराज ने मारपीट की है। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक कुछ होगा नहीं····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसकी आपने सूचना दे दी। मैंने इस पर····

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, समय जाया न किया जाय।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : एक मंत्री की सरे आम विधान सभा की दीर्घा के अन्दर, परिधि में अयाज महाराज, कांग्रेस (आई) के सदस्य द्वारा पिटाई कर दी जाय, यों तो किसी को भी पीटा जा सकता है, एक मंत्री को इस तरह मारने लग जायं, इससे ज्यादा हेय बात नहीं। फिर तो हम लोगों की सुरक्षा की भी गारण्टी नहीं····

श्री अध्यक्ष : किस बात की गारण्टी ? माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण कीजिये। श्री नन्दलाल मीणा, धरियावद में······

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज !

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिटाई नहीं हुई है, मार पिटाई हुई है। व्यवस्था दें, मान्यवर, मार पिटाई हुई है। कल आपने व्यवस्था दी थी। मेरा कहना यह है कि इस मार पिटाई की बात पर चर्चा होगी····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : अयाज महाराज ने XXX

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पाइन्ट आफ आर्डर के नाम पर समय ले रहे हैं। पाइन्ट आफ आर्डर होना चाहिये। मैं विनम्र निवेदन करूंगा, पाइन्ट आफ आर्डर पूरा न हो तो कम से कम 50 प्रतिशत तो हो।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा के मजिस्ट्रेट के बारे में चर्चा यहां पर चल रही थी तो आपने इस सदन में, इस आसन से मंत्री महोदय से कहा था कि एफ. आई. आर. कोई दर्ज नहीं कराये, उड़ती हुई भी खबर मिल जाय तो उसको दर्ज करके पुलिस को तुरन्त कार्यवाही प्रारम्भ कर देनी चाहिये। आपने कहा है कि इस सदन में पुलिस नहीं आती। उसके अख्तियारात आपको हैं; तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कल उड़ती हुई खबर नहीं, खबर दे दी गई थी। आपने शायद उस बात की 24 घंटे में कोई न कोई जानकारी कर ली होगी। माननीय सदस्य ने

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार शब्द अपलोपित किये गये।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)
बिलकुल ठीक प्रस्ताव दिया है कि यहां पर इतनी बड़ी ऐसी दुर्घटना हो गई कि मंत्री महोदय को यहां पर माननीय सदस्य ने मारा; इस प्रकार की स्थिति बन गई, 24 घंटे पहले खबर दे दी गई। इसलिये मैं चाहता हूं कि उस पर निर्णय जो आपने कल दिया था....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज !

श्री दाऊदयाल जोशी : एफ.आई.आर. दर्ज करा दें, पुलिस केस हो जायगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! जो मैंने 1–2 रोज पूर्व व्यवस्था दी थी वह अलग परिस्थितियों में दी थी। आर्डर प्लीज ! आसन पैरों पर है। नियमों का ध्यान रखें, आपको मालूम है सदन में पुलिस का जुरिस्डिक्शन नहीं होता। यहां जुरिस्डिक्शन के जितने भी अख्तियारात हैं वे आपकी ओर से आसन को दिये गये हैं। यह मामला हमारे समक्ष आया है। हम विचार कर रहे हैं। तथ्यों की जानकारी लेंगे, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ उसके बाद निर्णय लिया जायेगा। माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज !

श्रीमती उजला अरोड़ा : तफतीश आपके द्वारा होगी या किसी को नियुक्त करेंगे ? तफतीश आपके द्वारा ही निष्पक्ष हो सकती है बाकी और किसी के द्वारा नहीं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! श्री नन्द लाल मीणा।

श्री भैरूलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : मैंने अनिवार्य कर रखा है कि नियमों की पुस्तक पास में होनी चाहिये।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, सदन में व्यवस्था कायम रहे यही मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इसमें विरोधी दल के····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : पैंतीस वर्षों से इस प्रकार का दंगा फसाद नहीं देखा। सदन की परिधि में×××ऐसा फसाद पहली बार हुआ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, सदन में पुलिस तो नहीं आती लेकिन माननीय सदस्यों ने पकड़ा है, प्रहरियों ने पकड़ा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपस में××× करते हैं।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, समझ में नहीं आता, गाय को बीमारी हो और बकरियां उछल कर मींगणी करें···

(व्यवधान)

×××माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार शब्द अपलोपित किये गये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, आपस में XXX जाते हैं और· · ·

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आसन पैरों पर है। कृपया, माननीय सदस्य· · ·

(व्यवधान)

स्थगन के प्रस्तावों के बारे में मैं समझता हूं स्थगन प्रस्ताव विपक्ष दे सकता है और उसको आसन की तरफ से छूट दी गई है कि जिस विषय पर प्रस्ताव को अस्वीकार किया जाता है उस पर दो तीन मिनट में अपनी बात कह सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष के माननीय सदस्य इस बारे में खास सीरियस नहीं लगते। इसलिये मैं इस विषय को छोड़ कर अगला प्रश्न· · ·

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे हितों पर कुठाराघात नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) : पाइन्ट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रिविलेज है। हम इस पर बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : यह प्रिविलेज चेयर द्वारा दिया गया है उसकी आप बार-बार अवहेलना करते हैं इसलिये मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। आर्डर प्लीज !

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : पाइन्ट आफ आर्डर !

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र। विपक्ष की ओर से एक माननीय सदस्य· · ·

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, हमारा समय खराब हो रहा है· · ·

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपनी जगह जाकर बोलें। मैंने जो व्यवस्था दी है, उस पर विपक्ष की ओर से कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो बोल सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : पाइन्ट आफ आर्डर· · ·

श्री अध्यक्ष : काम करने दीजिये। क्यों व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं ? आर्डर प्लीज !

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है, उस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप इस पर पुनर्विचार करें। इतनी कड़ाई और इतनी नाराजगी तो हमारे अधिकारों को समाप्त कर देती है। यह बात सच है कि आज एक ऐसा विषय आ गया, जैसा कभी कभी आ जाता है। मैं आपसे यह विनम्र

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार शब्द अपलोपित किये गये।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)
निवेदन करूंगा कि ग्राप इस व्यवस्था पर पुनर्विचार करें।

श्री ग्रध्यक्ष : मैं पुनर्विचार कर सकता हूं, बशर्ते कि ग्राप शांतिपूर्वक बोलना चाहें तो मैं ग्रवसर दूंगा।

स्थगन प्रस्ताव ग्रादि पर चर्चा

श्री नन्दलाल मीणा।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : ग्रध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, वह उदयपुर जिले की धरियावद तहसील में रहने वाले तुलसीराम चुन्नी लाल चौधरी की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में था। दिनांक 30–1–1981 के दिन पुलिस ने किस तरह से उनको ग्रपमानित किया ग्रौर किस प्रकार उनका जुलूस निकाला गया···

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रापस में वार्ता न करें।

श्री नन्दलाल मीणा : इसके बारे में निवे- करना चाहता हूं।

ग्रध्यक्ष महोदय, सम्पूर्ण राजस्थान में नशाबंदी घोषित है। उदयपुर जिले में ग्रारंभ से ही है। खास तौर से ग्रादिवासी इलाका नशाबन्दी क्षेत्र घोषित है। वहां पर एक सरकारी शराब की दुकान चलती है, जिसके मालिक श्री तुलसीराम चुन्नीलाल चौधरी हैं। ग्रध्यक्ष महोदय, 30–1–81 को प्रात: 6 बजे वहां के थानेदार ग्रौर वहां के हैड कांस्टेबल उसके निवास स्थान पर पहुंचे ग्रौर उसी दिन प्रात: काल उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। यह इल्जाम लगाया कि तुम्हारे घर के पास से देशी शराब की नाजायज 15 बोतलें बरामद की गई हैं ग्रौर वह तुम्हारी हैं। ग्रध्यक्ष महोदय, बाजार से पुलिस थाना दो मील दूर है। हथकड़ी डाल कर सरे बाजार तुलसीराम को पुलिस ले गई। एक दिन उसको पुलिस थाने में रखा गया ग्रौर एक हजार रुपये की रिश्वत लेकर उसको छोड़ा गया। परन्तु, ग्रध्यक्ष महोदय, इसके पीछे भूमिका यह है कि तारीख 9-1-81 को ग्राबकारी विभाग का उड़न-दस्ता धरियावद पहुंचा। धरियावद के सर-पंच भंवरलाल कोठारी ग्रौर तुलसी राम पिता चुन्नीलाल चौधरी, ये दोनों सम्मानित ग्रादमी हैं, प्रतिष्ठित ग्रादमी हैं, ने जो नाजा-यज शराब बेचते हैं उनके घर पर छापा डलवाया ग्रौर पंचनामा करवाया। तो सर-पंच ग्रौर उनसे बदला लेने के लिये नाजायज शराब बेचने वाले पुलिस से मिल गये। छापा लगवाने वालों से यह बदला लिया है। उस व्यक्ति के घर के पास 15 बोतलें देशी शराब की रखवायीं ग्रौर उसको पकड़ा। ग्रध्यक्ष महोदय, ग्राश्चर्य की बात है कि इस कांग्रेस के राज में पुलिस के कारिन्दे इस प्रकार की कार्यवाही कर रहे हैं, यह शर्म की बात है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन दोनों व्यक्तियों को हथकड़ी डाल कर थाने ले जाया गया, थाने में बंद रखा गया ग्रौर उनको ग्रपमानित किया गया, सरे बाजार घुमाकर। उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। पुलिस के रिकार्ड में इस गिरफ्तारी का कोई इन्द्राज नहीं है। पुलिस को इस प्रकार का ग्रधिकार नहीं है। यह कौनसी नादिरशाही है। ऐसे व्यक्तियों को बेइज्जत किया गया जिन्होंने उस इलाके में हो रहे कुकर्म के बारे में सरकार को बताया। पुलिस इस प्रकार कानून को हाथ में ले रही

(श्री नन्दलाल मीणा)

है। पुलिस उनको इस प्रकार अपमानित कर रही है, बदनाम कर रही है और उनको आर्थिक रूप से तंग कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूंगा कि सरकार की ओर से इसका उत्तर दिया जाये। यह मसला केवल शराब की बोतलों का नहीं है, यह मसला हथकड़ी डालने का है। अध्यक्ष महोदय, पुलिस कर्मचारियों की बर्बरता और एक नागरिक के अधिकारों का यह सवाल है। पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है उसका यह एक उदाहरण है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करे और सम्मानजनक लोगों को तंग करे, यह शर्मनाक बात के अलावा और क्या हो सकता है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैंने भी स्थगन प्रस्ताव दिया था। इसलिये कुछ निवेदन करना चाहता हूं। चूंकि कुछ लोगों ने नाजायज शराब को पकड़ाने में मदद की, इस कारण उन लोगों का दुर्भाग्य है कि पुलिस उन लोगों को तंग करती है। पुलिस के साथ मिल कर षड़यन्त्र किया गया और उनके घर के बाहर बरामदगी बताकर उनको गिरफ्तार कर बेइज्जत किया गया। श्रीमन्, पुलिस का अगर यही एटीट्यूड है, पुलिस अगर इस प्रकार अपने कर्त्तव्यों से नीचे उतर कर घृणित कार्य करती है और षड़यन्त्र करती है तो समाज के किसी भी इज्जतदार आदमी को बेइज्जत किया जा सकता है। इसलिये मैं मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। अगर आपकी पुलिस का यही एटीट्यूड रहा तो आप किसी भी इज्जतदार आदमी की पगड़ी उछाल सकते हैं। अगर पुलिस को इस प्रकार अधिकार दे दिये और उनको आप इस तरह प्रोटेक्ट करते रहे तो हर किसी व्यक्ति को, बेगुनाह व्यक्ति को वे हथकड़ी डाल कर घुमायेंगे और फिर पैसा लेकर छोड़ देंगे, गिरफ्तार करेंगे, उसका कोई केस दर्ज नहीं होगा और केस को रफा दफा कर देंगे। गांव के लोगों ने शिकायत की है। गांव के लोग पुलिस थाने गये, अखबारों में भी यह निकला है कि बेकसूर लोगों को थाने में बन्द कर रखा है, उनको तुरन्त रिहा किया जाये। उनको बन्द रखा गया और किसी को नहीं बताया गया, कोई केस नहीं बनाया गया। श्रीमन्, यह कोई साधारण घटना नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप निश्चित रूप से सरकार को इस बारे में कार्यवाही करने का निर्देश दें। हैड कांस्टेबल ने हरैस किया है और एक हजार रुपया लेकर छोड़ दिया है। उसने यह पत्र में स्पष्ट लिखा है कि मैंने अपने घर से अपने पिताजी से मंगवा कर दिये हैं। एक हजार की रिश्वत मांगी थी लेकिन उन्होंने 500 रुपये दिये। हैड कांस्टेबल को दिये हैं और उसके बाद में उनको मुक्त किया गया है। मैं यह चाहूंगा कि चाहे वह थानेदार हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे कोई हो जो इस तरह बेकसूर व्यक्तियों को हथकड़ी डालकर उनकी इज्जत को मटियामेट करता है, उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लें जिससे कि आगे ऐसी घटना न हो।

श्री अध्यक्ष: श्री हीरालाल आर्य! पीपल्दा एवं सुल्तानपुर क्षेत्र में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अनेक पद रिक्त होने के सम्बन्ध में।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा जिले में कई स्थानों पर काफी दिनों से डाक्टर्स, कम्पाउण्डर्स,

(श्री हीरालाल आर्य)

नर्सेज के रिक्त स्थान पड़े हैं। मैं खास तौर से पीपल्दा तहसील के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। पीपल्दा तहसील में दूर दूर पर गांव हैं, वहां पर आने जाने के पर्याप्त साधन नहीं है और जिन जिन जगहों पर अस्पताल हैं वहां पर डाक्टर्स, कम्पाउण्डर्स और नर्सेज नहीं है। इस वजह से वहां के नागरिकों को इलाज के लिए असुविधा होती है। जब बीमार लोग अस्पताल पहुंचते हैं और डाक्टर्स, कम्पाउण्डर्स को नहीं पाते हैं तो उनको बड़ी हैरानी होती है। डाक्टर्स के अभाव में बहुत सारी बीमारियों में अक्सर लोगों को मौत के मुंह में जाना पड़ता है। कभी कभी पर्याप्त उपचार नहीं मिलने के कारण लोगों को बहुत सी बीमारियों से ग्रस्त रहना पड़ता है। मेरे पीपल्दा तहसील के बमोरी कलां और पीपल्दा कलां में एक पी. एच. सेन्टर है उसमें पिछले काफी दिनों से डाक्टर्स नहीं हैं। इसी तरह से मांगरोल और इन्द्रगढ़ में महिला चिकित्सक का पद सृजित हुआ है लेकिन वह करीब दो साल से रिक्त है...

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का सवाल है। अभी से चुनाव की कन्वेसिंग शुरू हो गई है। यह क्या प्रक्रिया है? कन्वेसिंग शुरू हो गई है। यह गलत है। माननीय सदस्यों को प्रभावित कर रहे हैं।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था मेरे यहां पर मांगरोल व इन्द्रगढ़ दोनों ही शहरी क्षेत्र हैं वहां पर जब से महिला चिकित्सक का पद स्वीकृत हुआ है तब से एक बार भी आज तक कोई महिला चिकित्सक नहीं आया है जिसकी वजह से महिलाओं को, विशेषकर प्रसूति वाली महिलाओं को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होने से अकारण मौत के मुंह में जाना पड़ता है। श्रीमन् जिस तरह से पीपल्दा में जहां पी.एच.सी. में कई दिनों से डाक्टर व कम्पाउन्डर नहीं हैं उसी तरह बमोरी कलां पी.एच.सी. में न तो कोई चिकित्सक है न कोई कम्पाउन्डर है जिसके कारण से गांवों के लोगों, जो चिकित्सा के लिये आते हैं, को वहां कोई सुविधा नहीं होती है और परेशान होना पड़ता है। छापोल तथा नोनेरा उपकेन्द्रों पर भी सभी पद रिक्त हैं। मांगरोल बहुत बड़ा कस्बा है यहां पर डाक्टर्स के 3 महीने में 8-10 बार तबादले हो गये हैं। जनता इस बात से दुखी है कि पांच-सात और आठ दस दिन में डाक्टरों के तबादले कौन करता है और वह भी सरकारी आदेश से। मैं जब वहां पर पहुंचा तो वहां की जनता ने तीन चार हजार लोगों ने लिखकर दिया है कि यह स्थानान्तरण किसके हाथों से क्यों किये जा रहे हैं यह बतायें। जनता ने यह पूछा है कोई जानता नहीं है। मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री से निवेदन करूंगा कि इन स्थानों पर जो स्थान रिक्त हैं, शीघ्र ही उन रिक्त पदों को भरें जिससे कि वहां के नागरिक चिकित्सा सुविधा से वंचित न रह सकें।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है कि पंचायत मंडावरा

(श्री दाऊदयाल जोशी)

में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दो डाक्टर्स नियुक्त हैं, लेकिन पिछले 11 महीनों से एक चिकित्सक नहीं है और इसके साथ ही पिछले आठ महीनों से दूसरा चिकित्सक भी नहीं है। मंडावरा में पांच नर्सेज की नियुक्ति है, पर पिछले 11 महीनों से 5 में से केवल एक ही नर्स वहां पर काम कर रही है। मेरी सबसे बड़ी आपत्ति का प्रश्न जो है वह यह है कि मेरे यहां पर बदतर स्थिति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को बना रखा है। पिछले डेढ़ साल से सांगोद में महिला चिकित्सक की कोई नियुक्ति नहीं की गयी है, यह मैं मेरी बात कह रहा हूं। अभी चार दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि जैसलमेर जिले के अन्दर 68 डाक्टरों के पद रिक्त हैं कुशलगढ़ क्षेत्र में अधिकांश डाक्टरों के हैं। किसी भी डिस्पेंसरी में डाक्टर नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब कांग्रेस विधायकों के क्षेत्रों में ही कोई व्यवस्था नहीं है तो हम विरोध पक्ष के लोगों की क्या हालत होगी।

मुझे दुख इस बात का है कि मंत्री महोदय ने रिप्लाई में यह कहा है कि हम जिन लोगों को तैनात करते हैं वे राजनैतिक दबाव के कारण पद रिक्त बनाये रखते हैं। मेरा निवेदन करना यह है कि स्वास्थ्य मंत्री जी यहां सदन में जवाब देवें कि राजनैतिक दबाव के कारण हम तो नियुक्त कर देते हैं लेकिन तीन चार दिन बाद ही सत्ता पक्ष का कोई न कोई व्यक्ति पद रिक्त करा देता है, यह बड़ा ही गम्भीर मामला है। मेरा निवेदन यह है कि हमारे क्षेत्र में जो स्थान खाली हैं, उनके कारण हमारे क्षेत्र के लोग परेशान हैं। हमारे क्षेत्र के लोगों को चिकित्सा सुविधा नहीं पहुंचे इसलिए सत्ता पक्ष के लोग परिवर्तन कर उसको रद्द करा देते हैं, यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

दूसरा, मैं समझता हूं कि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि राजस्थान 1.2 प्रतिशत रुपये डाक्टरों पर खर्चा करता है उसके बाद में दुर्भाग्य मेरे राजस्थान की धरती का यह है कि वे प्रतिभायें वे डाक्टर जिनको हम अपनी कमाई से बनाते हैं, यहां से चले जाते हैं अरब कंट्रीज में। तेजी के साथ राजस्थान की प्रतिभायें भारत के बाहर अरब कंट्रीज जा रही हैं उसको रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे छात्र मेडिकल स्नातक बनने के बाद पैसे की दृष्टि से, कमाई की दृष्टि से राजस्थान की धरती को छोड़कर अरब कंट्रीज में जायेंगे तो हमारी डिस्पेन्सरीजी हमेशा खाली ही पड़ी रहेंगी। स्वास्थ्य मंत्री जी यहां पर नहीं हैं हालांकि जब कल हमने स्थगन प्रस्ताव दिया था तो उनको यहां पर रहना चाहिए। आप यह भी व्यवस्था करने की कृपा करें कि जिन लोगों ने स्थगन प्रस्ताव दिये हैं और जिनको आप अस्वीकार करते हैं उनसे सम्बन्धित मंत्री महोदयों को शून्यकाल में उपस्थित रहना चाहिए। यह व्यवस्था करें। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री जी यहां नहीं हैं और दूसरे मंत्री महोदय तो कोई मुझे लिखते दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक तो पढ़ रहे हैं और दूसरे मंत्री मुंह पर हाथ रखे बैठे हैं . .

श्री बुलाराम (वन मंत्री) : मैं सुन रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : शून्यकाल है.

श्री दाऊदयाल जोशी : लिख रहे हैं क्या ?

(व्यवधान)

12

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री दाऊदयाल जोशी : आप तो प्रश्नोत्तर काल में ही उपस्थित नहीं रहते हैं। पान खाने चले जाते हैं....

श्री अध्यक्ष : विषयान्तर हो रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा निवेदन यह है कि अगर मेरी बात कोई मंत्रीजी सुन रहे हैं, लिख रहे हैं तो भगवान के नाम पर हमारे राजस्थान की प्रतिभा जो तेजी से अरब कंट्रीज को जा रही हैं, को रोका जाये। साथ ही राजनैतिक दबाव के आधार पर हम विरोध पक्ष के विधायकों की डिस्पेंसरीज को जो रिक्त रखा जा रहा है, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उस राजनैतिक दबाव को समाप्त करें वरना हम निश्चित रूप से जो कांग्रेस के विधायक हैं....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : जो इस प्रकार राजनैतिक दबाव के आधार पर तबादले रद्द करवाते हैं, ऐसे कांग्रेसी विधायकों को हमारी कान्स्टीट्यूएंसी में घुसने नहीं देंगे, घेराव करेंगे, सत्याग्रह करेंगे हमारे....

श्री दुलाराम : यही सुन रहा था।

श्री अध्यक्ष : श्री बालचन्द्र आर्यवीर और श्री अनंग कुमार जैन। भवानी मण्डी कस्बे में मोटर स्टैण्ड नहीं होने से यात्रियों को असुविधा।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र भवानी मंडी कस्बे में काफी समय से मोटर स्टैण्ड अस्थायी रूप से चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कस्बे से बसें निकलने के कारण कई बार एक्सीडेंट की संभावना रहती है। एक छोटे से स्थान पर अभी वर्तमान मोटर स्टैन्ड बना हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि उस मोटर स्टैण्ड पर न तो कोई आदमियों के आवास की व्यवस्था है न वहां पर पीने के पानी की कोई व्यवस्था है और न ही वहां पर कोई लघुशंका घर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले दिनों 14 तारीख को गया था तो मेरे सामने ही एक बच्ची का एक्सीडेंट होते होते बचा था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करता हूं कि तुरन्त ही मंत्री जांच करके मोटर स्टैण्ड की व्यवस्था कराने की कृपा करें।

(व्यवधान)

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : अहमद बक्श जी बीच में से निकल गये हैं। यह व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। ऑर्डर प्लीज !

श्री दाऊदयाल जोशी : इस प्रकार से कोई भी माननीय सदस्य नहीं आ सकता है। किसी सदस्य को आने....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर ! जो नियम हैं कृपया माननीय सदस्य उन नियमों का ध्यान रखें जैसे कोई माननीय सदस्य बोल

(श्री अध्यक्ष)
रहा है तो बीच में से अन्य माननीय सदस्य न निकलें अब वे स्थान ग्रहण करें····

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज !

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अभी तो कोई बीच में से नहीं गया है। इसलिए इस प्रश्न की ही जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बैठे-बैठे नहीं बोलें। नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। बैठे-बैठे नहीं बोलें। अपना स्थान ग्रहण करने के पूर्व और ग्रहण करने के बाद जब बाहर जा रहे हों तो आसन को नमन करके जाना चाहिये, आपस में बैठे बैठे बातें नहीं करनी चाहिये, यदि कोई बोल रहा हो तो उनके और आसन के बीच में से किसी माननीय सदस्य को नहीं जाना चाहिये, ये साधारण से नियम हैं। माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इन नियमों का पालन करें।

श्री रामसिंह विश्नोई : एक दिन के लिये तो इसके लिये आपको क्लास लगानी चाहिये।

श्रीमती कमला (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अहमद बक्श जी इधर से गये तो इधर से कोई नहीं बोल रहा था उधर से बोल रहे थे।

श्री अध्यक्ष : जब कोई बोल रहा था उस वक्त एक माननीय सदस्या माननीय सदस्य और आसन के बीच से गयी थीं। दोनों तरफ से गलती होती है।

श्रीमती कमला : अहमद बक्श जो जिस वक्त गये उस वक्त इधर से कोई नहीं बोल रहा था इसलिये यह सही नहीं है।

श्री बाऊदयाल जोशी : मैडम, इस पर··

श्री अध्यक्ष : इस पर चर्चा नहीं होगी। कृपया स्थान ग्रहण करें। बालचन्द्र आर्यवीर !

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां पर बस स्टैण्ड नहीं होने से यात्रियों को आवास की भारी असुविधा है, पीने के पानी की भारी असुविधा है। लोगों के लिए लघु-शंका गृह भी बना हुआ नहीं है; इसलिए वहां पर बस स्टैण्ड बनाये जाने की व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष : अनंग कुमार !

(अनुपस्थित)

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव–

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, श्री उम्मेद सिंह ! ग्राम भावा व आसपास के गांवों में गत 19 मार्च को ओलावृष्टि से हुए नुकसान के विषय में।

श्री उम्मेदसिंह (डीडवाना) : इस पर व्यवस्था दी जा चुकी है, इसलिए नहीं बोलना है।

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल व श्री हंसराज शर्मा-सवाई माधोपुर में खाद का कारखाना स्थापित करने के विषय में।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : अध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर में खाद का कार-खाना स्थापित करने के बारे में मा रह

(श्री चुन्नीलाल)

सरकार के द्वारा एक सर्वे कमेटी कायम की गई थी। राजस्थान में करीब तीन स्थानों, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ और धौलपुर पर इस सम्बन्ध में सर्वे कराया गया था, सवाई माधोपुर के पक्ष में सर्वे कमेटी ने रिपोर्ट दी थी लेकिन सरकार इस तरफ मौन है। सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है इसलिये मेरा निवेदन है कि मुख्य मंत्री जी को इस सम्बन्ध में आज ही स्टेटमेंट देना चाहिये क्योंकि 10 अरब की लागत का यह कारखाना राजस्थान में लगना है। सवाई माधोपुर के पिछड़ेपन को देखते हुए और यह देखते हुए कि सवाई माधोपुर में बहुत ज्यादा बेकारी और बेरोजगारी है मैं आशा करता हूं कि इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्रीजी से स्टेटमेन्ट दिलवाया जायेगा जिससे कि सवाई माधोपुर को इसका लाभ मिल सके। इसी तरह से पहले तेल शोधक कारखाने का भी सर्वे हुआ था और उसकी रिपोर्ट भी सवाई माधोपुर के पक्ष में दी गई थी लेकिन राजनैतिक कारणों से उस कारखाने को मथुरा में ले जाया गया। हमको आशंका है, कहीं ऐसा न हो इस बार भी सवाई माधोपुर के साथ सौतेला व्यवहार किया जावे। यह कारखाना सवाई माधोपुर में ही स्थापित होना चाहिये। इसके लिये मुख्य मन्त्री जी से स्टेटमेंट दिलाया जाय कि खाद का कारखाना सवाई माधोपुर में ही लगाया जायेगा। उनकी सहानुभूति होनी चाहिये, एम.पी. बनकर वे वहां से गये थे।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर में खाद का कारखाना लगाने के सम्बन्ध में मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह जिला पिछड़ा हुआ जिला है और पूर्वी राजस्थान का एक बहुत बड़ा जिला है। वहां पर बेकारी का बहुत ज्यादा बोलबाला है। उस क्षेत्र के लोगों के पास उदरपूर्ति के कोई विशेष साधन नहीं हैं। बहुत सारी जमीन पड़ी हुई है और बहुत पिछड़ा हुआ है। राज्य सरकार की नीति के अनुसार वहां से 6 विधायक तो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं और एम.पी. भी वहां से रिजर्व्ड सीट का आता है। इस स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार की नीति के अनुसार सवाई माधोपुर जिला एक बैकवर्ड जिला है। वहां के लोगों के पास अपने बाल-बच्चों के लिए उदरपूर्ति का भविष्य में कोई साधन नहीं है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार का सर्वे दल आया, पहली बार आया, दूसरी बार आया, तीसरी बार आया। वहां की सभी राजनीतिक पार्टियों ने एक साथ होकर के वहां की बहबूदी के लिए उनसे निवेदन किया है और राज्य सरकार से भी बार-बार निवेदन किया है। सर्वे दल की रिपोर्ट भी आई हुई है उसके अनुसार हमारे यहां कारखाना लगाने से खर्चा भी कम होगा, इसलिए वहां पर तेल शोधक कारखाना लगाना सभी दृष्टियों से उचित है। अतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि सवाई माधोपुर पिछड़ा हुआ है, वहां पर सारे साधन उपलब्ध हैं, वहां पर बेरोजगारी है उसको दूर करने की दृष्टि से, शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग रहते हैं उनकी उदरपूर्ति के लिए साधनों की दृष्टि से यदि यह कारखाना वहां लगाया जायेगा तो अति सुन्दर होगा। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यद्यपि यह कहा

(श्री हंसराज शर्मा)
आ किए कम नहीं दो कारखाने राजस्थान में आ रहे हैं, इस बात के लिए तो मैं उनको बधाई देना चाहूंगा साथ ही इस बात को दोहराता हूं कि यह क्षेत्र उनका राजनैतिक क्षेत्र रहा है जहां से उन्होंने राजनीति का शुभारम्भ किया था। स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति जहां रहता है या जिसका जहां पर प्रभाव होता है उसी क्षेत्र से वह राजनीति में आता है। मुझे पूर्ण विश्वास है, विश्वास ही नहीं आशा है कि माननीय मुख्य मन्त्री महोदय मैंने जो बातें कहीं हैं उन सारी बातों को मद्दे नजर रखते हुए इसी विधान सभा सेशन में कम से कम इस बात का आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि खाद का कारखाना सवाई माधोपुर में ही लगाया जायेगा। तेल शोधक कारखाने के बारे में हमारे साथ न्याय नहीं किया गया इसलिए अब न्याय किया जायेगा। सारी सुविधायें हमारे यहां उपलब्ध हैं, हमारे यहां पर कारखाना लगाना न्याय संगत है, इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां की आवश्यकता को देखते हुए वहां पर कारखाना खोलने का कष्ट करें, इतना ही निवेदन करूंगा। आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल पचेरवाल।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : किस सम्बन्ध में ?

श्री अध्यक्ष : केशोरायपाटन जिला बूंदी में बाबा मक्केशाह की दरगाह की मरम्मत की आवश्यकता के विषय में।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार में वक्फ बोर्ड अलग बना हुआ है और देवस्थान विभाग अलग है। जितने भी हिन्दू समाज के देवस्थान हैं, मन्दिर हैं उनकी देखभाल देवस्थान विभाग की तरफ से की जाती है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जो माइनोरिटी कम्युनिटी के लोग हैं जिनके लिये यह सरकार बहुत बड़े-बड़े नारे देती है, वोट लेने के नाम पर उनके प्रति हमदर्दी की बातें करती हैं, उनके जो देवस्थान हैं, मस्जिद हैं, मदरसे हैं उन पर एक पैसा भी खर्च नहीं करती। जब भी इस प्रकार का सवाल खड़ा होता है तो कहती है कि उनके लिए वक्फ बोर्ड बना हुआ है। हिन्दू समाज के देवस्थानों की देखभाल के लिये सरकार काफी खर्चा करती है लेकिन उन पर कभी एक पैसा खर्च नहीं करती है। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मक्केशाह की दरगाह का जो भवन है वह बहुत बड़ा है, हजारों वर्ष पुराना है, अगर कोई माननीय सदस्य वहां पर गये हों तो वे जानते हैं अजमेर की दरगाह के बाद उसका दूसरा स्थान माना जाता है। आज तक उस पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया। उसकी जो बिल्डिंग है वह बहुत ही जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उसकी जांच कराई जावे, उसकी मरम्मत कराई जावे, वह आपकी नीति के अन्दर आता है। आपके बजट में पैसा नहीं हो तो मन्दिरों या देवस्थान के बजट में से कटौती करके कराया जाय और जितनी राशि उसके जीर्णोद्धार के लिए दे सकते हैं, देवें। यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री बंसीलाल पटवा, थाना तलाई, नेहरू रोड, शास्त्रीनगर खेड़ा

(श्री अध्यक्ष)
आदि में कृषि भूमि पर बने मकानों को सरकार द्वारा नियमित न करने के विषय में।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा नगर में कुछ कच्ची बस्तियां इस तरह की हैं, नेहरू रोड, शास्त्री नगर, थाना, तलाई आदि जिन में हजारों मकान बने हुए हैं, उनको कई वर्षों से नियमित नहीं करने से वहां पर बिजली नहीं है, पानी मुहैया नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में उन बस्तियों के लोगों को पानी की दिक्कत है, रात्रि में वहां पर अन्धेरा रहता है। उनकी दयनीय स्थिति है। सफाई का वहां पर अभाव है। इन समस्याओं का निराकरण करने के लिए मैं राज्य सरकार का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं, उन बस्तियों में रहने वालों के लिए जीवन-यापन की एक बहुत बड़ी समस्या है। यह एक ऐसी समस्या नहीं जो भीलवाड़ा जिले की ही हो; सारे राजस्थान की समस्या है। सरकार का ध्यान मैं विशेष तौर से भीलवाड़ा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जितनी भी कच्ची बस्तियां बनी हुई हैं उनको नियमित किया जाय। आखिर में उनको बनने ही क्यों दिया गया? यदि बनने दिया गया तो उनके बारे में विचार-विमर्श करके, जो भी स्थिति है, उनको नियमित किया जाना चाहिये। यू.आई.टी. ने कोई भी स्कीम उनके लिए पिछले पांच वर्षों से तैयार नहीं की है जिसका परिणाम यह हुआ कि कच्ची बस्तियां एक के बाद एक बनती चली गई। उन बस्तियों में इतने मकान बन चुके हैं कि उनको तोड़ना जाना सम्भव नहीं है, कम से कम भविष्य में इस तरह की नई बस्तियां और डवलप न हों। यदि इस तरह से बस्ती बनती जायेंगी तो अनप्लान्ड स्लम्स खड़े होते जायेंगे। आज जिस तरह से बस्तियां बनती जा रही हैं उनका कहीं न कहीं प्लान बनाया जाय और सर्वे किया जाय कि किसको तोड़ना है, कहां काटना है, कहां रोड्स निकाली जायं। इस तरह की कार्यवाही करके उनको यदि राज्य सरकार नियमित कर दे, इस तरह के आदेश सरकार निकाल कर निर्णय ले ले तो निश्चित रूप से जितनी भी समस्या भीलवाड़ा में है, वह समस्या हल हो जायेगी। इसके साथ साथ नए सिरे से यदि कोई बस्ती बसती है या इस तरह से कन्स्ट्रक्शन होते हैं तो उन पर सोच-विचार करके अंकुश लगाना चाहिए क्योंकि बस्ती बढ़ती ही जायेंगी, इस तरह से स्लम्स खड़े हो जायेंगे तो और अनियमितता फैलेगी और आखिर में कहां जाकर टिकेंगी, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो, भविष्य में जहां म्यूनिसिपल कौन्सिल है और जहां अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है वहां छोटे-छोटे प्लाट्स काटकर, नए सिरे से स्कीम्स बनाकर सस्ती दर पर प्लाट्स दें बाकी जितने इस तरह के मकान हैं उनको नियमित किया जाय। नियमित नहीं करने के कारण बिजली विभाग बिजली नहीं दे पाता, वाटर वर्क्स पानी का कनेक्शन नहीं दे पाता। ऐसी दयनीय स्थिति है जिससे वे गुजर रहे हैं। इन्दिरा कांग्रेस ने कई बार निर्णय लिया है, 20 सूत्री कार्यक्रम की बात जरूर करती है लेकिन आज एक वर्ष बीतने को आया, पहाड़िया सरकार ने इस बारे में आज तक कोई निर्णय नहीं लिया। निरन्तर आबादी बढ़ती जा रही है। मैं नहीं चाहता कि उनको

(श्री बंसीलाल पटवा)

तोड़ा जाय। मैं चाहता हूं कि उनको नियमित किया जाय। कोई ऐसा मकान है जो 4, 6 या 10 साल पुराना बना हुआ है उसको तोड़ा नहीं जाय, नियमित किया जाय ताकि वहां के लोगों को बिजली और पानी मिल सके, नहीं तो मई और जून आ रहा है, एक भी पब्लिक टेप वहां नहीं है, बिजली की लाइन नहीं है, स्ट्रीट लाइन नहीं है। वहां के निवासी अन्धकार में रहते हैं और नारकीय जीवन से गुजर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह का राजस्थान व्यापी निर्णय लेकर जितनी कच्ची बस्तियां हैं उनको शीघ्र नियमित किया जाय ताकि नल, बिजली और सफाई की व्यवस्था हो सके।

साथ ही साथ जब तक नियमित नहीं करें तब तक इस तरह का निर्णय लिया जाय ताकि म्यूनिसिपैलिटीज सोचती हैं कि जो भी बस्तियां बसी हैं . . .

श्री अध्यक्ष: समाप्त किया जाय।

श्री बंसीलाल पटवा: और अनअथोराइज्ड कन्स्ट्रक्शन है, वहां सफाई का अभाव है। सफाई के अभाव में वहां मच्छर, कूड़ा और कचरा है उनको नारकीय जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इस तरह के आदेश स्वायत्त शासन विभाग की ओर से निकाले जायं ताकि उन बस्तियों की सफाई की व्यवस्था तो कम से कम हो। जब तक नियमन करें तब तक तो मेरा दोनों बातों पर जोर है कि नियमन किया जाय ताकि बिजली पानी मिल सके और साथ ही साथ सफाई का प्रबन्ध किया जाय।

श्री अध्यक्ष: डा. उजला अरोड़ा। खजाने वालों के रास्ते में दुकान में चोरी।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): मान्यवर, यह सूचना पहली तारीख की है, यह घटना पहली जुलाई की है। खजाने वालों के रास्ते में न्यू जेन क्लाथ स्टोर पर चोर कार लेकर आये। कार लेकर आने पर थोड़ी दूर पर सो रहे चौकीदार की आंख खुली। वह बढ़ता गया तो उसको वार्निंग दी कि आगे मत बढ़ो। मैं दो बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं, वह माना नहीं, लापरवाही से बढ़ता गया। उसने आवाज दी कि कौन है, कौन दुकान में घुसा है तो उन्होंने फायर किया। फायर करने के बाद भी वह नहीं माना, आगे बढ़ा तो उन्होंने उसके पेट और छाती पर किसी हथियार से वार किया। जैसा उसका बयान है, मुझे कापी दे गए हैं, वहां पर दो बच्चे कार से उतरकर दुकान में घुस गए शटर को ऊंचा करके। तो यह घटना है। इस तरह से चोरियां बराबर हो रही हैं। मैं ध्यान दिलाती हूं कि इस तरह से बच्चों द्वारा चोरियां कराई जा रही हैं। चोरी की घटना रात में हुई और थोड़ी देर बाद पुलिस अधिकारी वहां पहुंच गये। एफ.आई.आर. में उस गाड़ी का नम्बर भी दिया है। मैने आर. टी. ओ. से पूछा तो उन्होंने बताया कि यह नम्बर आटो रिक्शा का है जो कार पर लगाया हुआ था। चोर पकड़ा नहीं गया। आधे पौन घंटे के बाद पुलिस पहुंची, यह दुर्भाग्य की बात है। चौकीदार को छर्रे लगे हैं गोली के उसके निशान हैं, उसके बाद दुकान मालिक ने एफ.आई.आर. दर्ज कराई है कि 20–25 हजार के थान मेरे गए हैं लेकिन दुख की बात है कि थाने में दर्ज बयान को पलट कर यह किया जा रहा है कि 2–3 हजार की चोरी हुई है। जिसको तफतीश

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

के लिए लगाया गया, वह थाना अधिकारी तफतीश के लिए गए, जाते ही बोले, मिठाई खिलाओ। श्रीमन्, उन्होंने कहा, भाई, मिठाई किस बात की ? उन्होंने जवाब दिया आपकी तफतीश आई, इस बात की। फिर बोले, नमकीन मंगाओ और चाय मंगाओ। उन्होंने कहा तफतीश में आयेंगे तो फिर पैसा और मांगेंगे। उन्होंने कहा कि हम यह दर्ज करते हैं कि 2–3 हजार रुपये की चोरी हुई है जब कि जितने थान गए हैं वे 20–25 हजार रुपये के हैं। जो तफतीश करने वाले जायं वे इस तरह की हरकतें करें मुझे इसलिए स्थगन प्रस्ताव रखना पड़ रहा है। मैं कई बार इस तरह की घटनाएं इस सदन में बता चुकी हूं। निरंतर चोरियां बढ़ रही हैं किन्तु आज तक उनको पकड़ा नहीं गया है। जो सुमेर सिंह पकड़ा गया है वह भी आत्म समर्पण करने आया था। पुलिस को सक्रिय होना जरूरी है। इस तरह से न कहें कि चाय मंगाओ, मिठाई मंगाओ। मैं समझती हूं कि तफतीश करने वाले को बहुत सतर्क रहना चाहिए, बड़े ध्यान से सुनकर चोरी की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।

उक्त एफ.आई.आर. में यह भी बताया गया है कि उन्होंने मांग की है कि शटर ऊंचा था उसकी फोटो ले गए और जूते वाले पैर की फोटो ली गई है लेकिन नंगे पैर वाले निशान की फोटो नहीं ली गई। उन्होंने कहा, श्रीमन, इसकी भी फोटो ली जाय लेकिन नहीं ली गई। मान्यवर, इस तरह तफतीश किस तरह से होगी, चोरियां किस तरह से पकड़ी जायेंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगी कि पुलिस थोड़ी जागरुक हो, थोड़ी सतर्क हो, जयपुर को असुरक्षित न रखें। इस तरह की भावना को और दृढ़ न करते हुए यहां कुछ ऐसी बातें कहीं कि वह सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं कर रहे हैं, मुख्य मंत्री ने परसों बयान दिया, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जयपुर के बारे में उन्होंने कहा कि जयपुर में चोरियां पहले कभी नहीं हुई थीं क्या ? मैं समझती हूं, ऐसा बयान मुख्य मंत्री के मुहं से शोभा नहीं देता। मुझे उस समय बोलने की अनुमति नहीं दी, अगर देते तो उनको बताती कि क्या हालत उन्होंने जयपुर की कर दी। एम्पोरियम की चोरी नहीं पकड़ी गई, जो एम.आई.रोड पर सरे आम चोरी हुई वह नहीं पकड़ी, यू.पी. हैंडलूम की नहीं पकड़ी, जौहरी बाजार में जौहरी को लूट लिया, घड़ियां उठा ले गये, वह भी नहीं पकड़ी गई और यह कहते हैं कि चोरियां सामान्य बात है। इस तरह से चोरियां और डकैतियां होती हैं, थानेदार की गोली मारकर हत्या की गई और चौकीदार को छर्रे लगे। क्या आप इन बातों को मिटाना चाहते हैं ? जयपुर की जो चोरियां हुई जिनके बारे में मैंने ध्यान दिलाया है उन पर कोई रोक नहीं लगी। विजय प्रिंटिंग प्रेस की चोरी की तरफ मैंने ध्यान दिलाया। ऐसी घटनाओं की जयपुर में पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। मंत्री महोदय उठकर बतायें वह क्या इंतजाम कर रहे हैं कि इस तरह की घटनायें न घटें ? जो घटनायें घटी हैं उसमें पुलिस मुकम्मिल पक्षपात कर रही है। ऐसे व्यक्ति तफतीश करने न जायं। चोरी चाहे बच्चों के द्वारा की गई हो चाहे बड़ों के द्वारा की गई हो इसकी पुनरावृत्ति न हो। सामान पुनः प्राप्त हो जाय ऐसा वातावरण बनाने के लिए मंत्री महोदय के लिए जरूरी है वह उठकर बतायें कि क्या सख्त कदम उठाने वाले हैं।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

जो आदमी तफतीश करने के लिए दुकान पर गया उसने इस तरह की मांग की। मैं समझती हूं उनको अच्छी तनख्वाह मिलती है काम को, वहां जाकर उससे इस तरह की मांग करना कोई अच्छी बात नहीं है। आप किसी दूसरे सशक्त आदमी को तफतीश दें, निश्चित रूप से आप आश्वासन दिलवायें वरना यह तो अंधी पीसे कुत्ता खाए जैसी बात हो गई, सरकार सुनने वाली नहीं है। आज जयपुर असुरक्षित है, बड़ा असंतोष है, जयपुर के नागरिकों का जन-जीवन असुरक्षित है, कहीं लोग सड़कों पर सामने न आ जायें। अखबारों में आ चुका है, आपको दिखा चुकी हूं। मन्त्री महोदय, क्या करने वाले हैं यह बतावें तो मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। मंत्री महोदय ने अगर मेरी बात का उत्तर नहीं दिया तो मेरी बात दुबारा कहूंगी। मैं जन प्रतिनिधि हूं, जनता में आक्रोश है, असन्तोष है, आतंक है, भय है इसलिए मैं चाहूंगी कि आप मुझे बतावें। यह मेरा दायित्व है और, मंत्री महोदय, आपका भी दायित्व है। मैं आशा करती हूं कि आप निश्चित रूप से जयपुर में ऐसा नहीं होने देंगे। कहीं ऐसा नहीं हो कि जयपुर में भी मुरेना और धौलपुर में जो घटनायें होती हैं वह हो जायं।

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल। अजमेर नगर परिषद् क्षेत्र के 30 गांव अकाल की चपेट में आने के विषय में।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मंत्री महोदय शायद जवाब देने की स्थिति में है वे उठकर जाकर अधिकारियों से बात करके आये हैं। वे यहां पर मुझे आश्वासन दें कि जयपुर में ऐसी घटनायें नहीं होंगी। वे बहुत ही उत्साही हैं, कर्त्तव्य निष्ठ हैं, मैं चाहती हूं कि मेरे प्रश्न का जवाब यहां पर दें।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, इस मामले के अन्दर क्या तथ्य हैं, इसके बारे में अधिकारियों से मैंने कहा कि वह तथ्यों का पता लगा कर बतावें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : तो क्या, अध्यक्ष महोदय, उन्हें कुछ पता लगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, यहां पर प्रश्नोत्तर नहीं होगा। कृपया स्थान ग्रहण करें। श्री कैलाश मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, मैं जो बिन्दु उठा रहा हूं वे बहुत ही महत्वपूर्ण बिन्दु हैं इसलिए मैं उन बिन्दुओं को स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से यहां पर उठा रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि सन् 76 में 30 गांवों, जो कि अजमेर नगर परिषद् की सीमा के आसपास थे, को नगर परिषद् की सीमा में ले लिया गया। वे 30 गांव अजमेर नगर परिषद् की सीमा के अन्दर आ गये, चलो अच्छा हुआ वे 30 गांव भी शहरी क्षेत्र में आ गये। लेकिन अध्यक्ष महोदय, केवल आदेश निकलते ही वे शहरी क्षेत्र नहीं हो जाते हैं। आज तक उन 30 गांवों की उपेक्षा हो रही है। वहां पर अकाल राहत कार्य नहीं चल रहे हैं जब कि उन 30 गांवों में अकाल की भयंकर छाया छायी हुई है। अध्यक्ष महोदय, जो नगर परिषद् की सीमा में गांव नहीं हैं और

(२०)

(श्री कैलाश मेघवाल)

जो उन तीस गांवों के आसपास हैं वहां पर अकाल राहत कार्य चल रहे हैं। उन 30 गांवों में अकाल राहत कार्य नहीं चल रहे हैं उसका कारण यह है, अध्यक्ष महोदय, जो शहरी सीमा में गांव आ जाते हैं उनमें अकाल राहत कार्य हाथ में नहीं लिये जाते हैं। उनमें अकाल राहत कार्य हाथ में नहीं लिए जा रहे हैं और आस-पास के गांव में जो अकाल राहत कार्य चल रहे हैं वहां पर भी उन लोगों को नहीं लगाया जाता है। ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि उन गांवों को अकाल राहत कार्य चलने की दृष्टि से शहरी सीमा से निकाल दिया जाय। फिर मैं अकाल राहत मंत्री जी से आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर आप अकाल राहत कार्य तुरन्त चालू करें। आपको मैं इसके साथ साथ यह भी, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर अकाल की स्थिति है या नहीं इसकी आप रिपोर्ट मंगा कर देखें। आपने सूचना चाही है इसके लिए तो मैं आपका शुक्र गुजार हूं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, केवल गांवों को शहरी क्षेत्र की सीमा में ले लेने से वहां की समस्याओं का हल नहीं हो जाता। आज उन 30 गांवों में शहरी क्षेत्र की जो प्राथमिक आवश्यकतायें उपलब्ध होती हैं वे नहीं हो रही हैं। वहां पर नागरिक सुविधाओं में न सड़क है, न पानी का कोई इन्तजाम है न ही वहां पर कोई रोशनी का इन्तजाम ही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो नगरपालिका क्षेत्र की प्राथमिक सुविधायें हैं वे वहां शुरू की जायं। वहां पर पानी की भारी समस्या है इसलिए आप पानी की समस्या का हल जल्दी से जल्दी करावें। वहां पर आप अकाल राहत कार्य भी जल्दी से जल्दी शुरू करावें। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, वहां प्राथमिक सुविधाओं का तुरन्त प्रबन्ध करें। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, आपने कल एक विषय उठाया था उसके सम्बन्ध में।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में निवेदन करना चाहता हूं मुझे समय दिया जाय। मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया था उसके संबंध में निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपने जो स्थगन प्रस्ताव दिया था वह सरकार के पास सूचना मंगाने के लिए भेज दिया है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य बातें नहीं करें।

श्री राम कंवार बैरवा (फागी) : अध्यक्ष महोदय, मुझे आप दो मिनट का समय दें तो मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट में।

श्री रामकंवार बैरवा : हां, अध्यक्ष महोदय, सिर्फ दो मिनट में।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि चाकसू जयपुर जिले की एक बहुत बड़ी पुरानी तहसील है। वह तहसील तीन विधान सभा क्षेत्र में विभक्त हो रही है। इस वक्त उसमें फागी तहसील का हिस्सा, बस्सी तह-

(श्री रामकंवार बैरवा)

सील का हिस्सा, और लालसोट तहसील का हिस्सा आता है। लेकिन देश की आजादी के बत्तीस साल बाद भी जब से चुनाव प्रणाली शुरू हुई उसके पहले से वहां पर एक दसवीं क्लास तक का स्कूल है वह आज तक राजनैतिक कारणों से हायर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत नहीं हो सका है। वहां से प्रतिवर्ष 200 बच्चे 40 किलोमीटर दूर जयपुर में हायर सैकण्डरी स्कूल में पढ़ाई के लिये आते हैं। मैंने आपको आज एक काम रोको प्रस्ताव दिया है उसके तहत मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप चाकसू के सैकण्डरी स्कूल को इस वर्ष हायर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने की कृपा करें। इसके साथ ही, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आप शिक्षा मन्त्री जी को निर्देश दें कि चाकसू के सैकेण्डरी स्कूल को क्रमोन्नत करें। अध्यक्ष महोदय, अगर इसको प्रथम नम्बर में हायर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने में कोई दिक्कत आती हो तो आप हमें इसके लिये बतावें और हमें तसल्ली करावें कि किस कारण से वहां पर हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं हो सकता। अगर वहां पर आप इस वर्ष हायर सैकण्डरी स्कूल क्रमोन्नत कर देते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिये अगर हमें कोई आन्दोलन भी करना पड़ेगा तो वह आन्दोलन भी जरूर करेंगे।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट निवेदन करना चाहूंगा। मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है कि ग्रामीण क्षेत्र में इस साल भयंकर कहतशाली है और कहतशाली होते हुए भी जो पशुओं के लिये, गायों के लिये सांड और भैंसें रखे जाते हैं उनके चारे की कोई व्यवस्था वहां नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह कब दिया ?

श्री महाराम चौधरी : आज दिया सुबह।

श्री अध्यक्ष : लेट दिया क्यों ?

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आज सुबह दिया है नौ बजे था।

श्री अध्यक्ष : मेरी निगाहों में आया नहीं। आप एक दो मिनट बोल लें।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो सांड और पाड़े रखे जाते हैं उनके लिये ऐसी व्यवस्था है कि प्रतिदिन तीन रुपये रोज की व्यवस्था उनके चारे के लिये की जाती है। राज्य सरकार द्वारा अभी तक हमारे क्षेत्र में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। पंचायत समिति द्वारा वहां पर इन भैंसों और पाड़ों के लिये पैसे नहीं दिये जा रहे हैं जब कि यह अक्टूबर के माह से ही दिये जाने चाहिये। अध्यक्ष महोदय, एक तो कहतशाली में यों भी कोई चारा नहीं हुआ जानवरों के लिये, उनको चरने के लिये कोई घास नहीं इसलिये उन सांडों की रक्षा नहीं हो रही है। पशु मर जायेंगे। तो, यह पशुओं के सुधार के लिये जो हमने सांड और पाड़े रखे हैं उनसे किस प्रकार से पशुओं का सुधार होगा ? इसलिये, अध्यक्ष

(श्री महाराम चौधरी)
महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि माह अक्टूबर से तीन रुपये रोज के हिसाब से पैसे दिये जावें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आॅर्डर प्लीज। श्री भंवर लाल शर्मा।

व्यवस्था का प्रश्न

मांगों के क्रम में परिवर्तन

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, कल एक प्रश्न मैंने आपके सामने रखा था और वह प्रश्न यह था कि सदन के माननीय नेता द्वारा जन लेखा समिति की मानहानि की गयी। इसमें मेरा निवेदन यह है, अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम 143 के अन्तर्गत आय व्ययक से संबंधित अनुदानों की मांगों को सदन में विचारार्थ लिये जाने का क्रम जन लेखा समिति की सलाह पर विचार करने के पश्चात सदन के नेता निश्चित करते हैं।

दिनांक 10-3-81 को जन लेखा समिति ने अपनी बैठक में मांग संख्या 13–आबकारी एवं मांग संख्या 47-पर्यटन को भी सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने हेतु परामर्श दिया था परन्तु सदन के नेता, माननीय श्री जगन्नाथ पहाड़िया, जिनको उक्त नियम के अन्तर्गत केवल क्रम निर्धारन में ही परिवर्तन का अधिकार है, ने उसका अतिक्रमण कर इन दोनों अनुदानों की मांगों को अपनी स्वेच्छाचारिता से विलोपित कर दिया है।

इस प्रकार उनका यह आचरण जन लेखा समिति के विशेषाधिकारों का हनन है अतः विशेषाधिकार के इस प्रश्न को सदन में उठाने की अनुमति दी जाय।

इस पर आपने कहा था कि इस प्रश्न पर कल विचार कर लिया जायेगा। इस बिन्दु पर आपने जो यह कहा ...

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दी थी।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि मैंने अपने पत्र में यह कहा कि इसमें जन लेखा समिति के विशेषाधिकारों का हनन हुआ है। आपने कहा कि इसमें विशेषाधिकार का प्रश्न ही नहीं उठता तो मैं रूल 143 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। इसमें लिखा है :

"The demands for grants shall be arranged in such order as the leader of the House may, after the advice of the Public Accounts Committee has been taken into consideration, determine."

इसका हिन्दी अनुवाद यह है :
"143. अनुदानों की मांगों का विन्यास: अनुदानों की मांगें ऐसे क्रम में रखी जायेंगी जो सदन के नेता, जन लेखा समिति की सलाह पर विचार करने के पश्चात्, निश्चित करें।"

शब्द इसमें 'क्रम' है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिन्दु को समझने के लिए इसकी भूमिका के तौर पर यह समझना होगा कि जन लेखा समिति के द्वारा यह मांगें विचारार्थ क्यों आती हैं ? अगर मान लें कि मुख्य मंत्री महोदय, अपनी स्टेट का

(श्री भंवरलाल शर्मा)

करोड़ों का बजट होता है, सदन के सामने मांगों को लाना चाहें या नहीं लाना चाहें तो कोई उनको ऐसा करने से कोई रोक नहीं सकता। वे यह भी कर सकते थे कि सदन में कारागार विभाग की मांगों पर विचार कर लें देवस्थान विभाग की मांग पर विचार कर लें और बाकी सब मांगें बिना विचार किये पास कर देंगे। वे ऐसा नहीं कर सकते। कोई भी मुख्य मंत्री इस प्रकार की स्थिति नहीं पैदा करे इसलिए उस पर एक अंकुश रखने के लिए हाउस ने एक कमेटी बनाई है। उसको अधिकार दिया है कि वह विचार करे कि जहां इतने बड़े जन-धन का उपयोग होगा जिसकी स्वीकृति दी जायेगी तो कौन-कौन सी ऐसी मांगे हैं जिनको सदन में विचारार्थ लाये बिना अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए यह कमेटी, जो कि हाउस की इलेक्टेड कमेटी है, किसी की व्हिम से बनने वाली कमेटी नहीं है वह सदन की आत्मा है और सदन की ही एक कमेटी है, निर्णय लें कि इन मांगों पर सदन में विचार करना अत्यन्त आवश्यक है, सदन इन मांगों पर विचार कर सके और पूर्ण डिस्कशन होना चाहिए। यह बात विचार करके तथा अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करके कमेटी यह कहती है कि इन मांगों को सदन में विचारार्थ रखा जाना चाहिए। सदन के नेता उस पर विचार कर लें। तो जनलेखा समिति दो काम करती है। एक तो तय करती है कि इन मांगों पर सदन में विचार किया जाये और दूसरे उनका क्रम तय करती है कि इसका क्रम यह रहेगा, अमुक तारीख को यह मांग आयेगी और अमुक तारीख को यह मांग आयेगी। इस प्रकार वह क्रम भी तय करती है। ऐसी जन-लेखा समिति दो बातें तय करती है कि इन मांगों पर विचार किया जाना चाहिए और अमुक अमुक तारीख को विचार किया जाना चाहिए। अब जब सदन के माननीय नेता के अधिकार की बात आती है तो रूल 143 में साफ लिखा है कि जो क्रम है मंगलवार को कौनसी मांग रखी जायेगी, बुधवार को कौनसी रखी जायेगी, यह चेन्ज करने का अधिकार केवल नेता को ही है और उसमें लिखा भी यही है: "The demands for grants shall be arranged in such order . . . ." यह वर्ड इम्पार्टेन्ट है: ". . . arranged in such order . . ." केवल वर्ड अरेन्ज ही नहीं, अरेन्ज इन सच आर्डर है, इस तरह से व्यवस्थित करें। अरेन्ज शब्द का अर्थ डिक्शनरी कहती है, रघुवीरा की, इस शब्द अरेन्ज का अर्थ है "क्रमबद्ध करना . . . ."

श्री अध्यक्ष: एक मतलब थोड़े ही है। रघुवीरा ने लिखा है. . . .

श्री भंवरलाल शर्मा: "विन्यास करना क्रम में लगाना भी है। अब मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करता हूं जैसे आपके यहां विधान सभा में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और आप अपने किसी बाबू को कहें कि "लुक हियर, यह किताबें रखी हैं इनको अरेन्ज कर दो।" तो अरेन्ज करने का मतलब यही होगा कि उनको व्यवस्थित ढंग से रख दो। यह नहीं है कि इनमें से कोई किताब निकाल ले जाओ। यह मतलब कभी नहीं होता। अरेंज का मतलब यही होता है कि व्यवस्थित ढंग से रख दें। उस बाबू को यह अधिकार नहीं होगा कि किताबों को ले जाय। अरेन्ज का

(श्री भंवरलाल शर्मा)
मतलब तो यह है और फिर यहां तो अरेन्ज इन आर्डर लिखा है तो एक, दो, तीन, चार इस तरह से अरेन्ज होना है···

श्री अध्यक्ष : उसमें यह होगा कि कौन-कौन सी अरेन्ज करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : यस सर। ये कहेंगे कि कौन-कौन सी अरेन्ज करें।

श्री अध्यक्ष : मान लो मिक्स पड़ी हैं तो पूछेगा कि कौन-कौन सी करनी हैं?

श्री भंवरलाल शर्मा : तो आप एक सूची देंगे। P.A.C. ने सूची दी है कि इनको अरेन्ज कीजिए। तो क्रम अरेन्ज करने का ही अधिकार केवल है उसमें से विलोपित नहीं कर सकते। यहां तो विलोपित ही कर दी मांग को और इसलिए कर दी यह कोई इगनोरेन्स से नहीं हुई है। इसके पीछे तो जैसे आपराधिक वृत्ति होती है वही है। क्योंकि इसमें एक मांग आबकारी की है और जब से यह सरकार आई है तब से आबकारी की स्कीम पूरी तरह से फेल हुई है एक बहुत बड़ा कलंक सरकार के ऊपर है। अगर यह मांग सदन के सामने आती है तो इस पर बड़ा विचार होता सरकार, पूर्ण फेल हुई है यह बात सामने आती, क्या नीति है वह बात सामने आती। इसलिए उससे बचने के लिए यह दुरुपयोग और अतिक्रमण किया है। एक और किया कि यदि अकेले यही मांग वापस लेंगे तो पकड़े जायेंगे तो फिर सोचा कि किसी एक को और विलोपित करें और पर्यटन की मांग भी हटा दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि रूल 143 के अन्तर्गत सदन के माननीय नेता को केवल इतना अधिकार है कि जो पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के द्वारा निर्धारित क्रम है उसे बदल दें। जो मांगें हैं उन पर विचार किया जाना चाहिये था और उन मांगों को विलोपित करके जो निर्णय पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने किया था, उस पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के निर्णय को ठुकरा दिया, उसकी अवमानना की है।

वैसे यह कोई नयी बात नहीं है। सदन के जो नेता हैं वह इस प्रकार का आचरण करते रहते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि इस तरह का आचरण बर्दाश्त किया गया, उसको अगर चैक नहीं किया गया तो power corrupts, and absolute power corrupts absolutely. वाली बात होगी।

आप निश्चित रूप से इस कमेटी के और हमारे अधिकारों की भी रक्षा के लिए यहां हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री मेहता।

श्री माणक लाल मेहता (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आपने इन्टरप्रिटेशन किया है वह मैं समझता हूं कि तोड़ मरोड़ कर किया है। 143 में साफ लिखा हुआ है :

"The demands for grants shall be arranged in such order as the leader of the House may, after the advice of the Public Accounts Committee has been taken into consideration, determine."

(श्री माणकमल मेहता)

डिटरमिन लीडर ग्राफ दी हाउस करेगा। ग्ररेन्ज करने का डिटरमिन नहीं है। कौनसी डिमाण्ड कब ली जाये यह सारा का सारा डिटरमिन करने का अधिकार लीडर ग्राफ दी हाउस को है। उसके लिये केवल इतना है कि वह कन्सल्ट करे,

"Grants shall be arranged in such manner after taking the advice of the Public Accounts Committee".

उसके लिए ग्राब्लीगेटरी केवल पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की एडवाइस लेना है। एडवाइस ग्रगर वह नहीं लेते हैं तो ब्रीच होता है। जब उसकी एडवाइस ले ली ग्रौर एडवाइस लेने के बाद में जैसा भी उसको उपयुक्त समझा उस ग्रार्डर में ग्रगर अरेन्ज किया है तो वह पब्लिक ग्रकाउन्ट्स कमेटी के ग्रादेशों का कोई हनन नहीं है। इसमें स्पेसिफिकली लिखा है :

"He shall be the man who shall arrange and determine".

निश्चय करने का ग्रधिकार तो लीडर ग्राफ दी हाउस का है। पब्लिक ग्रकाउन्ट्स कमेटी तो केवल राय देगी ग्रौर उसकी राय उन्हें सुननी चाहिये। वह राय उन्होंने सुन ली। इसलिए इसमें कोई ब्रीच नहीं हुग्रा। उनके ग्रलावा जितनी भी डिमाण्ड्स ग्राई हैं all these demands have been considered by this hon'ble House. इसलिए खास तौर से जैसा कि आप फर्मा रहे हैं कि ग्राबकारी की डिमाण्ड थी वह हाउस में नहीं लाई गई तो जो डिमाण्ड्स बाकी रही थीं वह सारी की सारी डिमाण्ड्स यहां लाई गई हैं। इसलिए यह कहना कि उन्होंने इसको इवेड किया है ग्रौर पब्लिक ग्रकाउन्ट्स कमेटी के निर्णय को नहीं माना है, गलत है। पूरा ग्रधिकार लीडर ग्राफ दी हाउस को है। केवल एडवाइस का ग्रधिकार पब्लिक ग्रकाउन्ट्स कमेटी को है ग्रौर डिटरमिन करने का ग्रधिकार लीडर ग्राफ दी हाउस को होने की वजह से जिस ग्रार्डर में ग्ररेन्ज करना चाहिये करेंगे। उसकी सिर्फ एडवाइस लेंगे। यह इसका इन्टरप्रिटेशन है।

श्री ग्रध्यक्ष : पर्याप्त चर्चा हो गई। संक्षेप में।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, हवामहल से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने जन लेखा समिति के विशेषाधिकार का हनन, जो सदन के नेता ने किया है, का मामला रखा है। मेरा कहना है उनके इस विशेषाधिकार हनन के प्रश्न पर ग्रापने, ग्रध्यक्ष महोदय, जो कल रूलिंग दी थी उस पर ग्राप पुनर्विचार करें ग्रौर पुनर्विचार करके इस सदन में राय दें। मैं इस बात के लिए कुछ तथ्य ग्रापके सामने रखना चाहूंगा। माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रभी माननीय सदस्य महानुभाव ने जैसे चर्चा की ग्रौर and determine उन्होंने शब्द बीच में लगा दिया। इसमें "एण्ड" कहीं नहीं है। स्पष्ट रूप से 143 कहता है :

"The demands for grants shall be arranged in such order as the Leader of the House may, after the advice of the Public Accounts Committee has been taken into consideration, determine".

बीच के समाज में एडवाइस है डिटरमिन नहीं है and arrange in such order हिन्दी में बिलकुल इसी प्रकार का रूपान्तर

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)
किया हुआ है "अनुदानों की मांगें ऐसे क्रम में रखी जायेंगी"। इसके बाद में जैसा आपने कहा, यह बात सच है, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है अगर पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी सदन द्वारा निर्वाचित समिति है, 1400 करोड़ रुपये का बजट, अनुदानों की मांगें यहां पास कराई जायेंगी...

श्री अध्यक्ष : बहुत दिनों में पास की गई हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जी हां, यही कहना है। उसमें से भी जिनका जन-जीवन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। On the whim of the leader केवल मात्र गिलोटिन होकर सब मांगें पारित हो जायें यह सदन के साथ देश, प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। इसलिये पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी को यह अधिकार दिया है पहले जो विषय दिये गये वह कूड़े में फेंक दें...

श्री अध्यक्ष : वह वहीं पड़े हुए हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपने जिस वक्तव्य की चर्चा की थी उस वक्तव्य की याद दिलाता हूं आप पुनर्विचार करें। आपने कहा या सदन के नेता महोदय ने पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के अध्यक्ष से बात करके तय किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं अगर उनको सब अधिकार हैं तो अध्यक्ष से बात करने की जरूरत क्या आ गई? अध्यक्ष से बात की गई वह आश्चर्य-जनक बात है। अध्यक्ष केवल काम्पीटेंट नहीं हैं। पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी इन टोटल उसकी प्रक्रिया में है। एक निवेदन और करना चाहता हूं, आप मेरी धृष्टता को क्षमा कर, पता नहीं कैसी सलाह उनको दी गई। जैसा आपने कहा इस प्रकार के केसेज पहले भी हो चुके हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं क्रम बदलने का उदाहरण तो मिलेगा किन्तु इस विधान सभा के इतिहास में, जब से विधान सभा चली है, एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने जो मांगें रखीं उन मांगों को किसी तरह से विलोपित कर दिया हो, सदन के नेता ने सब्स्ट्रेक्ट कर दिया हो, एड कर दिया हो, उसको विलोपित कर दिया हो कोई मौका नहीं आया है। उदाहरण के तौर पर एक बात और कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, जिससे मेरी बात की पुष्टि होगी और आप पुनर्विचार करेंगे। आज सप्लीमेंट्री डिमाण्ड्स हैं। सप्लीमेंट्री डिमाण्ड्स जिनकी चर्चा हमको करनी है, वे डी.पी.ए.पी. और पर्यटन की हैं किन्तु पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने जो राय दी थी वह राजकीय उपक्रम और पर्यटन को दी थी। उन दोनों मांगों की राय दी थी। यूनेनीमस डिसीजन यहां आया है उस यूनेनीमस डिसीजन आने के पश्चात् हुआ क्या? पता नहीं कौन सी स्थिति हुई, मैं तो उदाहरण देना चाहता हूं। सरकार को पता है, सरकार इस बात को जानती है पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की रिकमन्डेशन्स के अनुसार मांग लेनी चाहिये। जो मीटिंग हुई उसमें यूनेनीमस डिसीजन उन दोनों मांगों का हुआ, राजकीय उपक्रम और पर्यटन की मांगों का हुआ किन्तु मुख्य मंत्रीजी की नींद जागृत हो गई कि राजकीय उपक्रम में इन्टर स्टेट मैटर्स आयेंगे, बिजली आयेगी राजस्थान का...

श्री अध्यक्ष : नहीं होगा...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसलिये उदाहरण दे रहा हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मांगें आने के पश्चात् मुख्य मंत्री सदन को अवोइड करना चाहते हैं, वे फेस नहीं कर सकते सदन को, वे इन्टर स्टेट मैटर्स का जवाब नहीं दे सकते इसलिए उन्होंने कहा यह दोनों मांगें कहां से आ गई किसने भेजी, इनको बदलो और बदल करके डी. पी. ए. पी. और पर्यटन कर दी। डी. पी. ए. पी. करने के बाद मुख्य मंत्री की इच्छा पूरी नहीं हो सकती थी इसलिये मैनुपुलेशन हुआ। मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया मीटिंग में क्या हुआ। चार लोग ऐसी राय दे रहे थे उनकी विरोध की राय मानी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : डी. पी. ए. पी., कहां घुस रही है इसके सम्बन्ध में···

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसलिए कहना चाहता हूं सदन अपराधी क्यों न माने, वह क्लियर हो गया। इस प्रकार की बात हुई। इसीलिये यह हुआ चार लोगों ने पक्ष में वोट दिया है, चार लोगों के बाद में शाम को 6॥ बजे अध्यक्ष ने दस्तखत करा लिये कि डी.पी.ए.पी. और पर्यटन पर विचार होना चाहिये। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा इस प्रकार की प्रक्रिया क्यों अपनानी पड़ी? यह झूठ है, षड़यन्त्र है, धोखा है। निश्चित रूप से इस पर विचार होना चाहिये कि रात के अन्धेरे में 6॥ बजे इस प्रकार फेरबदल क्यों की। यह फेर-बदल इसलिये की गई उनको पता था अगर पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की सिफारिश को बदल कर मुख्य मंत्री अपनी पावर्स का प्रयोग कर लेगा तो कटघरे में खड़ा हो जायेगा इसलिये इस जालसाजी की प्रक्रिया को अपनाया गया। यह उदाहरण दिया। मैं आपके सामने इसलिए कहना चाहता हूं कि वे जानते थे कि आर्डर तो चेन्ज कर सकता हूं किन्तु आर्डर चेंज करके मांगो को नहीं बदल सकता इसलिये यह जालसाजी की गई। यह दोनों मांगों को बदलने के लिये अभियान था। वह सदन को फेस नहीं कर सकते थे। रात के अंधेरे में शाम को 6॥ बजे बिना मीटिंग बुलाये दोनों मांगों का निर्णय लिया। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है सदन के नेता भी जानते है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो सलाह है वह उनको माननी पड़ेगी, वे केवल आर्डर चेंज कर सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप इसको सदन में रखकर निर्णय करायें। इन्टरप्रिटेशन ऑफ रूल्स का सवाल है···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कानून का मसला है, बिराजें आप।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अगर यह इन्टरप्रिटेशन ऑफ रूल्स है तो इसे प्रिविलेज कमेटी को आप सौंप दीजिये। मेरा कहना यह है। आपसे निवेदन है कि आपने जो रूलिंग दी है उस पर पुनर्विचार करें, सदन के सामने रखें। इन्टरप्रिटेशन आफ रूल्स का सवाल है, विधि विभाग से राय लें।

श्री राज बहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक मिनट चाहूंगा, गम्भीर मसला है। मैं बिलकुल मानता हूं···

श्री अध्यक्ष : आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, एनलाइटन कीजिये।

श्री राजबहादुर : मैं इसीलिये निवेदन कर रहा हूं, मेरी दिलचस्पी भी रही है। मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, जहां तक अरेंजमेंट ऑफ बिजनेस का ताल्लुक है चीफ मिनिस्टर का कनक्लूसिव राइट है डिटरमिन करने का, लेकिन चीफ मिनिस्टर को कहीं भी यह अधिकार नहीं दिया गया। He has not been given the right. यह राइट नहीं दिया कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की एडवाइस है उसको कन्सीडरेशन में लेने के बाद रिजेक्ट कर दें। यह कहीं नहीं है। कन्सीडरेशन में यह है it should be given due consideration. डिप्लोमैटिक लैंग्वेज में भी कन्सीडरेशन का शब्द प्रयोग में आता है, उस का भी यही तरीका है···

श्री माणकमल मेहता : लीडर को लाने की जरूरत क्या थी···

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : मैंने भी बहुत सब्र से सुना है।

मैं इसलिये कहना चाहता हूं जो शब्द कन्सीडरेशन है, एडवाइस है उसको रिजेक्ट करने का यदि राइट होता तो उसमें इसका संकेत होता लेकिन जो संकेत दिया है वह अरेंजमेंट का है determine to arrange the order of business वह क्लियर है इन शब्दों से arrange in such order as he may determine, जो एडवाइज है वह कन्सीडरेशन में लेनी पड़ेगी और कमेटी की जो एडवाइस है वह कन्सीडरेशन में लेने का मतलब है उसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता वरना हमारी कमेटी के अधिकारों का क्या होगा? यह मामला प्रेस्टिज का नहीं है, प्रिविलेज का सवाल नहीं है सवाल है प्रक्रिया के नियमों के अनुसार कैसे इसका संचालन हो, सवाल प्रक्रिया संचालन का है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तय किया और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो आगे के लिये प्रिसिडेंट क्या तय कर रहे हैं इसकी चिन्ता है।

श्री अध्यक्ष : स्थिति स्पष्ट है···

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) : The Committee cannot dictate. The Committee can only advise.

श्री अध्यक्ष : श्री मदेरणा।

श्री हरिदेव जोशी (बांसवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, निर्णय तो आपका होगा···

श्री अध्यक्ष : निर्णय तो हो चुका।

श्री हरिदेव जोशी : मगर एकेडेमिक डिस्कशन है। बजट किस क्रम में डिस्कस किया जाये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इसका एक बहुत लम्बा इतिहास है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का आधार भी टैक्सेज और एक्सपेन्डीचर को लेकर हुआ है। एक इतिहास रहा है कि शासक ने, मोनार्क ने टैक्सेज लगाने चाहे और जनता ने उसका विरोध किया। अध्यक्ष महोदय, इतिहास इस बात का भी साक्षी है कि जनता ने यह जानना चाहा है कि जो टैक्स लेते हैं वह खर्चा किस तरह करते हैं। इसी तरह से पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी का अभ्युदय हुआ। पार्लियामेन्ट्री

(श्री हरिदेव जोशी)

डेमोक्रेसी में यह सदन इस बात में इन्ट्रस्टेड होता है कि एक्जीक्यूटिव व्यवस्था को ठीक करती है अथवा नहीं करती है। पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी को इन्वाल्व क्यों किया गया है? पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी इस हाउस की इलेक्टेड कमेटी है अर्थात् कौन-कौन से श्राइटम डिस्कस हों, परोक्ष में इस सदन में उसकी मार्फत राय ली है।

अगर मुझे क्षमा किया जाय, अध्यक्ष महोदय, तो लीडर आफ दी हाउस को आर्डर चेन्ज करने का अधिकार इसलिए दिया जाता है, कई एग्जाम्पल्स हुई हैं भूतकाल में, पी.ए.सी. ने आर्डर इस तरह रखा कि पहले दिन अमुक-अमुक पोर्टफोलियो की डिमाण्ड डिस्कस होंगी और कहीं अत्यन्त आवश्यक कारणों से वह मिनिस्टर न रह सके ऐसी स्थिति हो तो पी. ए. सी. के आर्डर को चेन्ज किया जायेगा इसलिए आर्डर के लिए ओवर राइटिंग अधिकार लीडर आफ दी हाउस को दिए जाते हैं। अगर यह नहीं दिया जाय तो किन्हीं भी स्थितियों में जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर मिनिस्टर पर है उसका समाधान नहीं निकल सकता है। रेस्पान्सिविलिटी मिनिस्टर की है, वैसे तो कलेक्टिव रेसपान्सिबिलिटी है मगर वह मिनिस्टर यहां होना चाहिए, जो उसको जानता है। वह मिनिस्टर है तो ठीक है। लेकिन यहां जवाब ठीक ढंग से नहीं दे सके तो इसीलिए यह अधिकार दिए गए हैं कि वह अरेंजमेंट के अन्दर चेन्ज करें। पी.ए.सी. मिनियेचर आफ दी हाउस है, अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो अपने को निश्चित रूप से यह समझना चाहिए कि इस तरह से लाने की स्थिति में नहीं हैं। उसके विषय में आपने कल अपना निर्णय दे दिया है इसलिए मैं कुछ निवेदन नहीं करना चाहता हूं। मगर मैं ऐसा समझता हूं बहुत ही असाधारण स्थिति में कमेटियों, जो कि इस सदन के प्रतिनिधि हैं, की मंशा को इधर-उधर किया जाना चाहिये, यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री परसराम मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, रूल 143 को पढ़ने के बाद में मुझे भी कुछ भ्रांति हो गई है। दुबारा व्यवस्था आ जायेगी और पहले व्यवस्था दे दी गई है, इसकी भी मुझे अभी जानकारी मिली थी लेकिन उस व्यवस्था को यथावत् रखते हुए मेरे दिमाग में भ्रान्ति यह है कि Arrange in such order. जैसा कि बांसवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे इसका मतलब है डिमाण्ड्स के लिए पर्टीकुलर डे अरेन्ज करेगा। किन्तु प्रश्न यह है, अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं समझा हूं कि डिमाण्ड्स की जो एडवाइस ग्रुप में पी. ए. सी. ने दी है, किस पर्टीकुलर डे को इस आर्डर के साथ एक, दो, तीन, पहले दिन दूसरे दिन, तीसरे दिन—कौनसी डिमाण्ड ली जायेगी? यह डिटरमिन करना चाहिये लीडर आफ दी हाउस को। मैं यह नहीं समझता कि पी.ए.सी. ने जिन डिमाण्ड्स को लेने के लिए तय किया है वही ली जायं क्योंकि हाउस की पी.ए.सी. यह तय कर देती है कि ये डिमाण्ड्स जो ली जायेंगी वह 10 दिन ली जायेंगी। डिमांड 49 हैं जिनका कल आपने वोटिंग कराया था, उन 49 डिमाण्ड्स में से कितनी डिमांड कौन से ग्रुपिंग में ली जा सकती हैं, 10 दिन में कौनसी ली जा सकती हैं यह ट्रेजरी

(श्री परसराम मदेरणा)

वेन्चेज और उसकी सुविधा के अनुसार लिया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि पी.ए.सी. की एडवाइस है वह लीडर ग्राफ दी हाउस के लिए मेन्डेटरी आब्लीगेटरी नहीं है। वह किसी को ड्राप कर सकते हैं और किसी को इन्क्लूड कर सकते हैं। हालांकि पी.ए.सी. की इस प्रकार की कोई एडवाइस नहीं है। मैं समझता हूं कि "..arranged in such order..." मेरे कहने का मतलब यह है कि पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी का पहले का कन्वेन्शन रहा है–इस हाउस के अन्दर, तो क्या पूर्व में भी पी.ए.सी. ने डिमांड्स को लेने की बात कही है ? प्रश्न आर्डर का नहीं है, मैं इस आर्डर को देख रहा हूं कौन-कौन से मिनिस्टर के कौन-कौन से पोर्टफोलियो के आर्डर बना दिए जायं, यह रहेगा। आर्डर का मतलब अगर यह है, और आपने यह व्यवस्था दी है तो मुझे कुछ कहना है नहीं। मेरा मतलब आर्डर से यह है कि पर्टीकुलर डे को कुछ डिमाण्ड्स फ्लोर आफ दी हाउस पर ली जायंगी और इसी तरह आर्डर तय करेंगे जो एडवाइस है ? अब जो एडवाइस है वह मेन्डेटरी नहीं है आब्लीगेटरी नहीं है, लीडर के लिए लेकिन हाउस के कुछ कन्वेन्शन्स होते हैं। आज जीरो आवर के अन्दर कनवेन्शन्स क्यों डवलप हुए हैं ? अगर इस तरह मानेंगे तो हाउस में वह कन्वेंशन बना है। आज इंगलैण्ड का संविधान अनरिटिन है, वह लिखा हुआ नहीं है, फिर भी अपने देश की सरकार चला रहा है और चलती आई है। जैसा उन्होंने कहा ठीक कहा है, पी. ए. सी. हाउस की इलेक्टेड कमेटी है। इस हाउस की जितनी कमेटीज हैं 12–13, कमेटीज को नामिनेट करते हैं। हाउस की तीन फाइनेन्शियल कमेटीज हैं जिनका उल्लेख अभी बांसवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने किया है। इतिहास है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का उस इतिहास के बाद भी यह थाया है No taxation without representation. उसका मतलब जनता के प्रतिनिधि टैक्स लगावेंगे। जो कान्स्टीट्यूशन के आर्टिकल 208 के नीचे हमने नियम बनाये हैं उनमें फाइनेन्शियल कमेटीज का ही इलेक्शन रखा है–बाकी के लिए नामिनेशन रखा है। हालांकि आपको अधिकार है दूसरी कमेटीज में हम जाकर बैठते हैं और काम करते हैं वे कमेटी इलेक्टेड नहीं होतीं, अध्यक्ष महोदय को नामिनेट करने के अधिकार दिये गये हैं इन नियमों के अन्तर्गत। यह हाउस की मिनियेचर है पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी, फाइनेन्शियल कमेटी है, इसका मतलब पूरे सदन का प्रतिनिधित्व करती है। पूरा सदन जिस बात को तय करे, मैं समझता हूं, उस बात को लीडर आफ दी हाउस, लीडर आफ दी अपोजीशन या कमेटीज के चेयरमैन को कोई ओवर-आल चेन्ज करने का अधिकार नहीं हो सकता है। यह इनप्रिन्सिपल भी नहीं हो सकता है। ऐसी सूरत में मैं निवेदन करूंगा.. "..arrange in such order..." साथ में है। इस तरह डिमाण्ड को लेने और डिलीट के सम्बन्ध में नहीं है। हो सकता है मेरा इन्टरप्रिटेशन गलत हो। डिटरमिन वे करेंगे, डिटरमिन क्या करेंगे ? डिटरमिन उस आर्डर को करेंगे और उस आर्डर को कैसे रखेंगे। वह आर्डर वे अरेन्ज करेंगे उसकी एडवाइस पर, वर्ड एडवाइस का कतई यह इन्टरप्रिटेशन नहीं

(श्री परसराम मदेरणा)

लगा सकते हैं। पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी और इस सदन के संविधान के अन्तर्गत, जो नियम बने हुए हैं केवल एडवाइस का मतलब यह नहीं है एडवाइस ले ली और लीडर को पूरी स्वच्छन्दता है, पूरी स्वतन्त्रता है कि किस डिमाण्ड को वे लें और किस डिमाण्ड को ड्राप कर दें। मैं समझता हूं आपने दो, तीन डिमाण्ड की बात कही उनके बारे में पी. ए. सी. में क्या हुआ, यह मुझे नहीं मालूम। पी. ए. सी. की इस डिमाण्ड के बारे में दो बार अवश्य मीटिंग हुई है–एक बार पहले हुई है और एक बाद में हुई है। और बाद में उसको डिटरमिन करने का कम से कम यह मतलब हो सकता है कि सप्लीमेंट्री डिमाण्ड्स आ रही हैं उसके अन्दर अगर समय नहीं मिलेगा तो इन डिमाण्ड्स को सप्लीमेंट्री डिमाण्ड्स में रख देंगे उसमें से पर्यटन तो आज आ चुका है। इसलिये एक अवसर तो मिल गया। आबकारी के बारे में आपको समय नहीं मिला। आबकारी के सम्बन्ध में आप जानते हैं बहुत ही कम बजट है।

श्री अध्यक्ष : आबकारी को इन्होंने स्वयं ने ही लो प्रायोरिटी में डालकर उसकी जगह पब्लिक अंडरटेकिंग दिया है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सप्लीमेंट्री के लिए ?

श्री अध्यक्ष : इसके लिए ही तो निवेदन कर रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : इसका मतलब यह है, प्रश्न यह है कि जो कन्वेन्शन इस हाउस के हैं, इस पर तो एनलाइटन सेक्रेटेरियट ही कर सकता है अगर पूर्व में इस प्रकार के कन्वेंशन रहे हैं कि पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने जो एडवाइस दी है वे कमेटी ने अपनी रिकमण्डेशन आफ डिमाण्ड्स करते वक्त अरेंजमेंट तय करने के लिए दी है, तो उचित है। अगर ऐसा नहीं है, मैं समझता हूं, पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के अधिकारों को सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, जरा मुझे भी स्पष्ट करने दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : ज्यादा डिबेट नहीं होगी। विधि मन्त्री और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मन्त्री जी।

श्री हीरालाल देवपुरा : (मंत्री, संसदीय-कार्य) अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्बन्ध में ज्यादा निवेदन नहीं करना। अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था इस सम्बन्ध में हो चुकी है और मेरी मान्यता है और अब तक की कन्वेन्शन यह रही है कि अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था हो जाने के बाद उस बिन्दु पर दुबारा कोई चर्चा नहीं होती।

श्री अध्यक्ष : After pronouncement of judgement all is finished.

श्री हीरालाल देवपुरा : फिर भी आपने, अध्यक्ष महोदय, क्योंकि कल व्यवस्था दी, इसलिये यह चर्चा शुरू हुई। मेरा निवेदन है कि रूल 143 को आपने अपनी व्यवस्था में बिलकुल स्पष्ट बताया है। पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की एडवाइस इसमें आवश्यक है और

(३२)

(श्री हीरालाल देवपुरा)

मैं यह भी मानता हूं कि पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की एडवाइस को पूरा वजन दिया जाना चाहिये। इसमें कोई ऐसी खास वजह नहीं है, कोई भी अवमानना का प्रश्न पैदा नहीं होता। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, कल आपने अपनी रूलिंग में, अपनी व्यवस्था में यह कहा है कि ये जो कुछ भी छोटा सा परिवर्तन हुआ है, वह परिवर्तन सदन के नेता ने पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के चेयरमैन से बात करने के बाद किया है। ऐसी स्थिति में इसको इस तरह से नहीं लिया जाना चाहिए कि पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की कोई अवमानना की हो। पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी को पूरा महत्व दिया गया है। इसलिए इसमें रूल 143 के इन्टरप्रिटेशन की बात एक जगह है लेकिन जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया है कि विशेषाधिकार का हनन होने का प्रश्न है तो हनन नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आपने रूलिंग दी है वह आपने रूलिंग बिल्कुल ठीक दी है और उसको यथावत् कायम रखना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, दुबारा चर्चा नहीं होगी। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। स्थिति स्पष्ट है मेरे दिमाग में, इसलिए···

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : अरेन्जमैन्ट पर सैल लगा है, न कि डिटरमिन पर सैल लगा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने कल एक विशेषाधिकार के हनन का मामला मुख्य मंत्री जी के विरुद्ध प्र॰ कया था।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज।

उस पर आसन ने यह निर्णय लिया था कि इसमें सदन के किसी विशेषाधिकार का हनन नहीं हुआ है। लेकिन उसके बाद भी माननीय सदस्य, जिन्होंने वह प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, ने कुछ बातें कहीं। उस वक्त मैंने माननीय सदस्य से यह निवेदन किया था कि जहां तक रूल 143 का प्रश्न है, उसमें नेता और पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी दोनों को मिलकर मांगों के क्रम को तय करने का अधिकार है। लेकिन उसमें पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की राय प्राप्त करने के बाद में आखिरी निर्णय नेता लेगा। माननीय सदस्य ने बार-बार एवं अन्य माननीय सदस्यों ने, सिवाय एक दो के, इस बात पर जोर दिया कि पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की राय को पूरा वजन दिया जाना चाहिए। मैं इस राय से सहमत हूं। लेकिन जो नियमों में प्रावधान है अभी क्योंकि कल, याद होगा माननीय सदस्यों को, मैंने यह निवेदन किया था कि अन्य कोई ऐसा नियम है जिसके अनुसार कौन-कौन सी मांगें विचारार्थ ली जायें सदन में, जिनके ऊपर वाद-विवाद हो, ऐसा कोई अधिकार पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी को है? आज मैंने दुबारा पूछा तो ऐसा कोई नियम नहीं बता सके। केवल 143 है, उसका इन्टरप्रिटेशन माननीय सदस्य, जिन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, का यह है कि कौन-कौन सी मांगों पर वाद-विवाद होगा, यह निर्णय करेगी पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी और वह किस क्रम में या किस ऑर्डर में ली जायेंगी, वह निर्णय करेगा, सदन का नेता। किस क्रम में ली जायेंगी, इतना तो अधिकार है। क्रम के अन्दर यह बात

(श्री अध्यक्ष)
तो है नहीं कि कोई मांग सदन में आती ही नहीं हो। क्रम का मतलब जो 27 तारीख को रखी गयी गुलोटीन द्वारा, वह भी एक क्रम है। इस क्रम के अन्दर जो आपने सुझाव दिया था कि उसको किस क्रम में लिया जाय उनको रखा गया। यदि नियम 143 हम ध्यान से पढ़ें तो उसमें उसको दो हिस्सों में विभक्त नहीं किया गया है कि पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी यह निर्णय करेगी, कि कौन कौन सी मांग को विचारार्थ लिया जाय उसके बाद में सुझाव देगी कि किस क्रम में ली जायं और उसके बाद में सदन का नेता उस क्रम को तय करेगा। इसका कुल मिलाकर जो प्रश्न बनता है, वह यह बनता है कि पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी नेता के सामने अपने सुझाव रखेगी, क्रम के बारे में। क्रम का मतलब यह है कि जो गुलोटीन में जाने वाली हैं या यों मैं कह दूं, उसको थोड़ा सा सरल करके, हल्का करके कि नेता ऐसा भी कर सकता है, यह मान लीजिए। तो इसका मतलब यह भी है कि इण्डिपेंडेंट या अलग कोई अधिकार पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी को नहीं है, जिसका आप दो मतलब निकालना चाहते हैं कि पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी यह बतायेगी, कौन सी मांगें ली जायेंगी, उसके बाद में क्रम लीडर बतायेगा। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं इस पर मैं आवश्यक समझता हूं कि इसके लिए नियमों के अन्दर संशोधन यदि नियम समिति उचित समझे तो वह विचार व्यक्त कर दे तो उसके अनुसार नियमों के अन्दर संशोधन कर दें। इसलिए वर्तमान में अपना जो निर्णय है, उस पर पुनर्विचार करने के लिए मैं तैयार नहीं हूं, लेकिन जो चर्चा हुई है, सदन के अन्दर···

श्री भंवरलाल शर्मा : बाद में आपने इतना तो फर्मा ही दिया कि नियम समिति यह देखे कि क्या इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। मेरा निवेदन है कि ये अधिकार भी दे दें कि जो हम कह रहे हैं, अगर वह इन्टरप्रिटेशन है तो वह भी राय दे दें और यदि नहीं है तो परिवर्तन करें, इतना तो कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष : आपने वाद-विवाद किया इस पर नियम समिति विचार करे। अपना स्वयं का, सदन का अभिमत है, वह भी व्यक्त करे और सदन के लिए और जन हित के लिए कौन सी व्यवस्था ज्यादा उपयुक्त होगी या उपयोगी होगी उस पर उसको निर्णय करने का अधिकार है। इसलिए शेष भाग जो मैंने पूर्व में व्यवस्था की है वह यथावत् कायम रखें। इस प्रश्न को नियम समिति के सामने विचारार्थ उनके सुझाव हेतु अथवा नियमों में परिवर्तन करने हेतु, संशोधन करने हेतु मैं प्रस्तुत करता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : फिर क्या होगा ?

श्री परसराम मदेरणा : हाउस का यह कन्वेन्शन रहा है...

श्री अध्यक्ष : जब तक संशोधित न करे तब तक जो आसन ने कह दिया, वह सही है, वह स्पष्टीकरण कर देंगे, उसके बाद वे जो कहेंगे, वह सही होगा। आगे के लिए।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, हाउस का कन्वेन्शन तो यह है कि पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी जो राय देती है, उसको चेन्ज नहीं करना चाहिए। मगर जनता पार्टी ने कन्वेन्शन को चेंज किया और पिछले बजट के अन्दर जो पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी

(श्री हरिदेव जोशी)
ने सुझाव दिये थे, उसमें परिवर्तन कर दिया। मैं फैक्ट कह रहा हूं।

श्री भंवर लाल शर्मा : इससे क्या हुआ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर चर्चा समाप्त हुई।

श्री राज बहादुर : Two wrongs do not make one right.

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने इसको रूल्स कमेटी को भेज दिया और मानों रूल्स कमेटी ने यह फैसला कर दिया कि रूल 143 का इन्टरप्रिटेशन मेरा ठीक है तो आपके निर्णय की क्या स्थिति होगी ?

श्री अध्यक्ष : इन्टरप्रिटेशन जो उसका किया है, वह आज दिन तक तो ठीक है। अगर समझते हैं कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए तो नया नियम बना लें।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, रूल्स कमेटी तो नए रूल का सुझाव दें सकती है but it is not over and above the head of the Speaker.

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक निवेदन और है, माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं आपसे यह तो नहीं कहता, पुनर्विचार की मैंने अपील आपसे पहले की थी, मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं कि दोनों प्रकार के यहां विचार आ गए हैं, इण्टरप्रिटेशन्स आ गए हैं तो प्रिविलेज कमेटी इस पर विचार करके अपना निर्णय दे सकती है तब तक आप अपने निर्णय को स्थगित रखें।

श्री हरिदेव जोशी : यह मेरी आपसे अपील है। Interpretation of the Speaker cannot be discussed.

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पुनर्विचार की अपील है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र, पंचायत मंत्री जी।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर (पंचायत मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं, सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं:--

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 4/एलजे 1/पीटी/ए आर/80/372, दिनांक 31 दिसम्बर, 1980.

(2) अधिसूचना संख्या एफ 4/एलजे/पीटी/ए आर/6/72/373, दिनांक 31 दिसम्बर, 1980

(3) अधिसूचना संख्या एफ. 4(1) एल जे/ए आर/सी डी पी/81/56, दिनांक 30 जनवरी, 1981 एवं

(4) अधिसूचना संख्या एफ. 4(2)/एलजे/ए आर/सी डी पी/81/71, दिनांक 3 फरवरी, 1981।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री अध्यक्ष : परिवहन मंत्री श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 79-80 सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर (परिवहन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं पथ परिवहन अधिनियम, 1950 की धारा 35 (3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1979-80 सदन की मेज पर रखता हूं।

समिति का प्रतिवेदन
नियम समिति का प्रथम प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदन का उपस्थापन श्री हरिदेव जोशी, संयोजक, उप समिति, नियम समिति, 1980-81 समिति के प्रथम प्रतिवेदन के सम्बन्ध में समिति का अन्तिम प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

श्री हरिदेव जोशी (संयोजक, उप समिति, नियम समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम समिति, 1980-81 के प्रथम प्रतिवेदन के सम्बन्ध में समिति का अन्तिम प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

शासकीय वक्तव्य

पुलिस लाइन चित्तौड़गढ़ से गायब राइफल

श्री अध्यक्ष : मंत्री द्वारा वक्तव्य। माननीय मुख्य मंत्री जी।

इसमें अभी प्रतिवेदन पेश हुआ है। माननीय सदस्यों को सर्क्यूलेट होगा उसके बाद में अवसर दिया जाएगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से, with your permission.

श्री अध्यक्ष : Yes.

श्री कैलाश मेघवाल के स्थगन प्रस्ताव पर वक्तव्य दिया जा रहा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 30-1-78 को संचित निरीक्षक पुलिस लाइन, चित्तौड़गढ़ ने पुलिस अधीक्षक, चित्तौड़गढ़ को लिखित में सूचना दी कि पुलिस लाइन के कोथ इन्चार्ज हैड कान्स्टेबल श्री नानगराम को कई बार हथियारों का भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश दिये गये मगर वह सत्यापन नहीं करा रहा है। इस पर हैड कान्स्टेबल श्री नानग राम को भौतिक सत्यापन कराने हेतु पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देश दिये गये मगर उसने इन हथियारों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया और सम्बन्धित रजिस्टर रिकार्ड आदि चित्तौड़गढ़ में आई बाढ़ के समय इधर उधर रख देना बताकर टालता रहा। इस पर अन्य हैड कान्स्टेबल को कोथ का चार्ज देने हेतु हैड कान्स्टेबल नानगराम को निर्देश दिये गये परन्तु उसने फिर भी चार्ज नहीं दिया और आनाकानी करता रहा।

(12-55 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत, सभापति, पदासीन)

उप महानिरीक्षक पुलिस, उदयपुर रेंज द्वारा इस हैड कान्स्टेबल नानगराम को दिनांक 22-4-78 को भीलवाड़ा जिले में स्थाना-

(श्री प्रद्युम्न सिंह)
न्तर कर दिया गया और इसे तत्काल रिलीव करने के आदेश दिये गये मगर वह ड्यूटी से अनुपस्थित हो गया जिस पर दिनांक 18-5-78 को इसे स्थानान्तरण पर जाने हेतु रिलीव किया जाकर सूचना उसके निवास स्थान पर भेज दी गई।

तत्पश्चात् इस हैड कांस्टेबल को कई बार निर्देश दिये गये कि वह पूरा चार्ज दे मगर उसने पूरा चार्ज नहीं दिया। रजिस्टर हथियार आदि देखने से ऐसा भी आभास हुआ कि कई रजिस्टरों में हैड कांस्टेबल द्वारा फर्जी इन्द्राज किये गये हैं और रजिस्टर के अनुसार हथियार कोष में उपलब्ध नहीं हैं जिस पर पुलिस अधीक्षक, चित्तौड़गढ़ द्वारा उप पुलिस अधीक्षक, चित्तौड़गढ़ की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन दिनांक 24-6-78 को किया गया। उप अधीक्षक पुलिस के स्थानान्तरण हो जाने के कारण कमेटी द्वारा जांच पूर्ण नहीं हो सकी।

मामले की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक, चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 10-4-80 को अपराध निरीक्षक को जांच के आदेश दिये गये जिसने 1969 से 1978 तक, दस वर्ष के लिए विभिन्न थानों से पुलिस लाइन में जमा कराये गये शस्त्रों के बारे में जांच की। अपराध निरीक्षक ने अपनी प्राथमिक जाँच से विभिन्न थानों से वर्ष 1969 तथा 1978 के बीच हैड कान्स्टेबल नानगराम द्वारा प्राप्त विभिन्न प्रकार की 28 बन्दूकें, 1 रिवाल्वर व 48 कारतूसों को कोष में जमा नहीं कराना एवं खयानत करना अभी तक की जांच से पाया। इस रिपोर्ट पर पुलिस अधीक्षक, चित्तौड़गढ़ द्वारा हैड कांस्टेबल के विरुद्ध अभियोग पंजीबद्ध करने के आदेश दिये जिस पर थाना चित्तौड़गढ़ में अभियोग संख्या 258, दिनांक 15-5-80 धारा 409 ता. हि. में पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

उपरोक्त गायबशुदा हथियारों के असल मालिकों को तलाश कर उनसे अनुसंधान किया जा रहा है। अब तकनीकी तफतीश से सरकारी हथियारों में से भी एक बाइस बोर गन, 63 टोपीदार बन्दूकें, तीन रिवाल्वर, 5 ग्रेनेड एवं 2361 विभिन्न प्रकार के कारतूस गायब मिले हैं। अभियोग की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक, राजस्थान द्वारा इस अभियोग के अनुसंधान हेतु सी. आई. डी. अपराध शाखा के अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में विशेष अनुसंधान दल गठित कर दिया गया है.......

श्री सुनील कुमार विश्नोई (सूरतगढ़) : माननीय सभापति महोदया, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा···

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : माननीय सभापति महोदया, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था और मेरे स्थगन प्रस्ताव के आधार पर अभी राजकीय वक्तव्य आया है इसमें बहुत ही गंभीर कुछ तथ्य और नियमों की स्थिति भी सामने आई है। माननीय सभापति महोदया, जो बयान आया है, इस बयान के कुछ मोटे तथ्य अगर, माननीय सभापति महोदया, आपने सुने हैं तो उससे यह प्रकट होगा कि आखिर राजस्थान का प्रशासन चल कैसे रहा है। यह तो...

श्री चेतराम मीणा : यह तो आपके समय का है।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : शासन ही नहीं चल रहा है न राशन है, न शासन है, दोनों ही नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य : प्रासन तो है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदया, मेरा आपसे एक निवेदन है कि यह बहुत गम्भीर मसला है। चाहे जनता पार्टी के वक्त में बिगड़ा हो, चाहे कांग्रेस शासन के वक्त में बिगड़ा हो लेकिन, माननीय सभापति महोदया, मैं आपके द्वारा इस सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि एक-बार वे तथ्य सुन लें। इसलिए सुनलें कि हमारी स्थिति विधायक की स्थिति है, हम विधान मण्डल के रूप में राजस्थान विधान सभा के सदस्य के रूप में यहां बैठे हैं। हम यहां पर कानून बनाते हैं, कानून बनाने के बाद में हम ये नियम भी बनाते हैं, उनको अप्रूव करते हैं। कानून बना करके उसमें किसी अधिकारी को नियम बनाने का अधिकार देते हैं और हम इस बात से निश्चित हो जाते हैं कि हमने इस कानून को बना दिया, इस कानून के अन्तर्गत हमने नियम बना दिये हैं। यह तो हुई हमारी बात लेकिन उन कानूनों की पालना हो रही है या नहीं उन कानूनों के अनुसार काम हो रहा है या नहीं, ऐसे मौके विवेचन करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए बहुत कम आते हैं। इसलिए माननीय सदस्यों से मैं, माननीय सभापति महोदया, आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि मान लिया, आपने कहा कि जनता पार्टी के शासन में हुआ था, हुआ। उस वक्त में गल्तियां हुई उस समय कानून का पालन नहीं हुआ लेकिन उसके पहले 69 से क्या हुआ ? माननीय सभापति महोदया, कोल्ड फैक्ट्स माननीय राज्य मंत्री महोदय, जो गृह मंत्री जी को डेपूटाइज कर रहे हैं, ने दिये हैं। वह यह दिये हैं कि 69 से 78 तक की उन्होंने जांच कराई है। अब 69 से 78 में--77–78 का एक साल का अपराध जनता पार्टी को दे दीजिए, हमको आप कह दीजिए लेकिन 69 से 76 तक का कौन जिम्मेदार होगा ? मैं इस बारे में कोई आरोप–प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहूंगा। मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से, माननीय सभापति महोदया, हम देखें कि तथ्य क्या हैं और इन तथ्यों के आधार पर नियमों की स्थिति क्या है। कानून क्या बताता है देश का, बहुत गम्भीर मसला है।

माननीय सभापति महोदया, जो अभी माननीय गृह राज्य मंत्री महोदय ने स्टेटमेंट दिया है, उसमें कहा है यह 38 हथियार प्राइवेट पार्टीज के नहीं है, सरकारी बन्दूकें हैं। एक मैं कुछ और जल्दी जल्दी में आपको लिखना भूल गया, माननीय सभापति महोदया, उसके बाद शायद आपने कहा भी है, या नहीं कहा है, थ्री नाट थ्री के 1300 कारतूस गायब हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, मेरे पास पुलिस अधीक्षक, चित्तौड़ द्वारा पुलिस में लिखी हुई एफ. आई. आर. की नकल है। हैड कांस्टेबल नानगराम, जिसको कोथ इन्चार्ज कहा जाता है, के द्वारा, अदालत में दिये गये प्रार्थना-पत्र और शपथ-पत्र की नकल मेरे पास मौजूद है। न्यायालय का जो निर्णय हुआ वह भी मौजूद है। माननीय सभापति महोदया, सवाल यह है कि सीक्वेंस

(38)

(श्री कैलाश मेघवाल)

जो चलती है, मैं शुक्रगुजार हूं माननीय मंत्री महोदय का कि उन्होंने तथ्य तो करीब करीब सत्य बता दिये। तथ्य चालू होते हैं, 30-1-78 से पहली बार, माननीय सभापति महोदया, यह मालूम पड़ा कि कोथ में से हथियार गायब हैं। कोथ वह स्थान होता है, माननीय सभापति महोदया, आपको तो मालूम होगा, लेकिन माननीय सदस्यों को सूचना के लिए निवेदन कर दूं, जो पुलिस लाइन्स होती है, उस पुलिस लाइन्स में जो हथियार रखने का स्थान होता है, शस्त्रागार, उसको कोथ कहते हैं। तो पहली बार 30-1-78 को मालूम पड़ा कि सरकारी शस्त्रागार से शस्त्र गायब हैं। माननीय सभापति महोदया, यहां पर हम कई बार चिंता व्यक्त करते हैं, बड़ी आशंका व्यक्त करते हैं कि राजस्थान में डकैतियां पड़ रही हैं, राजस्थान में डाकुओं के पास सरकारी हथियार मिल रहे हैं, राजस्थान में डाकुओं के पास सरकारी कारतूस मिल रहे हैं तो इसलिए भी यह बहुत गम्भीर मसला हो जाता है। आखिर 69 से 78 तक इसका रेंज है और उस रेंज के बाद अगर जांच पूरी नहीं हुई तो माननीय गृह राज्य मंत्री जी इस बात को स्वीकार करेंगे कि अभी जांच पूरी नहीं हुई। एक तारीख आपने दी है वह भी मुझे शायद गलत इसलिए लगती है, ठीक है कि एस.पी. चित्तौड़ ने 10-4-80 को शायद जांच के आदेश दिये थे, एफ. आई. आर. में भी लिखा है एस. पी. चित्तौड़ ने कि 10-4-80 को उसने अपने सहायक को आदेश दिये थे जांच के। या तो यह मेरी प्रमाणित प्रतिलिपि गलत हो सकती है जिसमें लिखा है कि "10-4-80 को जांच निरीक्षक को विस्तृत जांच हेतु श्री ओंकार लाल व्यास, निरीक्षक पुलिस कार्यालय हाजा को दिनांक 10-4-80 को मुकर्रर कर आदेश दिया कि सन् 1969 से 1978 तक जिले हाथा के हाथा से जो शस्त्र पुलिस लाइन की कोथ में जमा हुए हैं, उनका भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट पेश करें। उन्होंने पहली रिपोर्ट 23-4-80 को दी और पहली रिपोर्ट आने पर एस. पी. ने पुलिस स्टेशन पर एफ. आई. आर. दे दी। लेकिन जांच अभी चालू है। और जाँच इसलिए चालू है, माननीय सभापति महोदया, तथ्य आपकी सूचना के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि 200 प्राइवेट हथियार आपके कोथ में और पाये गये। 200 प्राइवेट हथियार। माननीय मंत्री जी, आप इन तथ्यों का पता लगाइये। 200 हथियारों के बारे में कुछ नहीं कहा। यह ठीक है आपने कहा, 5 थ्री नाट थ्री की राइफलें ज्यादा हैं। यह आपको मालूम नहीं होगा आपके अधिकारियों से कन्फर्म कर लीजिये। आखिर यह फैक्ट्स हैं कि चित्तौड़ शस्त्रागार का जो सरकारी रजिस्टर है पांच राइफलें थ्री नाट थ्री की उसके अनुरूप न होकर ज्यादा हैं। माननीय सभापति महोदया, यह तो अच्छा हुआ कि किसी को पता नहीं पड़ा। कोथ की जिसके पास भी यह चाबी रहती है, आखिर पांच हथियारों को, थ्री नाट थ्री की राइफलों को वहां से उठाकर चम्बल तक पहुंचा देता है और पकड़ में भी नहीं आता, इसलिए ज्यादा है। यह जांच के सामने आया है। इसलिए जांच पूरी नहीं हुई। अच्छा है, इसकी जांच हो रही है। लेकिन

(श्री कैलाश मेघवाल)

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ग्राम्र्स जैसे विषय में 30-1-78 को यह बात मालूम पड़ गई। 30-1-78 के बाद एस.पी. ने क्या कहा ? आपने, माननीय मंत्री जी, जो बयान पढ़ा मुझे अफसोस है, और इसलिए अफसोस है कि आप चाहते तो बयान दूसरी तरह से पढ़ सकते थे। मैं पूछना चाहता हूं एक हैड कांस्टेबल की क्या औकात थी ? बार-बार निर्देश देने पर हैड कांस्टेबल ने शस्त्रागार का निरीक्षण नहीं किया, यह आपने कहा। मुझे अफसोस होता है, राजस्थान के आई.जी.पी. से लगाकर हैड कांस्टेबल होता है हैड कांस्टेबल के ऊपर सब इन्सपेक्टर होता है। सब इन्सपेक्टर से लगाकर क्या आई. जी. पी. तक सारे अधिकारी निकम्मे हैं, बेकार हैं ? उनका कोई कर्तव्य नहीं कि हैड कांस्टेबल को निर्देश जायं। एस. पी. ने कहा सत्यापन कराओ करा दिया। आपने ही स्टेटमेंट दिया है। आपने खुद इस बात को साबित किया है। माननीय सभापति महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान के हैड कांस्टेबल से ऊपर का प्रशासन आज पंगु है। कोई अधिकारी नहीं है, उसकी कोई क्षमता नहीं है, यह आपने साबित किया है। फिर माननीय सभापति महोदया, तथ्य कुछ और भी हैं। आपने भी बयान पढ़ा होगा जो नानगराम ने अदालत में दिया है। उसने कहा है मैं तो हैड कांस्टेबल हूं मेरी कोई स्थिति नहीं है। यह हथियार बड़े ऑफिसरों ने,

(1.5 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

दिये 69 से 70 तक। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज माननीय मंत्री महोदय को मेरी परेशानी समझ में आ रही है लेकिन मैं चाहता हूं कि आज मैं तथ्यों का विश्लेषण करूं। आज के नियमों की परिस्थिति आपके सामने प्रकट करने के बाद शायद आप भी प्रशासन में कुछ सुधार कर सकें। आखिर यह हथियार कहां गये ? आप खुद मंत्री नहीं हैं आप डेपूटाइज कर रहे हैं। आप डेपूटाइज कर रहे हैं तो यह बात पहुंचा दें। कलेक्टिव रेस्पांसिबिलिटी की प्रस्तुति के रूप में केबिनेट मंत्री भी कुछ बिराजे हुए हैं। आपको अधिकार दिया शायद इसके कुछ कारण हैं। यह आपने बयान दिया। हमारे क्या नियम बने हैं ? तथ्य भी रख दिये मैंने, आपने रख दिये। कुछ तथ्य आपने कम रखे। जांच चालू है। थ्री नाट थ्री की पांच राइफलें आपके रिकार्ड में ज्यादा हैं। 1300 कैट्रिजेज थ्री नाट थ्री की जिसकी रेंज दो मील तक मार करने की है और एक मील की अफेक्टिव मार जिसकी होती है, जिसका डाकू प्रयोग करते हैं, डाका डालने में, वे भी गायब है। और 200 हथियार प्राइवेट पार्टी के आपके कोष में पड़े हुए हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है। यह तथ्य मैं और सप्लीमेंट कर रहा हूं। आपके तथ्यों के साथ यह तथ्यों की स्थिति आ गई, माननीय अध्यक्ष महोदय। अब कानून की व्यवस्था, नियमों की व्यवस्था क्या है ? आंकड़े आपने पढ़े, बहुत देर से आंकड़े मैं देख रहा था। अध्यक्ष महोदय, जब से सदन की कार्यवाही चालू हुई है तब से बराबर मंत्रीजी, कम्यूनिकेशन के सोर्स हैं, आज तो आपने कानून की स्थिति बताई

(श्री कैलाश मेघवाल)

उन कानूनों की पालना हो रही है देखना ये है। तो तथ्य तो यह है, 69 से हथियार गायब होते रहे हों कानून हमने बना रखे हैं, केन्द्र की पार्लियामेंट द्वारा सन् 1959 में आर्म्स एक्ट बनाया गया। पुराना भी नहीं है। इण्डियन आर्म्स एक्ट 1959 में केन्द्रीय पार्लियामेंट के द्वारा बना है। 1962 में उस पार्लियामेंट ने अधिकार दिया नियम बनाने का, उसके तहत नियम बने हुए हैं। पहले प्राइवेट हथियारों को लेता हूं, यह सारे हथियार कैसे रखे जाते हैं। यह इण्डियन आर्म्स एक्ट का सैक्शन 21 यह है जिसके तहत हथियार आपके पास रखे जाते हैं। यहां से निकाल लीजिए :

"Where any person is found carrying or conveying any arms or ammunition whether covered by a license or not, in such manner or under such circumstances as to afford just grounds of suspecion that the same are or is being carried by him with intent to use them or that the same may be used for any unlawful purpose, any Magistrate, any Police officer or any other public servant or any person employed or working upon a Railway, aircraft, vassel, vehicle or any other means of conveyance may arrest him without warrant and seize from him such arms or ammunition."

यह है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आपके पास पुलिस थानों पर आर्म्स जमा कराने की प्रक्रिया है इस आर्म्स जमा होने की प्रक्रिया में 4–5 उन्होंने कारण बताये या तो लाइसेंस कैंसिल हो रहा है या सुरक्षा की दृष्टि से या और किसी कारण से या किसी नोटिफिकेशन से या किसी खतरे की वजह से या लॉ एण्ड आर्डर की वजह से जिसके पास आर्म्स हैं उसको आदेश दिया जाता है। स्वेच्छा से आकर अपना आर्म्स जमा कराता है पुलिस स्टेशन पर माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने सही कहा है कि कोई आठ नौ पुलिस स्टेशन हैं, चित्तौड़ जिले के उन आठ नौ पुलिस स्टेशन कोषों कि खतरा नहीं रहता है, वहां पर अलग से शस्त्रों के आगार की कोई व्यवस्था नहीं है। पुलिस लाइन्स में कोष की अलग से एक व्यवस्था है शस्त्रों को रखने की। इसलिये इन सभी पुलिस स्टेशन, जो आठ नौ नाम गिनाये हैं, पर इस तरह के लाइसेंस जो दफा 21 आर्म्स एक्ट के तहत जमा कराये थे, उन हथियारों को उन्होंने खुद जमा करा दिया कोष में। अच्छा है; कोष में जमा कराने की बात, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए निवेदन करता है, जैसा मैंने अभी कहा था, आप नहीं विराज रहे थे. आप अन्दर सुनते हैं, आपने सुना भी होगा, जब इस तरह के आर्म्स जमा किये जाते हैं थाने पर तो पहले सूचना होती है जिलाधीश या लाइसेंसिंग अथारिटी को। लाइसेंसिंग अथारिटी, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह भी नियम पढ़ दूंगा मैं जो बात कहूंगा तो आप कह देंगे कि वह स्थिति नहीं है। शायद अभी आप इकट्ठे कर रहे हैं, कानून तो देखा नहीं होगा इसलिये निवेदन कर रहा हूं...

श्री प्रद्युम्न सिंह : Just a minute. अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने रेलेवेंट धारा पढ़ दी–But what does be want to say ? लेकिन कहना क्या चाहते हैं माननीय सदस्य किस बात को पिन पाइन्ट कर रहे हैं ?

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ, राजस्थान के चित्तौड़ के कोष से जो हथियार गये वे अफसरों की साजिश से गये, डाकुओं तक गये। 1300 कारतूस थे, आपकी थ्री नाट थ्री उन के मुकाबले आज तक भी नहीं है वे वहां तक पहुंचाये गये, यह अफसरों की साजिश थी। मैं इसलिये नियम पढ़ रहा हूँ। मैं यहं पिन पाइन्ट करना चाहता हूँ कि नियमों में क्या है, नियमों की स्थिति आर्म्स के बारे में क्या है। आखिर यह पढूंगा तभी तो मालूम पड़ेगा कि आखिर थानेदार, हैडकांस्टेबल जिनके खिलाफ दावा करके कहते हैं कि हमने कार्यवाही पूरी करली और 78 से कार्यवाही चल रही है और केवल हैड कांस्टेबल ही जिम्मेदार है वही पुलिस का आई.जी.पी. है तब तो मुझे कुछ नहीं कहना। दूसरे, जिलाधीश जो हैड आफ डिस्ट्रिक्ट है, कलेक्टर हैं उनको नियमों के अन्तर्गत अधिकार क्या दे रखा है आखिर यह तो बताऊं। इसलिये मैंने क्या चार्ज लगाया कि पुलिस के साथ बड़े अधिकारियों की साजिश है और उस साजिश में प्रमाण है कि कोष से हथियार निकाले जाते हैं। उनसे कोई अपना ड्राइंग रूम सजा रहा है। प्रमाण है, अध्यक्ष महोदय, मुझे जो सूचना दी है। राजस्थान के वरिष्ठ वकील हैं भंवरलाल जी सिसोदिया उनके द्वारा मुझे सूचना मिली है उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि चित्तौड़ में क्या हो रहा है। कोष से हथियार निकाले और कमरे सजाये। कौन से हथियार निकाले और कौन से जमा हुए ? जो प्राइवेट पार्टीज के पास थे। अध्यक्ष महोदय, मेरी बात से आप सहमत होंगे पुराने समय के फ्यूडल्स के हथियार बढ़िया और शिकार के लिये अच्छे हथियार हिज हाइनेस मेवाड़ की तरफ से दान किये हुए हथियार, जो बहुत ही बढ़िया हथियार थे, उस कोष में आकर जमा हुए थे और ये जमा होने के बाद वहां से 69 से 78 तक गायब होते रहे। आप इसका अपराधी एक हैड कांस्टेबल को ठहराते हैं। इसलिये मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि केवल नियमों की पालना होती, अध्यक्ष महोदय, तो तीन महीने से ज्यादा किसी हथियार के जाने की जानकारी से वंचित नहीं रहना पड़ता। नियमों में आखिर है क्या ? जिलाधीश को क्या करना पड़ता है ? क्या उसके बारे में अधिकार है, एस.पी. को क्या अधिकार है, क्या करना पड़ता है हथियारों के बारे में अगर मैं रेलेवेंट नियम नहीं बताऊंगा तो सदन को जितनी सूचना आप देंगे उससे संतोष नहीं होगा। मैं चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय मेरी दिली इच्छा है कि केवल इस घटना से सीख लेकर प्रशासन नियमो के अनुसार काम करना चालू करे, यही मेरी दिली इच्छा है। केवल इस घटना से प्रेरणा लेकर के जिलाधीश महोदय को जो अधिकार हैं, आब्लीगेटरी कर्त्तव्य हैं वे उनका पालन करना चालू कर दें तो ऐसी चीज दूसरी बार फिर पैदा नहीं होगी, अगर यह मालूम पड़े आपने उसके खिलाफ एफ.आई.आर. के लिए तारीख 14-5-80 को एफ.आई.आर. दी। मैं पूछना चाहता हूं 15-5-80 से

(श्री कैलाश मेघवाल)

एक हथियार बरामद हुआ है? धारा 409 में गबन की एफ. आई. आर. हैड कांस्टेबल के खिलाफ करें, अध्यक्ष महोदय, हैड कांस्टेबल चित्तौड़ में मौजूद है और पूरा एक साल, 10-11 महीने हुए, एक हथियार बरामद कर पाये हैं? मैं, अध्यक्ष महोदय, सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या 9 या 10 महीने में एफ. आई. आर. देने के बाद एक हथियार बरामद कर पाये हैं? अगर नहीं कर पाये तो या तो पुलिस की अक्षमता है या बड़े अधिकारी इसमें मिले हुए हैं और केवल आपकी साजिश है। इसलिए मैं रूल्स रेफर कर रहा हूं। थोड़ा समय लगेगा तो बर्दाश्त कीजिए इससे आपकी पुलिस की व्यवस्था सुधरेगी। आपकी पुलिस की व्यवस्था सुधारने वाली इन सारी बातों को यहां पर इसलिए उठाया जाता है। तो मैं निवेदन कर रहा था अभी स्थिति क्या है? इंडियन आर्म्स रूल्स, 1962 के सेक्शन 46 में है:

"If the arms or ammunition have not been disposed of or their possession by the licensee or his legal representative as the case may be, has not become lawful within the prescribed period they shall subject to the proviso to sec. 21(3) be forfeited to Government by order of the District Magistrate."

रूल 21 मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि उसके सबजेक्ट होकर यह रूल्स बनाये गये हैं जो कि पार्लियामेंट ने अप्रूव किये हैं तो रूल 21(3) में है:

"by order of the District Magistrate.

यह डी.एम. का कर्त्तव्य है और डी.एम. को, अध्यक्ष महोदय, यह अधिकार होगा। मैं और रूल पढ़ता हूं:

"Where any arm or ammunition is deposited by the owner under sec. 21 (1) any Police Station or unit armoury or that dealer holding a license in form XIV the officer in charge of the Police Station or unit armoury or the license dealer as the case may be."

ये सारी डिटेल्स हैं। इसके बाद क्या करना पड़ता है डिटेल्स के बाद—Immediately sending a copy of the receipt of the authority who granted license or renewed it last.....

यह मैं इसलिये पढ़ रहा हूं कि ये सभी पुलिस स्टेशन पर हथियार जमा हुए थे। ये किसने दिये थे कोथ में जो जमा हुए थे? उसकी सूचना एक तो मैंने समय की कमी के कारण नहीं दी है। उनके साथ एक कापी उसकी लाइसेंसिंग अथारिटी को देंगे। लाइसेंसिंग अथारिटी डी. एम., एस. डी. ओ. और प्रथम क्लास मजिस्ट्रेट भी है। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और एस.डी.ओ. के लिये इनकम्बेन्ट है। अध्यक्ष महोदय, जब उनको इस तरह की सूची मिले तो वह भी जिलाधीश को भेजते हैं। यह मैं आपको इसलिये कहता हूं कि उस जिले में किसी भी पुलिस स्टेशन पर कोई आर्म्स जमा हुए हैं तो तुरन्त उसके बारे में जिलाधीश को सूचना पहुंचती है और जिलाधीश को क्या अधिकार है? अध्यक्ष महोदय, आप अन्दर पधार

(श्री कैलाश मेघवाल)

गये थे तब माननीय मंत्री जी ने ईमानदारी से बात बताई कि 69 से, इस पॉइन्ट को रेज किया...।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह मैंने नहीं कहा है That I have not said, I am sorry. जो मैंने वक्तव्य दिया है, उसमें यह मैंने कहीं नहीं कहा है I will explain you. This I have never said.

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : ऐसा है, मैं पढ़ देता हूं। और भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, आखिर तथ्य तथ्य होते हैं, प्रमाणित तथ्य यह हैं, आप एफ. आई. की कापी देखिये। उसको पढ़िये। वक्तव्य दें तो सही दें। "श्री व्यास ने बइमदाद एस. आई. श्री इश्याक अली कार्यालय हाजा पुलिस लाइन के आर. एम. आई. श्री माधवराम व शस्त्रागार इंचार्ज भोपालसिंह ने पुलिस लाइन के शस्त्रागार का भौतिक सत्यापन दिनांक 23-4-80 तक किया और रिपोर्ट पेश की उसके अनुसार निम्नलिखित, यह तो हथियार हैं।" इसका प्रथम पैरा फिर से पढ़ना चाहता हूं जो आप आब्जेक्शन उठा रहे हैं : "यह सूचना मिलने पर पुलिस लाइन चित्तौड़गढ़ के शस्त्रागार के बहुत सारे शस्त्र गायब हो गये हैं जिसकी विस्तृत जांच हेतु श्री ओंकार लाल व्यास निरीक्षक पुलिस कार्यालय हाजा को दिनांक 10-4-80 को मुकर्रर कर आदेश दिया कि सन् 1969 से 1978 तक जिले हाथा के हाथ से जो शस्त्र पुलिस लाइन की कोथ में जमा हुए हैं उनका भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट पेश करें।"

श्री परसराम मदेरणा : आपने ये फैक्ट्स दे दिये हैं क्या ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : I have read it. I have got it.

श्री परसराम मदेरणा : एफ. आई. आर. लॉज करने का कह रहे हो तो आपके स्टेटमेंट में क्यों नहीं है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : I will explain that. मैंने इसमें कोई भी बात न तो छुपाने की कोशिश की है और न छुपाऊंगा। आप अगर भाषण दे रहे हैं तो दूसरी बात है। कोई इम्पार्टेन्ट क्वेश्चन करें तो मैं तुरन्त उनका उत्तर देता जाऊं। इनको आधा घंटा तो हो गया भाषण देते इसमें मुद्दे की बात है नहीं।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो इम्पार्टेन्ट क्वेश्चन कहा...

श्री अध्यक्ष : पहले प्रस्तावकर्ता को अपनी बात रखने दीजिये।

श्री कैलाश मेघवाल : इसलिये रूल्स रेफर नहीं करूंगा तो बात क्या हुई। इसमें इतनी जल्दी क्या है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत इम्पार्टेन्ट मसला है। आरोप भी मेरे बहुत गंभीर हैं। आप इसको टाल नहीं सकते इतना हमारा भी अधिकार है। आप अगर रो में खड़े हैं तो उसमें हम भी हैं। जनता पार्टी भी वर्ष 1977-78 के लिये अपराधी है लेकिन इससे मसला हल नहीं होगा। मसला हल होगा आखिर यह क्या कर रहे हैं। इसलिये मैं आपसे निवेदन

(श्री कैलाश मेघवाल)

करना चाहता हूं और इसीलिये यह जो रेलेवन्ट पोर्शन है वह मैंने यहां पर पढ़ कर बताया है सिर्फ "49–Inspection-Arms and Ammunition deposited in a Police Station or with a dealer and those transferred to the Distt. Malkhana and the Register maintained for the purpose shall be inspected periodically by the District Magistrate or other Officer appointed by the State Government in this behalf in accordance with such procedure as may be prescribed by the State Government."

मैं इसलिये निवेदन कर रहा था ताकि आपको निर्देश देने में आसानी हो। मंत्री महोदय, मैं आपका काम हल्का कर रहा हूं। यह सही स्थिति है आपको इसकी गंभीरता मालूम है इसलिये मैं यह निवेदन कर रहा था। मैंने यह रूल, अध्यक्ष महोदय, आपको पढ़कर सुनाया है और यह निवेदन किया है कि रूल्स की यह स्थिति है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिये क्या क्या लाजिमी है। उसका सीधा सम्बन्ध डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से है क्योंकि हथियार आइदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एस.डी.ओ. या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा लाइसेन्स लेकर ही लोग लेते हैं। यह हथियारों का मसला है।

अब, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक दूसरा निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा पुलिस आर्गेनाइजेशन है इस पुलिस आर्गेनाइजेशन में हथियारों के लिये इन्चार्ज कौन है? यह है राजस्थान पुलिस। यह रूल है और वह है हैड कान्स्टेबल और यह निवेदन करता हूं माननीय मंत्रीजी को वह छांटेगा। इसका कोई जिम्मेदार नहीं है। कानून में क्या स्थिति है? कौन इन्चार्ज है? माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कानून को जानते हैं। आपके यहां अदालत में स्ट्रिक्ट इन्टरप्रिटेशन इसी लॉ का होता है। आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, इसमें पोजीशन क्या है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अदालत में ही इसको थोड़ा देखें। आप सदन के अध्यक्ष हैं। आपके सेक्रेटरी हैं जिनके पास चाबियां रहती हैं। आपका पी.ए. है। सैक्रेटरी के यहां से फाइल गायब हो जाती है तो पी.ए. का चालान नहीं होता है चालान किस का होता है? चपरासी का चालान होता है। अगर यह पोजीशन आप स्वीकार करते हैं और सरकार इस बात को सही मानती है तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

अब मैं यह निवेदन करूंगा कि पुलिस की क्या ड्यूटीज हैं। यह तो मैंने जिलाधीश की ड्यूटीज बतायी हैं जिलाधीश ने क्यों कार्यवाही नहीं की, नियमों के अन्तर्गत? जो इण्डियन आर्म्स रूल्स यह है और पार्लियामेंट का डाइरेक्शन है उसके अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं की गई है। एक तर्क तो यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, और दूसरा तर्क यह है कि एस.पी. की क्या ड्यूटीज हैं? क्योंकि यदि वे थोड़ा सा विजिलेन्ट रहें और इन नियमों का पालन हो तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति नहीं आवे। दूसरा तर्क मैं आपको निवेदन करूं। दो व्यक्तियों के कर्त्तव्य बताऊंगा। कोष का इन्चार्ज होता है आर्म्स

(श्री कैलाश मेघवाल)

इन्सपेक्टर। जो पुलिस लाइन का इन्चार्ज होता है, जनरल इन्चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन होता है वह, एस. पी. होता है। इन दोनों के कर्तव्य राजस्थान पुलिस एक्ट 1948 में बिलकुल निर्धारित हैं। उसके आधार पर आप सुनिये। तथ्य देख कर कहूंगा। इन नियमों के तहत कौन जिम्मेदार है। तो मैं आपको निवेदन करूं, अध्यक्ष महोदय, सब से पहली डेफिनेशन,

"Reserve Office means branch of a S.P.'s office that is located in the Police Lines."

आर्म्स इन्सपेक्टर इसलिए पढ़ रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, इसमें उसके कर्त्तव्य दे रखे हैं और वही मैं आपको बता रहा हूं,

"Arms Inspector means the Inspector Incharge of the special Arms Force and the Reserve Office."

मैं शार्ट कर रहा हूं माननीय सदस्य घबरा रहे हैं। यह हथियारों के गायब होने का मामला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन रूल 112.

"The following duties shall be performed by the Armed Police Inspector who may also be called as Reservo Inspector."

रेलेवेन्ट ही पढ़ूंगा He shall be responsible for the care and custody of the Arms Ammunition. accoutrements, stores, tents, clothing etc. and shall keep the accounts and registers appertaining to them.

यह जो मैंने निवेदन करके बताया है।

He shall keep the keys of the magazines and armoury during the day time, and at night this shall remain with the officer incharge of the Guard.

आर्म्स इन्सपेक्टर इन्चार्ज होता है उस कोष का और वहां पर एक हैड कान्सटेबल को बना रखा है :

The Armed Sub-Inspector shall help the Armed Police Inspector in all matters relating to drill, discipline and training of the force, to the care and custody of arms, accounting, accoutrements, stores, tents, clothing etc. and the registers appertaining to them.

यह सारी स्थिति है। आर्म्स इन्सपेक्टर का जो लिखा है वह है He shall inspect all matters relating to यह रेलेवेन्ट है। इस रेलेवेन्ट को पढ़ने के बाद एस. पी. के बारे में पढ़ देता हूं। हमारे मंत्री महोदय परेशान हैं। जो एस.पी. की ड्यूटी है,

He is the sole charge of his District Intelligence Branch office and shall make inspection of this office once a year. He being the principal touring officer shall inspect all his police stations and other offices at-least once a year including his own office.

Rule 56.—"The S.P. shall submit to the I.G.P. a monthly D.O letter at the end of each month on the following points so as to reach him by the 7th of the month

(श्री कैलाश मेघवाल)
following sending a copy thereof to his Range Dy. Inspector General.

(1) Political and Communal activities.

(2) Any epedemic or occurrance of any calamity.

(3) The rise or fall in crime with comparative figures for the preceding month and corresponding month of the previous year with a note regarding control of crime.

(4) Any other important matter including good work done by police".

आर्म्स के बारे में, यह आपके सामने इसलिये निवेदन किया है, माननीय अध्यक्ष महोदय· · ·

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मैंने आपके सामने इसलिये निवेदन किया है कि चाबियां किस के पास रहती हैं ? अकार्डिंग टू रूल आर.आई.के पास। पुलिस एस.पी. की क्या ड्यूटीज हैं रिजर्व आफिस के बारे में और किस तरह से उसका जाना है यह सारा मैंने आपको बताया है।

विस्तार में न जाकर अब मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हैड कांस्टेबल अथारिटी है, जिसने अदालत में बयान दिया है और यह गम्भीर मामला इसलिये है, अध्यक्ष महोदय, कि डाकुओं के पास कारतूस कहां से आते हैं ? 303 की बन्दूकें गायब हैं। कुछ बन्दूकों के लिये आपने रेफरेन्स दिया है और कुछ का मैंने रेफरेन्स दिया है। यह गंभीर मसला है। मैं चाहता हूं कि इन नियमों की पालना ही चालू हो जायें। निश्चित रूप से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय कड़ाई से, स्पष्ट रूप से इस बात की घोषणा कर दें कि सन् 1967 से लगाकर 1980 तक जो अधिकारी वहां पर रहे हैं, उनके कानून के तहत जो कर्त्तव्य थे उन कर्त्तव्यों का निर्वाह उन्होंने नहीं किया इसीलिये उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। जो इंचार्ज हैं, जिनके पास चाबियां रहती हैं जिनसे चाबी लिये बिना हथियार नहीं लिये जा सकते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, अध्यक्ष महोदय, क्योंकि समय नहीं है। कोथ की जो कार्यवाही होती है वह पकड़-पकड़ कर बताता है कि ताला लगा हुआ है · · · ·

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करें।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं अच्छी तरह से इसलिये बता रहा हूं, मुझे कोथ की व्यवस्था इसलिये मालूम है कि 26 जून, 1975 को आप उदयपुर आये थे सिण्डीकेट में, सिण्डीकेट की मीटिंग समाप्त होते ही मैं गया और मुझे पकड़कर रिजर्व पुलिस लाइन ले जाया गया। क्योंकि वहां पर जगह नहीं थी इसलिए मुझे कोथ के पास ही रखा गया था तो मुझे मालूम हुआ, अध्यक्ष महोदय, इनकी ड्यूटी किस तरह बदलती है और कैसे नहीं बदलती है · · · ·

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि उनकी जिम्मेदारी है मेरा सरकार पर आरोप है कि जिस तरह से उनको बचाने के प्रयास किये जा रहे हैं उन बड़े अफसरों के खिलाफ कार्यवाही करें। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आरम्भ में एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि इस मामले को सरकार ने बहुत गम्भीरता पूर्वक लिया है और इस मामले के अन्दर चाहे कोई अधिकारी रहा हो किसी को भी बचाने या लीज देने की इच्छा नहीं है। माननीय सदस्य ने एक बात कही कि यह 69 से घपला हो रहा है। तो, श्रीमान्, हकीकत तो यह है कि जो नानगराम हैड कांस्टेबल था वह आर्मरी में पिछले 16 सालों से मुतस्सिर तैनात था, यह बात सही है कि रिजर्व आर्मरी की जिम्मेदारी इन्सपेक्टर की होती है लेकिन वर्किंग अरेंजमेंट ऐसा होता है कि उसका एक असिस्टेंट रिजर्व लाइन इन्सपेक्टर और दूसरा असिस्टेंट हैड कान्स्टेबल होता है।

क्योंकि रिजर्व इन्सपेक्टर के ऊपर काम की जिम्मेदारी अधिक होती है इसलिए वर्किंग अरेंजमेंट ऐसा होता है कि जो हैड कांस्टेबल होता है उसका काम यह होता है कि थानों से और अदालतों से जो आर्म्स आते हैं और किसी तरीके से आते हैं या और किसी जगह से बर्बाद होकर आते हैं उनको आर्मरी में रखकर रजिस्टर मेनटेन करे। रिजर्व लाइन इन्सपेक्टर की ड्यूटी यह होती है कि उस रजिस्टर से मिलाकर उसका भौतिक सत्यापन करे। यहां से शुरूआत होती है।

1978 के अन्दर यह मामला सामने आया कि रिजर्व इन्सपेक्टर ने कहा कि जो रजिस्टर है उसकी चैकिंग कराओ, हैड कान्स्टेबल को कहा कि चैकिंग कराओ वह उसको टालता रहा। रजिस्टर लाया नहीं तो इस प्रकार 1978 में यह सबसे पहले आया। जो माननीय सदस्य ने कहा कि 1979 से घपला है तो यह अभी तक सामने नहीं आया है कि यह घपला कब से है क्योंकि इसके अन्दर जो कहा है, मैं कोई फैक्ट्स को छुपाना नहीं चाहता हूं वह वहां पर 16 साल तक तैनात रहा, उसका वेरिफिकेशन कर रहे हैं और यह सब थानों से पता लगाना पड़ेगा कि आपके यहां से कितने हथियार आये, आपके यहां से कितनी बन्दूकें आयीं। दूसरा अदालतों से रिकार्ड लेना होगा अदालतों के द्वारा भी बहुत सी बन्दूकें जमा कराने का हुक्म दिया जाता है। तो अभी तक 69 से लेकर अब तक का ही वेरिफिकेशन हुआ है। सैन्ट्रल स्टोर से कितना माल गया वहां पर कि उसका वेरिफिकेशन होगा। तो यह एक लम्बा टाइम था। हमारे जो 76 के अन्दर डी. आई. जी. थे उन्होंने इन्सपेक्शन किया था और डी. आई. जी. ने अपने इन्सपेक्शन के अन्दर कुछ सुझाव भी दिये थे। उस वक्त कहा कि जिस तरीके से यहां काम हो रहा है। मैं इससे सहमत नहीं हूं और उन्होंने कहा था कि उस वक्त का रिजर्व इन्सपेक्टर था उसने फिजिकल वेरिफिकेशन किया था। जब मैंने सवेरे पत्रावली को देखा तो मैं भी उससे सन्तुष्ट नहीं था। मैंने कहा कि रिजर्व इन्सपेक्टर की जिम्मेदारी है, उसको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिये। जो आदमी अभी है। जो इस समय रिजर्व इन्सपेक्टर है

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

वह तो 78 में आया था उससे पहले जो था उसका नाम श्रीमान नरपत सिंह है, जो कि 76 से 77 तक डेढ़ साल रहा। मैंने अपने विभाग के अधिकारियों को कहा है कि प्राइमाफेसी नेग्लीजेंसी इस आदमी की है क्योंकि इससे पहले जो रिजर्व इन्सपेक्टर रहा है उसका इन्सपेक्शन हो गया था और वह सही पाया गया था। यह पता लगता है कि दो तीन साल के दौरान ही 76-80 के लगभग ही यह घपला हुआ है, उससे पहले भी हो सकता है मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि केस रजिस्टर हो चुका है और अदालत में भी जायेगा इसलिये किसी बात को मैं यहां कहना नहीं चाहता। मैंने इस पत्रावली को सरसरी तौर पर ही देखा है देखने से यह पता लगा है। मैंने अधिकारियों से कहा है कि इसको सस्पेंड करने के आदेश आज ही जारी किये जायें इसके बिना काम नहीं चलेगा। फिर इसके अन्दर एस.पी. डी. एस. पी. ने क्या किया? क्यों इन्सपेक्शन आज तक नहीं किया? यह बात क्यों नहीं उनके ध्यान में आयी? सुपरवाइजरी नेग्लीजेंसी अफसरों की रही है उस मामले की जांच के लिये एडीशनल आई. जी. सी. आई. डी (क्राइम) अपने सुपरविजन में करेंगे। हालांकि आई. जी. पी. ने 3 आदमियों की कमेटी बना दी है जो इसका इन्सपेक्शन कर रही है। मैंने कहा है कि इसमें एडीशनल एस.पी. से काम नहीं चलेगा, गम्भीर मामला है। मैंने कहा, एडीशनल आई.जी; जो आजकल कालानी है, उनको नाम से नहीं कर रहा हू क्योंकि कल को ये बदल भी सकते हैं एडीशनल आई. जी; सी. आई. डी. (क्राइम) के नेतृत्व के अन्दर, उनके सुपरविजन में इस बात का इन्सपेक्शन होगा और इस बात की वे स्वयं जांच करेंगे कि इस मामले के अन्दर कौन-कौन अधिकारी हैं जिनकी सुपरवाइजरी नेग्लीजेंसी रही है। यह गम्भीर मामला है अध्यक्ष महोदय, अभी तक तो 69 से 80 तक, अधिकृत रूप से 11 वर्षों के ही फिगर आये हैं 6, और ये हजरत वहां रहे हैं हैड कान्स्टेबल साहब, उन्होंने क्या किया? जिसके वक्त में गड़बड़ी हुई उसका तो जांच के बाद ही पता चलेगा लेकिन प्राइमाफेसी इस गफलत का दोषी R. I. पाया गया है इसलिए आदेश दे दिया गया है कि इसको आज ही सस्पेण्ड किया जाये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आदेश देने के आपको अधिकार भी हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री प्रद्युम्न सिंह : मुझे अधिकार हैं आप चिन्ता मत करें।

अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बात के लिए निर्देश दिए हैं कि राजस्थान के अन्दर और आर्मरीज के क्या हाल हैं। इसलिए सरकार की ओर से निर्देश दिए हैं आई. जी. को कि राजस्थान में जितनी भी आर्मरीज हैं उन सबका फिजिकल वेरिफिकेशन कराकर अपने यहां रिपोर्ट मंगायें और तीन महीनों के अन्दर सरकार को सूचित करें। दूसरा निर्देश जो आज देने जा रहे हैं। 16-16 वर्षों तक एक ही जगह कोई हैड कान्स्टेबल रहें तो सरकार की तरफ से आई. जी. को इस बात के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं कि तीन साल से अधिक कोई भी हैड कान्स्टेबल एक

(श्री प्रद्युम्न सिंह)
आर्मरी में नहीं रहेगा जिससे कि कम से कम इसके उपरान्त जो नया हैड कान्स्टेबल आयेगा उसको चार्ज देने जायेगा उस समय मालूम पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सरकार इस मामले को बहुत ही गम्भीरता पूर्वक लेती है और जिन आफिसरों की नेग्लीजेंसी पायी जायेगी जो दोषी पायें जायेंगे उनको बख्शा नहीं जायेगा। मैं आपके माध्यम से यही सदन को आश्वासन देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। उपाध्यक्ष का चुनाव। सर्वप्रथम प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायेंगे।

व्यवस्था का प्रश्न

उपाध्यक्ष के निर्वाचन सम्बन्धी सूचना पर सचिव, विधान सभा के हस्ताक्षर

उपाध्यक्ष पद के लिए विपक्ष का उम्मीदवार

उपाध्यक्ष पद के लिए विपक्ष की सहमति प्राप्त उम्मीदवार का परिवर्तन

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर। नियमों की किताब है आपके पास ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पास में है। तीन पाइन्ट हैं। मेरा पहला पाइन्ट यह है कि...

श्री अध्यक्ष : तीन पाइन्ट हैं या तीन पाइन्ट आफ आर्डर हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तीन पाइन्ट आफ आर्डर हैं।

श्री अध्यक्ष : तीन तो एक साथ नहीं उठा सकते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अच्छा एक तो उठाने दें। आप...

श्री अध्यक्ष : विचाराधीन विषय के ऊपर होना चाहिए और संविधान या नियमों का हनन हो रहा है तो उस पर हो सकता है। तीन एक साथ आ गये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उसी पर उठा रहा है। जहां तक मेरा निवेदन करना है पहला तो यह कि जो सूचना जारी हुई है उपाध्यक्ष के चुनाव की, वह गलत है। जो चुनाव की सूचना जारी हुई है, नोटिस जारी किया है उसमें यद्यपि एक शब्द समय के लिए निर्वाचन का है। जो अध्यक्ष महोदय ने सदन में उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए तय किया है लेकिन उसमें हस्ताक्षर प्यारे मोहन के हैं। एक तो यह इसमें अध्यक्ष महोदय के साइन होने चाहिए या फिर आज्ञा से शब्द लगा होना चाहिए अन्यथा गलत सिद्ध होगा। दूसरा यह है कि जो उपाध्यक्ष होता है वह विपक्ष की प्रथम पंक्ति में बैठता है...

एक माननीय सदस्य : यह पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वर्तमान में लोक सभा और राज्य सभा में इस प्रकार की परम्परा है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का होगा लेकिन सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष : चुनाव हो जाने दें, विपक्ष का हो जायेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तीसरा यह है कि जो बड़ी गलती हुयी है वह यह है कि विपक्ष की कम से कम सहमति तो लेते, बातचीत तो करते। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय खेतसिंह जी ने अनौपचारिक रूप से पिछले दिनों जब उपाध्यक्ष के चुनाव की चर्चा हुई थी उस समय आकर विपक्षी नेताओं से बात की थी, सहमति ली थी किसको उपाध्यक्ष बनायें। उसी के आधार पर तकीउद्दीन का नाम तय किया था। उसी के आधार पर तय हुआ था कि विपक्षी फार्म नहीं भरेंगे। इसके बाद तय करके ऊपर से अहमद बक्श जी का नाम तय कर लिया और इस प्रकार गुड फेथ के कारण हमारी पार्टी ने फार्म नहीं भरा। एक तरह से धोखा देकर अधिकार से वंचित किया गया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह सरकार की निश्चित परम्परा रही है अधिकतर उपाध्यक्ष और अध्यक्ष सदन की सहमति से तय होता है उसको सबका समर्थन प्राप्त होता है। ऐसे मामले में जिसका इतना बड़ा महत्व है, या तो हमसे राय नहीं लेते और राय ली है तो फिर हमको इस अधिकार से वंचित क्यों किया ? एक बात। दूसरा मान लो विपक्ष का नहीं बनाना चाहते तो हमसे राय लेते। हमसे राय ली, सर्वसम्मति से तकीउद्दीन जी का नाम रखने के लिए, यह न करके उन्होंने हमारे अधिकारों का हनन किया है। हम भी चुनाव लड़ सकते थे, हमारे इस अधिकार का हनन किया है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा इन तीन कारणों के आधार पर इस चुनाव को अभी स्थगित करें और उनको आदेश देवें कि विपक्ष से पुनः सलाह लेकर सर्वसम्मति से चुनाव करावें और स्वस्थ परम्पराओं को निभावें। इसलिए इस चुनाव को स्थगित करें और विपक्ष से सलाह करें, सर्वसम्मति से चुनाव कराये जावें।

श्री अध्यक्ष : एक व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने तीन प्रश्न उठाये—पहले यह कि जो सूचना आई है...

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : इससे पहले मैं अपनी बात कहना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : जरूर कहिये।

श्री राजबहादुर : जहां तक परम्पराओं का सवाल है, कन्वेन्शन का सवाल है और शाश्वत परम्पराओं के निर्वहन की बात है, यह निश्चित है पार्लियामेन्ट में भी और दूसरी असेम्बलीज में भी ऐसा होता है सर्व-सम्मति से विपक्ष का कोई आदमी होना चाहिये, डिप्टी स्पीकर के लिए और उसके लिए परामर्श होना चाहिये। तकीउद्दीनजी का नाम लायें, उसके बारे में परामर्श हुआ है लेकिन हम लोग यहां बैठे हैं कोई परामर्श नहीं हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बातें नहीं करें, माननीय सदस्य।

श्री राजबहादुर : तीसरा पाइन्ट यह है कि स्पष्ट रूप से जवाब आना चाहिये शासक दल की ओर से मुख्य सचेतक जी दें, मुख्य मंत्रीजी दें या विधि मंत्रीजी दें आखिरकार उनका मन्तव्य क्या है ? जनतन्त्र की परम्पराओं को मजबूत करना चाहते हैं, स्वच्छ और शाश्वत-परम्परायें कायम करना चाहते हैं तो करावें ऐसे मामले में विपक्ष से

(श्री राज बहादुर)

सहयोग चाहते हैं कि यहां एक निष्पक्ष व्यक्ति बैठेगा, एक हमारा सदस्य इस सदन में काम करेगा, इसके बारे में नीति क्या है, नीति सम्बन्धी जवाब दें ?

श्री हरिदेव जोशी (बांसवाड़ा) : जो वैधानिक प्रश्न है उसका फैसला तो आप करेंगे, सचिव महोदय द्वारा जारी किया गया नोटिस वैलिड है या इनवेलिड है या क्या है मगर विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों को एक बात में निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि परम्पराओं का पालन केवल कांग्रेस के ही जिम्मे नहीं है, परम्पराओं का पालन विपक्ष के जिम्मे भी है।

श्री राजबहादुर : परम्पराओं का पालन कांग्रेस के लिए ही है।

श्री हरिदेव जोशी : इसीलिए एक बात निवेदन करना चाहता हूं, जो आज विरोधी पक्ष है वह सरकार में बैठ चुका है। इस सदन में जब वे बहुमत में थे उस समय उन्होंने श्री रामचन्द्र जी को उपाध्यक्ष चुना था, वे विरोधी पक्ष के नहीं थे वे आपकी ही पार्टी के थे। जब आप शासन में थे उस समय तो कुछ भी स्पेअर नहीं करना चाहते थे

(व्यवधान)

जब आपको कुछ देना हो तो आप सुई की नोक के बराबर भी नहीं दो, और अब कांग्रेस से बराबरी का हिस्सा चाहते हो।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : रामचन्द्रजी को सर्वसम्मति से निर्वाचित किया था।

(व्यवधान)

जब रामचन्द्रजी का नाम तय किया था, उस समय आपकी राय ली थी, आपकी ओर से कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं किया गया था।

श्री राजबहादुर : आप भी गलत कर रहे हैं, इसका तो खयाल रखिये।

श्री हरिदेव जोशी : हम गलती नहीं करना चाहते, आप सिर्फ ट्विस्ट देना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : यह रिफ्लेक्शन है।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय विवाद है ही नहीं। विवाद इसलिए नहीं है 1977 में जब जनता पार्टी का यहां पर बहुमत था उस वक्त जब उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ, मैं प्रतिपक्ष का नेता था। तत्कालीन सत्ता पक्ष ने न तो मुझसे विचार विमर्श किया और न मुझे

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य . .

श्री परसराम मदेरणा : उस समय

एक माननीय सदस्य : आप उस समय नहीं थे, प्रतिपक्ष के नेता।

श्री परसराम मदेरणा : मैं बाद में आया या नहीं ? मालूम नहीं। जुलाई, 77 से लेकर के 14 नवम्बर, 1978 तक मैं प्रतिपक्ष का नेता था। उसके बाद में मेरी पार्टी

(52)

(श्री परसराम मदेरणा)

का नेता था। फरवरी, 79 में फिर मैं लीडर आफ अपोजीशन हो गया और उसके बाद फिर ये रायल प्रतिपक्ष के नेता हो गये तो मैं फिर पार्टी का नेता हो गया। जिस वक्त उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ मैं प्रतिपक्ष का नेता था और सीकर से आने वाले माननीय सदस्य गवर्नमेंट Chief whip थे। उन्होंने उनसे कोई बातचीत की या कन्सल्टेशन किया, उसकी दुआई में और उसके सुझाव में, मैं समझता हूं, अच्छा है कि विवाद में नहीं पड़ना चाहिए स्थिति बहुत स्पष्ट है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज

(व्यवधान)

कुमारी पुष्पा जैन

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय जोशी जी और माननीय मदेरणा जी ने कहा जनता पार्टी ने परम्पराओं का निर्वहन नहीं किया, हो सकता है उनकी बात सत्य हो लेकिन एक बात जरूर है आपके मुख्य सचेतक जी ने अच्छी परम्परा नहीं निभाई चाहे हमने न निभाई हो। वे विरोधी पक्ष के नेता से राय लेते कि इस प्रत्याशी को लाना चाहते हैं, बेहतर होगा सर्वसम्मति से इसे लाया जाय। पहले वाले प्रत्याशी पर सारे विरोधी दल एग्री हो गये और उन्होंने अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं किया लिहाजा–समय निकलने के बाद उस प्रत्याशी को...

एक माननीय सदस्य : सारे विरोधी एक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया, महिला सदस्या बोल रही हैं, ध्यान रखें, आपस में बातें न करें।

सुश्री पुष्पा जैन : हो सकता है, मेरी जानकारी है सभी माननीय सदस्यों से बात की थी, मैं अपनी जानकारी के आधार पर कह रही हूं। लिहाजा जब तारीख निकल गयी फार्म भरने की, उन्होंने जिस प्रत्याशी के लिए विरोधी पक्ष से राय ली थी उसके स्थान पर नया प्रत्याशी ले आना, मैं समझती हूं, हमारे उस अधिकार का भी हनन है जिसके तहत हम अपना प्रत्याशी खड़ा कर सकते थे और यह विरोधी दलों के साथ धोखा है, लिहाजा मेरा आपसे यह अनुरोध है कि इस चुनाव को स्थगित किया जाय वापस आप चाहें तो राय करके इसी प्रत्याशी को ले आवें उसमें हमें कोई एतराज नहीं होगा लेकिन इस पर पुनः विचार करने के लिये इसे स्थगित करें, हमें एक बार मौका दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है जिसमें तीन बिन्दुओं पर इस चुनाव को अभी न करवाये जाने के बारे में बातें कहीं हैं। उनके विचार का पहला बिन्दु तो यह है कि अध्यक्ष महोदय ने जो नोटिस निकाला है उस पर दस्तखत विधान सभा सचिव के हैं। इस आर्डर के सम्बन्ध में जो नियम हैं वह मैं पढ़कर आपके सामने सुनाता हूं :

(श्री अध्यक्ष)

"The Election of a Deputy Speaker shall be held on such date as the Speaker may fix and the Secretary shall send to every member notice of this date."

माननीय सदस्य, मैं इसलिए बार बार निवेदन करता हूं कि नियमों की प्रति हमेशा अपने पास रखा करें।

नम्बर दो। दूसरा, उनका पाइन्ट यह था कि परम्परायें ऐसी रही हैं कि अध्यक्ष यदि सत्ता पक्ष का होता है तो उपाध्यक्ष विपक्ष का होना चाहिए। अपने देश में और देश की पार्लियामेंट में कौनसी परम्परायें हैं तत्काल मैं इसका जवाब नहीं दे सकता लेकिन अपने यहां पर जो परम्परायें रही हैं उनके अनुसार यह आवश्यक नहीं है, उपाध्यक्ष विपक्ष अथवा सत्तारूढ़ दल के अलावा अन्य किसी दल का हो।

तीसरा प्रश्न है कि विपक्ष से सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक ने सलाह मशविरा किया था कि अमुक व्यक्ति को उपाध्यक्ष चुना जाय और उस पर आपके दल ने सहमति व्यक्त की थी, इसका सम्बन्ध आसन से नहीं है। आसन अधिसूचना जारी करता है कि अमुक दिन उपाध्यक्ष का चुनाव होगा उसमें नामांकन-पत्र के प्रस्ताव प्रस्तुत करने का समय भी अंकित किया जाता है। उसके बाद जब चुनाव का समय आ जाता है तो उस वक्त जो प्रस्ताव प्रस्तुत हो जाते हैं, उनके प्रस्तुत किए जाने की अनुमति प्रदान करता है। उसके बाद में उनको सदन के समक्ष मतदान हेतु प्रस्तुत करता है और मतदान में जो माननीय सदस्य जीत जाता है उसको उपाध्यक्ष घोषित कर देता है, हमारा इतना ही कर्तव्य है। विभिन्न पार्टियों और दलों की आपस में किस अवसर पर कौनसी बातचीत चलती रहती है, उसका हम नोटिस नहीं लेते हैं इसलिए यदि कोई बात हुई है, समझौता हुआ है, टूटा है, नहीं टूटा है तो यह आपसी समझौते का सवाल है, मैं नियमों में इसलिए · ·

श्री देवीसिंह भाटी : आपकी आत्मा क्या कहती है ? उपाध्यक्ष के चुनाव · ·

(व्यवधान)

मैं मत विभाजन कहां · · ·

श्री अध्यक्ष : इसलिए अब जिन माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, मैं उनके नाम पुकारूंगा। सर्वप्रथम वे अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे और प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के बाद में जिस क्रम में वे प्रस्तुत किये जायेंगे उसी क्रम में फिर मतदान हेतु वे प्रस्ताव सदन के समक्ष रखे जायेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपने जो व्यवस्था दी है उसमें कुछ नहीं कहना चाहता · · ·

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था के लिये तो फर्माओ मत। जब भी व्यवस्था देता हूं उसको विवाद का विषय बना देते हो। मेरा नम्र निवेदन है कि व्यवस्था जब एक दफा दी गई तो उसके बाद में उस पर पुनर्विचार या उसके औचित्य के बारे में वह न्यायसंगत है अथवा नहीं, नियमों और कानून के अन्तर्गत ठीक है या नहीं, इन सभी पर विचार नहीं किया जा सकता। स्थिति जो थी वैसी है जैसे · · ·

श्री भंवरलाल शर्मा : एक बिन्दु रह गया, उस पर निर्णय नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : बिन्दु जितने हमारे ध्यान में आए, सब बिन्दुओं पर विचार करके कुछ पर अपना मत अभिव्यक्त किया कुछ पर नहीं किया लेकिन जिस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं पर्याप्त कारणों के आधार पर पहुंचा हूं। वह मेरी दृष्टि में बिलकुल सही हैं, उपयुक्त हैं, न्यायसंगत हैं, यही मेरा निवेदन है।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक बिन्दु निर्णय के लिये रह गया। मैं आपके निर्णय को चैलेंज नहीं करता। एक बिन्दु जो रह गया जिस पर आपको निर्णय करना चाहिये वह यह रह गया कि माननीय सदस्य ने कहा कि सरकारी मुख्य सचेतक महोदय के द्वारा हमें आश्वस्त किया गया कि हम यह कैंडीडेट पुट अप कर रहे हैं इसलिये हमने अपना कैंडीडेट पुटअप नहीं किया। अगर यह बात प्रमाणित हो जाय और आपके सामने आ जाय कि वास्तव में इस पक्ष के सदस्य अपना कैंडीडेट इसलिये पुटअप नहीं कर सके कि उन्हें आश्वासन मिला था, आप क्या निर्णय देंगे ?

(व्यवधान)

इस आश्वासन के आधार पर हम अपना कोई कैंडीडेट पुटअप नहीं कर सके तो आप उसको वजन देंगे या नहीं ?

उपाध्यक्ष का निर्वाचन

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। उपाध्यक्ष का निर्वाचन।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, आर्डर प्लीज, आसन पैरों पर है।

प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष के निर्वाचन के संबंध में मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूं अतः प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 8 (3) के अन्तर्गत मुझे अपना प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति दी जाय।

अनेक माननीय सदस्य : हार गये।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि उक्त प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

उपाध्यक्ष पद पर श्री गोपाल पचेरवाल के निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री गोपाल पचेरवाल, सदस्य, विधान सभा · · ·

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : मंत्री महोदय का समर्थन करने वाले · · ·

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री यदुनाथ सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री गोपाल पचेरवाल, सदस्य, विधान सभा, विभाजन संख्या 25, को राजस्थान

(श्री यदुनाथसिंह)
विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह भाटी।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : मैं उक्त प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव नं.-3, श्री कमलेन्द्र सिंह।

श्री कमलेन्द्र सिंह (बल्लभनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री गोपाल पचेरवाल, सदस्य, विधान सभा, विभाजन संख्या 25, को राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री राज बहादुर।

श्री राज बहादुर (भरतपुर) : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष पद पर श्री अहमद बक्श सिन्धी के निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : नं. 4 श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री अहमद बक्श सिन्धी, सदस्य, विधान सभा, विभाजन संख्या 8 को राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीराम गोटेवाला।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं उक्त प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : नं. 5, आर्डर प्लीज। श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री अहमद बक्श सिन्धी, सदस्य, विधान सभा, विभाजन संख्या 8 को राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : डा. हरिसिंह।

श्री हरिसिंह (फुलेरा): मैं उक्त प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : पाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : नो पाइंट आफ आर्डर।

श्री कैलाश मेघवाल : आप सुन लीजिये। मैं कभी इर्रेलेवेन्ट नहीं बोलता। मेरा निवेदन है कि आपने प्रस्ताव कराया और हर प्रस्ताव के हर समर्थक ने एक ही भाषा बोली है कि मैं "उक्त" प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मेरा निवेदन है कि "उक्त" तो लिखित में होता है ऊपर जब कुछ होता है तो उक्त की भाषा प्रयुक्त की जाती है। आखिर इस पर मत करवाया जा रहा है तो "मैं माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।" इस भाषा का प्रयोग किया जाय, यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि प्रस्तावों के समर्थकों ने "उक्त" शब्द बोला है जो उपयुक्त नहीं है। मैं समझता हूं माननीय सदस्यों का आशय इसी से है कि जो उपरोक्त प्रस्ताव पहले पुकार लिया गया है। उसका समर्थन कर रहे हैं।

आर्डर प्लीज।

(श्री अध्यक्ष)
नं. 6 श्री भैरूंलाल भारद्वाज।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री अहमदबक्श सिंधी, सदस्य, विधान सभा, विभाजन संख्या 8 को राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री नारायणसिंह।

श्री नारायणसिंह (दांतारामगढ़) : मैं माननीय सदस्य, श्री भैरूंलाल भारद्वाज ने जो प्रस्ताव किया है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : नं. 7। श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह (गुढ़ा) : मैं नियम 8 के उप नियम 3 के तहत श्री यदुनाथसिंह का प्रस्ताव वापस लेता हूं और सदन से अनुरोध करता हूं कि आज···

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह अपना प्रस्ताव वापस ले लें ?

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने एक गम्भीर समस्या है, एक अहम मसला है जिसमें एक हरिजन बालक, एक नवयुवक को आपके सामने उपाध्यक्ष पद के लिए अपना···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, नियमों के अन्तर्गत मेरा स्टेटमेंट इसके बारे में दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेत- पहाड़िया जी, जो कि हरिजनों के नेता ब- हैं, को यहां पर श्री गोपाल पचेरवाल क- उपाध्यक्ष बना कर एक उदाहरण पेश करन- चाहिए कि एक भंगी के लड़के को हमने उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित किया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति चाहते हैं ? इसके लिए अनुमति प्रदान की जावे।

आर्डर प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोद- अच्छी परम्परायें डालिए।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर आसन पै- पर है, कृपया स्थान ग्रहण करें।

मतदान प्रस्ताव जिस क्रम से है उस- क्रम में लिये जायं।

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण करें। व्यवधान न- डालें माननीय सदस्य।

प्रश्न यह है कि माननीय सदस- श्री यदुनाथसिंह, सदस्य, विधान सभा, विभा- जन संख्या 133 ने जो प्रस्ताव किया कि श्री गोपाल पचेरवाल, सदस्य, विधा- सभा, विभाजन संख्या 25 को राजस्था- विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किय- जाय, स्वीकार किया जाय ?

(ध्वनि मतदान)

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

माननीय सदस्य। ना पक्ष जीता।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। ना पक्ष जीता।

कृपया स्थान ग्रहण करिये। हो सकता है मेरे सुनने में कोई गलती रह गयी हो। मैं इस प्रस्ताव को वापिस प्रस्तुत करता हूं। कभी कभी सुनने में गलती हो जाती है। इसलिए माननीय सदस्य ध्यान से सुनें।

माननीय सदस्य, श्री यदुनाथसिंह ने प्रस्ताव किया है उस पर सदन में मतदान हो रहा है।

प्रश्न यह है कि श्री गोपाल पचेरवाल, सदस्य, विधान सभा, विभाजन संख्या 25 को राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाय ?

(अस्वीकृत)

(व्यवधान)

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस पर सीक्रेट बैलेट हो।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। मैं अगला प्रश्न पूछता हूं। क्या माननीय सदस्य विभाजन चाहते हैं ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

श्री यदुनाथ सिंह : इसमें न्याय होगा।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : जनता की आवाज है इससे अन्तरआत्मा का पता लगेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। कृपया शान्त रहें, माननीय सदस्य।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : यह हरिजनों के मसीहा बनते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। कृपया, माननीय सदस्य, आपस में बातें नहीं करें।

श्री ईश्वर लाल सैनी : आज अपोजीशन के लीडर ही नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य। कृपया शान्त रहें।

श्री देवीसिंह भाटी : आप तो हरिजनों के हितैषी बनते हो।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया शान्त रहें ? मैं प्रश्न दुबारा पूछ रहा हूं। आर्डर, आर्डर। श्री यदुनाथसिंह, सदस्य, विधान सभा, विभाजन, संख्या 133 ने प्रस्ताव किया है।

प्रश्न यह है कि श्री गोपाल पचेरवाल, सदस्य, विधान सभा, विभाजन संख्या 25 को राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाय ?

(ध्वनि मतदान)

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

आर्डर । आर्डर । जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के विपक्ष में हों वे ना पक्ष की लाबी में पधारने का कष्ट करें और जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हों वे माननीय सदस्य हां पक्ष की लाबी में जाने का कष्ट करें।

(2.40 म. प.)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई): अध्यक्ष महोदय, पॉइन्ट आफ आर्डर । आप परिणाम घोषित करें उससे पहले मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है··

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, आर्डर रूल 286. अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने पहली बार हां पक्ष को ना पक्ष में भेज दिया····

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, ··माननीय सदस्य शांत रहें।

श्री नाथूसिंह : माननीय जोशी जी जानते हैं कि···

श्री अध्यक्ष : पॉइन्ट आफ आर्डर पर आइये, आप भूमिका न बांधिये ।

श्री नाथूसिंह : 286 रूल इस प्रकार है।

श्री अध्यक्ष : वह पढ़ लिया है मैंने पहले ही ।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर आता है कि आर्डर रूल 286, क्लाज 3, अध्यक्ष महोदय, इसमें (बी) और (सी) है। (बी) और (सी) 286 को मैं पढ़ कर सुनाता हूं आपको :

(b) After the lapse of two minutes he shall put the question a second time and declare whether in his opinion the 'Ayes' or the 'Noes' have it.

(c) If the opinion so declared is again challenged, he shall direct that the votes be recorded by the members going into the Lobbies:

अध्यक्ष महोदय, आगे आप सुनिये । अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आप किसी भी प्रश्न को सदन में वोट के लिए रखते हैं···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । मतगणना की प्रक्रिया विचाराधीन चल रही है इसलिए किसी प्रकार की आपत्ति स्वीकार्य नहीं है, सिवाय गिनती के बारे में या कोई माननीय सदस्य यह कहें कि मैंने गलती से मत इधर से उधर दे दिया । आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप सुनिये तो सही···

श्री अध्यक्ष : अब कोई आपत्ति नहीं होगी। आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम के बारे में····

श्री अध्यक्ष : इस समय कोई आपत्ति नहीं होगी। नियम तो जानते नहीं हैं। कृपया बैठ जावें। नो, नो, नो, कृपया बैठ जावें।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप परिणाम घोषित करें...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, क्लोज। विभाजन का परिणाम निम्न प्रकार है...

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, परिणाम के बाद तो उठा ही नहीं सकते। आपत्ति मेरी यह है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आपने जो घण्टी बजाई वह पांच मिनट के लिए नहीं बजा कर केवल तीन मिनट के लिए बजाई...

श्री अध्यक्ष : पांच मिनट बजाई है हमने घण्टी। उसके लिए कोई नहीं कह सकता कि पौने पांच मिनट बजाई।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विभाजन का परिणाम निम्न प्रकार है :

हां पक्ष-39 वोट।

ना पक्ष-116 वोट।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(व्यवधान)

अगला प्रस्ताव।

श्री हीरालाल देवपुरा : प्रस्ताव वापस नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव गिर गया, डिक्लेयर कर दिया।

मत विभाजन

ना पक्ष

क्रम संख्या	विभाजन संख्या	सदस्य का नाम
1	2	3
1.	3	श्री अमर चन्द
2.	4	श्री अमराराम
3.	5	श्री अमीन खां
4.	6	श्री अलखा राम
5.	7	श्री असलम खां
6.	8	श्री अहमद बक्श सिंधी

1	2	3
7.	9	श्री आत्माराम
8.	10	श्री ईश्वरलाल सैनी
9.	12	श्री उदयराम धाकड़
10.	14	श्री कनकराज मेहता
11.	15	श्रीमती कमला भील
12.	16	श्रीमती कमला
13.	17	श्री कमला भाई मीणा
14.	20	श्री केसरीचन्द चौधरी
15.	24	श्री गोकुलचन्द शर्मा
16.	26	श्री गोविन्द श्रामलिया
17.	27	श्री गोविन्द सिंह गुर्जर
18.	28	श्री घनश्याम जैन
19.	30	श्री घासीराम यादव
20.	31	श्री चतुर्भुज
21.	32	श्री चन्दनमल बैद
22.	37	श्री चेतराम
23.	40	श्री सी. एल. कंवरिया
24.	41	श्री जगतार सिंह
25.	42	श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी
26.	43	श्री जगन सिंह
27.	44	श्री जनार्दन सिंह गहलोत
28.	45	श्री जयकृष्ण शर्मा
29.	46	श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया
30.	48	श्री जीवराज सिंह राठौड़
31.	49	श्री जेठमल बरबड़
32.	50	श्री ज्ञान सिंह चौधरी
33.	51	श्री तकीउद्दीन अहमद
34.	53	श्री तेजपाल यादव
35.	55	श्री थान सिंह मीणा
36.	57	श्री दिनेश डांगी
37.	58	श्री दीन मोहम्मद
38	60	श्री दीपेन्द्र सिंह
39.	61	श्री दुलाराम
40.	62	श्री देवदत्त तिवाड़ी

1	2	3
41.	63	श्री देवीलाल
42.	66	श्री देवेन्द्र कुमार मीणा
43.	67	श्री देवेन्द्र सिंह
44.	68	श्री द्वारका प्रसाद बैरवा
45.	72	श्री नरेन्द्र सिंह भाटी
46.	74	श्री नाथूराम (बागीदौरा)
47.	76	श्री नानालाल
48.	77	श्री नानूराम कुमावत
49.	78	श्री नारायण सिंह
50.	79	श्री परसराम मोरदिया
51.	80	श्री परसराम मदेरणा
52.	83	श्री पूंजीलाल मीणा
53.	85	श्री पृथ्वीसिंह
54.	86	श्री प्रद्युम्नसिंह
55.	87	श्री प्रभूलाल
56.	90	श्री बद्री प्रसाद गुप्ता
57.	91	श्री बनवारी लाल
58.	93	श्री बाबूलाल बैरवा
59.	95	श्री बिहारी लाल पारीक
60.	96	श्री बुलाकीदास कल्ला
61.	97	श्री बृजसुन्दर शर्मा
62.	100	श्री भंवरसिंह शेखावत
63.	101	श्रीमती भगवती देवी
64.	102	श्री भगवानदास डोसी
65.	104	श्री भरतलाल
66.	106	श्री भालू खां
67.	108	श्री भूराराम
68.	110	श्री भैरूंलाल (मनोहरथाना)
69.	111	श्री भैरूंलाल भारद्वाज
70.	112	श्री भैरूंसिंह गुर्जर
71.	114	श्री मनफूल राम
72.	119	श्री महेन्द्रसिंह
73.	121	श्री माणकमल मेहता
74.	122	श्री माधवसिंह दीवान

1	2	3
75.	124	श्री मानसिंह देवड़ा
76.	129	श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना)
77.	130	श्री मोहनलाल जाट (कपासन)
78.	132	सैयद मोहम्मद अयाज महाराज
79.	136	श्री रतनलाल ताम्बी
80.	139	श्री राधेश्याम (हरदयाल)
81.	141	श्री रामकरण कताला
82.	142	श्री रामकिशन
83.	144	श्री रामदेवसिंह
84.	146	श्री रामनारायण हूंडी
85.	148	श्री रामप्रसाद
86.	149	श्री रामरघुनाथ चौधरी
87.	150	श्री रामलाल (उनियारा)
88.	152	श्री रामसहाय सोनड़
89.	153	श्री रामसिंह विश्नोई
90	155	श्री रूपलाल परमार
91.	157	श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत
92.	162	श्री विष्णुप्रकाश बजारी
93.	164	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
94	165	श्री शिवचरण माथुर
95.	166	श्री शिवदानसिंह राठौड़
96.	167	श्री शिवराम शर्मा
97.	168	श्री शिवसिंह रावत
98.	169	श्री शीशराम ओला
99.	171	श्री शोभराजमल
100.	173	श्री श्रीराम रावत
101.	174	श्री श्रीराम गोटेवाला
102.	176	श्रीमती समुन्द्र कंवर
103.	179	श्री सुजानसिंह यादव
104.	180	श्री सुनील कुमार विश्नोई
105.	183	श्री सुरेन्द्र व्यास
106.	185	श्री सूरजपाल सिंह
107.	186	श्री सूर्य कुमार
108.	190	श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर

1	2	3
09.	191	श्री हरसहाय मीणा
10.	192	श्री हरिदेव जोशी
11.	193	श्री हरिसिंह (कुम्हेर)
12.	194	डॉ. हरिसिंह (फुलेरा)
13.	195	श्री हरिसिंह (महुआ)
14.	197	श्री हरेन्द्र मिर्धा
15.	199	श्री हीरालाल देवपुरा
16.	200	श्री हेमाराम चौधरी

मत विभाजन

हां पक्ष

क्रम संख्या 1	विभाजन संख्या 2	सदस्य का नाम 3
1.	1	श्री अनंग कुमार जैन
2.	11	श्रीमती उजला अरोड़ा
3.	13	श्री उम्मेद सिंह
4.	18	श्री कमलेन्द्र सिंह
5.	19	श्री कुन्जीलाल
6.	21	श्री कैलाशचन्द्र मेघवाल
7.	23	श्री गुलाबचन्द कटारिया
8.	25	श्री गोपाल पचेरवाल
9.	29	श्री घनश्याम तिवाड़ी
10.	34	श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी
11.	36	श्री चुन्नीलाल
12.	38	श्री छीतरलाल आर्य
13.	47	श्री जीतमल जैन
14.	56	श्री दाऊदयाल जोशी
15.	65	श्री देवीसिंह भाटी
16.	70	श्री नन्दलाल मीणा
17.	75	श्री नाथूसिंह
18.	82	सुश्री पुष्पा जैन

1	2	3
19.	88	श्री फतेसिंह
20.	89	श्री बंसीलाल पटवा
21.	92	श्री बहादुर सिंह
22.	94	श्री बालचन्द्र आर्यवीर
23.	99	श्री भंवरलाल शर्मा
24.	103	श्री भगवानदास शास्त्री
25.	105	श्री भरोसी
26.	107	श्री भूपाल सिंह
27.	116	श्री महाराज चौधरी
28.	128	श्री मेघराज तावड़
29.	133	श्री यदुनाथ सिंह
30.	135	श्री रघुवीर सिंह कौशल
31.	138	श्री राजबहादुर
32.	140	श्री रामकंवार बैरवा
33.	143	श्री रामकिशोर मीणा
34.	160	श्री ललित किशोर चतुर्वेदी
35.	163	श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह
36.	187	श्री सोहनलाल बंसीवाल
37.	181	श्री हंसराज शर्मा
38.	.196	श्री हरीश शर्मा
39.	198	श्री हीरालाल आर्य

(श्री अध्यक्ष)

अगला प्रस्ताव जो माननीय श्री कमलेन्द्र-सिंहजी ने प्रस्तुत किया है वह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है कि श्री गोपाल पचेरवाल, सदस्य, विधान सभा, विभाजन संख्या 25, को राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाये ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। प्रस्तावकर्ता श्री सुरेन्द्र व्यास का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि श्री अहमदबक्श सिंधी, सदस्य विधान सभा, विभाजन सं. 8 को राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाये।

(ध्वनि-मतदान)

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : ना पक्ष जीता।

श्री अध्यक्ष : दुबारा पूछ लेता हूं अगर कोई गलती रह गई है तो। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, कृपया बातें न करें आपस में। दुबारा पूछा जा रहा है प्रश्न।

प्रश्न यह है कि श्री अहमद बक्श सिंधी, सदस्य, विधान सभा, विभाजन संख्या 8, को राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाय?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री अहमद बक्श सिंधी, सदस्य, विधानसभा विभाजन संख्या 8, को राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। शेष प्रस्तावों को सदन के समक्ष प्रस्तुत करने की नियमानुसार आवश्यकता ही नहीं है।

अगला विषय।

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो बधाई होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : उपाध्यक्ष महोदय जी, कृपया अपने स्थान पर पधारें।

(2.46 म. प.)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष को सदन के नेता सहित, विभिन्न दलों के नेता एवं सदस्यों ने उनके लिए नियत स्थान पर पहुंचाया)

अनुपूरक अनुदान की मांगें

मांग संख्या 47-पर्यटन व मांग संख्या 28-सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम

अगला विषय।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : "अगला विषय तो माननीय उपाध्यक्ष जी को लेने दें।"

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। स्थान ग्रहण कीजिए माननीय सदस्य। व्यवस्था बनाइये माननीय सदस्यगण। स्थान ग्रहण कीजिए माननीय सदस्य.....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य शान्त रहें। आपस में बातें नहीं करें।

अगला विषय। अनुपूरक अनुदानों की मांगें 1980-81 पर विचार एवं मतदान। निम्नांकित अनुदान की मांगें विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत की जायेंगी। मांग संख्या 47 पर्यटन, श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

(व्यवधान)

मांगें प्रस्तुत की जा रही हैं।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : मांगें प्रस्तुत होने के बाद में।

श्री मोहन लाल मोदी (नीम का थाना): अध्यक्ष महोदय, साढ़े तीन बजे मुख बन्द का प्रयोग किया जायेगा और इस समय तीन बजने में दस मिनट का समय है। यह करोड़ों रुपयों की मांगों का प्रश्न है। इस पर सारे माननीय सदस्य अपने विचार रखना चाहेंगे....

श्री अध्यक्ष : इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं। एक मिनट में···

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इस अवसर पर भाषण नहीं होंगे।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया अधूरी रह गई है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, इस समय भाषण नहीं होते हैं। पहले मांगें प्रस्तुत कर दी जावें उसके पश्चात् आप बोलें। पर्यटन मंत्री महोदय।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (पर्यटन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वर्ष 1980–81 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 47–पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 28,15,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : मांग संख्या 28- सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम।

श्रीमती कमला (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि वर्ष 1980–81 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 28–सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 60,00,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

मांग संख्या 47 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 47 मुख्य शीर्षक पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय:—

1. श्री सूर्यकुमार (नैनवा): बूंदी एवं बूंदी जिले में स्थित ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थलों को दृष्टिगत करते हुए बूंदी को पर्यटन केन्द्र अथवा पर्यटन महत्व का स्थल घोषित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

2. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : बीकानेर के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थानों को पर्यटन स्थल बना कर सुन्दर बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

3. बीकानेर के पर्यटन स्थलों का आवश्यक प्रचार नहीं किये जाने तथा बीकानेर ढोला मारू के प्रचार करने तथा कोलायत में "मिडवे" न बनाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा के लिए।

4. बीकानेर के देवकुण्ड सागर रतोजो एवं मण्डासर जैन मन्दिर गजनेर कोलायत एवं करणीमाता मन्दिर जैसे ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों को खूबसूरत बनाकर प्रचार करने में विभाग की सौतेली नीति पर चर्चा के लिए।

5. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर), श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) एवं श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : उदयपुर जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थानों को खूबसूरत बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

6. पर्यटन की दृष्टि से मेवाड़ काम्पलेक्स बनाने की योजना की प्रगति पर असफलता हेतु चर्चा के लिए।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

7. मेवाड़ के पर्यटन स्थलों का प्रचार करने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिए।

8. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद), श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग), एवं श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : चारचौमा एवं गेपुरनाथ जी को पर्यटक केन्द्र की सूची में सम्मिलित कर उनको सुन्दर बनाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

9. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा), श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) एवं श्री बालचन्द्र आर्य (डग) : इन्द्रगढ़ की माता जी कमलेश्वर तथा माला देवी महादेव आदि पर्यटन स्थलों को सुन्दर बनाकर प्रचार करने में विभाग असफल रहा, इस पर चर्चा के लिए।

10. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) एवं श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : नायब तहसील इन्द्रगढ़ के मालादेवी स्थान में अथाह सुरंग है जो पर्यटकों का आकर्षण केन्द्र बन सकती है जिसके प्रचार के संबंध में चर्चा के लिए।

11. पालेश्वर महादेव तथा फूसोद माता जी को पर्यटन की दृष्टि से खूबसूरत बनाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

12. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी), श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) एवं श्री सूरज पाल सिंह (भीनमाल) : पर्यटन की दृष्टि से बाण गंगा बिलाड़ा पर टूरिस्ट बंगला बनाने हेतु चर्चा के लिए।

13. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : राजस्थान में पर्यटक स्थलों का प्रचार न किये जाने से हो रही सख्ती पर चर्चा के लिए।

14. नई दिल्ली स्थित टूरिस्ट बंगले पर आय से अधिक व्यय होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

15. पर्यटन दृष्टि से जयपुर नगर के ऐतिहासिक स्थलों को खूबसूरत बनाकर उनका प्रचार करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए।

16. पर्यटन विभाग में नये पदों के सृजन के औचित्य पर चर्चा के लिए।

17. पर्यटन विभाग में टेलीफोन के दुरुपयोग के कारण होने वाले अनावश्यक व्यय पर चर्चा के लिए।

18. विभाग द्वारा पर्यटन के सम्बन्ध में उचित प्रचार के अभाव पर चर्चा के लिए।

19. प्रदेश के जीर्ण मार्ग पर्यटन स्थलों की मरम्मत करा कर उन्हें सुन्दर बनाने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिए।

20. होली पर जयपुर में सांस्कृतिक समारोह न मनाये जाने के प्रश्न पर चर्चा के लिए।

21. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक): टोडारायसिंह एवं देवली के पास राजमहल में पर्यटन स्थल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

22. श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर) : सीकर जिले में महत्वपूर्ण स्थानों का पर्यटन की दृष्टि से व्यापक प्रचार नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

23. श्री मोहनलाल (नीम का थाना): ग्राम बलेश्वर, तहसील नीम का थाना में पर्यटक बंगला बनाने हेतु चर्चा के लिए।

मांग सं. 28 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 28 मुख्य शीर्षक सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए:—

1. श्री सूर्य कुमार (नैनवा) : बून्दी जिले की नैनवा पंचायत समिति के समस्त क्षेत्र को सूखा आशंकित कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

2. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): बीकानेर जिले में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत तथा लघु सिंचाई का विकास कराने हेतु चर्चा के लिए।

3. बीकानेर जिला, जो सूखा आशंकित क्षेत्र है उसमें विभाग द्वारा फव्वारे से सिंचाई न कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

4. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर), श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) एवं श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत उदयपुर जिले को भी सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

5. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) एवं श्री बाल चन्द्र आर्यवीर (डग): सूखा आशंकित क्षेत्रों में ओवरसियरों के अभाव में मजदूरों को मजदूरी न मिलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

6. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी), श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) एवं श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : पश्चिमी राजस्थान के सूखे क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से निबटने के लिए 10 वर्षीय योजना बनाने की चर्चा के लिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):
7. सूखा प्रणत क्षेत्र में काम न होने से जनता को होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिए।

8. सूखा प्रणत क्षेत्र के प्रदेश में नए ब्लाक न खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

9. सूखा प्रणत क्षेत्र में हो रहे कार्यों की क्षीण गति पर चर्चा के लिए।

10. सूखा प्रणत क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की अव्यवस्था के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

11. श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर) : सीकर जिले को सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत चल रहे कार्यों की गति दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

12. श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): नीम का थाना क्षेत्र में सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई कार्य चालू नहीं करने पर चर्चा के लिए।

13. श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर) : सीकर जिले में सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई प्रावधान नहीं किये जाने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिए।

बधाई

श्री अहमद बक्श सिंधी को उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचन के लिये बधाई

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय···

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह बड़ी प्रसन्नता की बात है, और इसके लिये आप बधाई के पात्र हैं। विधान सभा के चुनाव के बाद से लेकर अब तक हमारा यह महत्वपूर्ण पद रिक्त पड़ा हुआ था उसके अभाव में सारी कठिनाइयां अनुभव की जा रही थीं, तो आपको सबसे पहले इस बात के लिये बधाई कि आपने उस अभाव को दूर कर इस सदन को कृतार्थ किया है।

दूसरी बात, इस पद पर जो माननीय सदस्य चुने गये हैं, श्री अहमद बक्श सिंधी साहब जिनका आज निर्वाचन हुआ है, मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से उनका अभिनन्दन करता हूं। साथ ही हम आपसे यह आशा करते हैं कि आप अब एक न्याय के पद पर यहां पर विराजमान होंगे और आप सारे सदन के, विशेषकर विरोधी पक्ष के अधिकारों का ध्यान रखेंगे। आपकी सीट तो वैसी है, जैसे ब्याह करके कोई लड़की आती है तो वह अपने घर वालों का भी खयाल रखती है लेकिन ससुराल जाती है तो उनका भी ध्यान रखती है।

श्री दूलाराम : यह तो लड़का है।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप दोनों परिवारों में समन्वय बना कर रखेंगे, सद्भाव बनाकर रखेंगे। आपके आने से हम और मजबूत होंगे।

इसी आशा विश्वास के साथ मैं आपके निर्वाचन पर पुनः बधाई देता हूं।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज उपाध्यक्ष पद पर माननीय अहमद बक्श सिंधी के निर्वाचन पर मैं अपने दल जनता जे.पी. की तरफ से बधाई देता हूं। माननीय अहमदबक्श जी सिंधी जाने माने एडवोकेट हैं, कानूनविज्ञ हैं। अपनी क्षमता का जो परिचय जोधपुर हाई कोर्ट में दिया था वही परिचय यहां पर देंगे और दलगत भावना से ऊपर उठकर विरोधी दल की जो समस्याएं हैं, उनको सुलझाने में मदद करेंगे।

(2.52 म.प.)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

यह कहकर मैं अपने दल की तरफ से बधाई देता हूं।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको अपने दल की ओर से बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि आप इस कुर्सी पर विराजमान हुए। आप एक कुशल वकील भी रहे हैं और न्याय के मामले में आप हमेशा लड़ाई भी लड़ते रहे हैं। मुझे पूरी आशा है कि जिस प्रकार हमारे वर्तमान अध्यक्ष जी सभी पक्षों की बातों को ध्यान में रखते हुए सदस्यों के अधिकारों और उनकी भावनाओं को सदन में व्यक्त करने का मौका देते हैं, आप भी उस परम्परा पर चलते हुए हमारा ध्यान रखेंगे। विशेष कर सत्तापक्ष तो सदन में हावी रहता है, इसलिये विरोधी पक्ष को आपकी ओर से विशेष प्रोटेक्शन मिलेगा, ऐसी मैं आशा करके चलता हूं। जो आप कानून में बाहर फेंकने की प्रक्रिया देख रहे थे, उस पर आप ध्यान नहीं देंगे।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज लोकतांत्रिक मर्यादाओं के आधार पर सभी माननीय सदस्यों ने सदन की गरिमा और मान मर्यादाओं की रक्षा के लिये और हमारी सब की रक्षा के लिये आपको निर्वाचित किया है। आशा करता हूं, विशेष-कर छोटे दल के जो सारे माननीय सदस्य सदन में बैठे हैं, जब गरीब तबके के छोटे तबके की बात कहने के लिये आयेंगे तो आप उनके हितों की रक्षा करेंगे। इस शुभ अवसर पर मैं आपका हार्दिक अभिनन्दन करता हूं।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज आप जिस कुर्सी पर सुशोभित हो रहे हैं, उसके लिए मैं आपको सबसे पहले मेरी ओर से और मेरे दल की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। यह आशा करता हूं कि जो झोंपड़ियों की आवाज है, जो गरीबों की आवाज है, जो सही बातें हैं, उनको सदन में रखने के लिये हम जब अपनी बात उठायें, उस समय आप हमारे अधिकारों की रक्षा करेंगे, हमारे अल्प संख्या में होने की वजह से या छोटा दल होने की वजह से हमारी आवाज को, गरीबों की आवाज को यहां दबायेंगे नहीं। उसकी रक्षा के लिये हमें प्रोटेक्शन देंगे।

इसी आशा के साथ मैं पुनः आपको बधाई देता हूं। धन्यवाद।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके उपाध्यक्ष पद पर चुने जाने पर मैं अपनी ओर से और मेरे दल की ओर से बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (मुख्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके उपाध्यक्ष चुने जाने पर मैं अपनी ओर से और सारे सदन की ओर से आपको हार्दिक बधाई देता हूं। आप चूंकि बहुत अनुभवी, बुजुर्ग तजुर्बेकार वकील भी रहे हैं और हमारी पार्टी के अन्दर काम करते हुए भी हमने आपको देखा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य के रूप में जिस प्रकार आप विचार व्यक्त करते रहे हैं, वह हमसे छिपा हुआ नहीं है, आप मंत्री भी रह चुके हैं, इसलिए प्रजातांत्रिक परम्पराओं के बारे में आपको जानकारी है। सदन की परम्पराओं, नियमों के बारे में मुझे पूरा विश्वास है कि सारी प्रक्रिया, नियमों और परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से आप हम सब की संतुष्टि के अनुकूल इस सदन को चला सकेंगे और अध्यक्ष जी की सहायता इस काम में कर सकेंगे।

मैं पुनः अपनी ओर से, सारे सदन की ओर से आपको बधाई देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं बहुत आभारी हूं आपका जो मुझे आपने निर्वाचित किया। जो विचार माननीय सदस्यगण ने रखे हैं, खास तौर से हमारे विरोधी दल के नेताओं ने और हमारे सदन के लीडर ने जो विचार रखे हैं, उनके लिए मैं आभारी हूं। मैं कोशिश करूंगा, कि सदन की परम्पराओं को कायम रखते हुए नियमानुसार कार्यवाही चलाऊं। मैं आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा करता हूं, कि सहयोग मुझे देंगे ताकि मैं सही ढंग से सुचारु रूप से सदन की कार्यवाही का संचालन कर सकूं। मैं फिर आपका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।

मांग संख्या 47 व 28 पर विचार

कटौती प्रस्ताव जो माननीय मंत्री महोदय ने रखा है, उस पर बोलने के लिए··

श्री हीरालाल देवपुरा : मांगें रखी हैं।

श्री उपाध्यक्ष: मांग रखी है। I am sorry. श्री सूर्यकुमार।

श्री सूर्यकुमार (नैनवा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर्यटन और सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम विभागों से संबंधित अनुपूरक मांगों के संबंध में अपने कटौती प्रस्तावों के समर्थन में अपनी बात कहते हुए मैं सबसे पहले मेरा फर्ज यह समझता हूं कि जिन माननीय सदस्यगण और नेतागण ने आपको हार्दिक बधाइयां अर्पित की हैं, मैं भी उनके साथ अपने हृदय के अन्तरतल से आपके निर्वाचन पर मेरी बधाई आपको अर्पित करता हूं। यह बात भी कहे बगैर नहीं रह सकता कि मुझे जहां आपके निर्वाचित होने पर बहुत खुशी है वहीं मुझे इस बात का दुख है कि इस सदन की परंपराओं के हिसाब से अब आप किसी भी दल के नहीं रहे। मुझे एक संघर्षशील कार्यकर्ता के रूप में आपसे जो मार्गदर्शन मिलता आया है वह मुझे नहीं मिलेगा, इसका मुझे दुख है। खैर, इस दुख के मुकाबले में आपको इस कुर्सी पर फिर देख कर मुझे खुशी है, मैं इसके लिये आपको पुनः बधाई अर्पित करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि यह अनुपूरक मांगें केवल तीन दिन के लिये जिन्दा रहने वाली हैं 31 मार्च, 1981 को इन मांगों का अवसान होगा। मुझे यह भी मालूम है कि कटौती प्रस्ताव पेश कर जिस बात की ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उसके जवाब में मंत्री महोदय से सुनने को यही मिलेगा कि बहुत अच्छे सुझाव आये हैं,...

एक माननीय सदस्य: उपाध्यक्ष तो विधान सभा का सदस्य भी बना रह सकता है, उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होती।

श्री सूर्यकुमार : मेरा इससे तात्पर्य नहीं है। सदस्यता और गैर सदस्यता से मेरा तात्पर्य नहीं है लेकिन परम्पराओं के निर्वाह की खातिर वह सक्रिय गतिविधियों में भाग नहीं लेता है। मेरा सदस्यता से या उससे तात्पर्य नहीं है।

मैं निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, कटौती प्रस्तावों के जवाब में औपचारिकता वश मुझे जो सुनने को मिलता रहा है वही सुनने को मिलेगा। जब मैं यह सोचता हूं तो मुझे एक शेर याद आता है,

"वे मुतमइन हैं पत्थर पिघल नहीं सकता
मैं बेकरार हूं अपनी आवाज में असर के लिये।"

पर्यटन का केन्द्र बूंदी नहीं बना, बूंदी जिला नहीं बना, यह बूंदी जिले का दुर्भाग्य तो मैं मानता ही हूं लेकिन इतिहास के उन पृष्ठों का भी दुर्भाग्य मानता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, जिन पृष्ठों ने बूंदी जिले के इतिहास की गौरवमयी गतिविधियों को अपने आप में संजो रखा है। बूंदी जिला केवल आजादी के पहले का इतिहास नहीं, बूंदी जिला आजादी की लड़ाई का भी एक जीताजागता इतिहास है। मुझे याद है अच्छी तरह से, जिन्होंने आजादी का इतिहास पढ़ा, वे भी जानते होंगे 1857 की वह बात थी, तांत्या टोपे आजादी की लड़ाई के संघर्ष में अपना घर छोड़ कर हिंदुस्तान के कोने-कोने में दौरा कर रहे थे और यह बूंदी जिले का सौभाग्य है, उपाध्यक्ष महोदय, कि तांत्या टोपे उस समय बूंदी में भी आये। यह भी

(श्री सूर्य कुमार)

सौभाग्य है बूंदी जिले का कि महाकवि सूर्यमल्ल मिश्रण, जो बहुत बड़ी उपलब्धि रही है बूंदी की, बूंदी जिले की, बूंदी रियासत की, उस समय जिन्दा थे। उन्होंने तांत्या टोपे का स्वागत बूंदी रियासत के तत्कालीन महाराजा से करवाया और तांत्या टोपे को वहां से मदद दिलवाई। मैं इस बात का इसलिये उल्लेख करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आजादी की लड़ाई का वह इतिहास इस बात का गवाह है कि बूंदी जिला एक पर्यटन स्थल बनने का पूरी तरह से, अपने ऐतिहासिक महत्व की वजह से, आजादी के इतिहास की वजह से पूर्ण रूप से अधिकारी है।

अगर वहां के दर्शनीय स्थलों की बात करूं तो वहां पर जो दर्शनीय स्थल हैं वे केवल प्राकृतिक रूप से ही संपदा को समेटे हुए नहीं हैं बल्कि कला के लिहाज से अर्ज करूं, तो बूंदी के महल जो आज वीरान हैं, सुनसान हैं उनकी दीवारों पर आप जाकर देखें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने अगर अपने इस लंबे जीवन में बूंदी महल की उन दीवारों को नहीं देखा हो तो मेहरबानी करके पर्यटन केन्द्र तो घोषित करें या न करें लेकिन एक बार उसको जरूर जाकर देखें। चित्रकारी जो दीवारों पर की जाती है मैं उसके बारे में मैं तो ज्यादा नहीं समझता लेकिन जो समझते हैं उनके लेख मैंने पढ़े हैं, उनका कहना है कि बूंदी महल की दीवारों पर जो चित्रकारी है वह अजंता और एलोरा के बाद में दूसरे नम्बर की चित्रकारी है। आज मुझे बड़ा दुख है, अगर आप भी उसको जाकर देखेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, तो पायेंगे कि चित्र जो दीवारों पर हैं, बोलते हुए हैं, सजीव हैं लेकिन उनकी आंखों में आंसू हैं। वे आंसू इस बात के हैं कि कितने बेरहम हैं हम लोग और कितनी बेरहम है हमारी यह पीढ़ी जो उस कला को संजोकर नहीं रखना चाहती, उस कला को दुनिया के सामने, उस कला को पूरे हिन्दुस्तान के सामने नहीं लाना चाहती। मैं नहीं समझता ऐसी कौनसी विवशता है, जो इतनी जीवंत कला है उस कला को सामने नहीं लाकर पर्यटन केन्द्र के रूप में हम विकसित नहीं करना चाहते।

मैं आपसे केवल एक ही स्थान के बारे में निवेदन करूं बूंदी जिले में एक स्थान है दुगारी। उस दुगारी का महत्व इसलिये है, उपाध्यक्ष महोदय, कि वह प्राकृतिक रूप से अच्छे-अच्छे स्थानों को मात देती है। अगर आप देखेंगे तो सूरज क्षितिज में उगता हुआ नजर नहीं आयेगा वह दुगारी के तालाब के किसी कोने से आपको निकलता हुआ नजर आयेगा। वहां अगर देखेंगे तो सूरज आपको डूबता हुआ नजर नहीं आयेगा उस तालाब में कहीं गोता लगाता हुआ नजर आयेगा। अगर आप देखेंगे, उस दुगारी में रात गुजारेंगे तो आप को दिखेगा कि रात में तारे उस डूबे हुए सूरज को और उगते हुए सूरज को तलाश कर रहे हैं। वहां पर चन्दन का वन है। आमों की अमराई है, बाग हैं। बहुत बड़ा जलाशय है। जलाशय के बीच में बहुत अच्छे छोटे-छोटे टीले हैं। नौका विहार हैं। यह सब प्रकृति ने उसको दान दिया है। प्रकृति की देन ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, उस ग्राम में एक मंदिर है तत्कालीन महाराजा का।

(श्री सूर्य कुमार)

उस मंदिर के चित्रों में रामायण और महाभारत का चित्रण किया गया है । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान में दुगारी के अलावा दूसरा ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर दीवारों पर चित्रों के माध्यम से रामायण और महाभारत को पूरी तरह से सजीव रूप से आंका गया हो और बताया गया हो ।

तो मेरा इन सब बातों को निवेदन करने का आशय यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि बूंदी जिला पर्यटन स्थल के रूप में घोषित होने का, पर्यटकों के लिये आकर्षण केन्द्र के रूप में घोषित होने का पूर्ण रूप से हकदार है। अब तक उसकी जो तलफी की गई है, अब तक उसे अपने अधिकार से वंचित किया गया है वह उसके साथ में न्याय नहीं किया गया है । मुझे इस बात के साथ साहिर लुधियानवी की तीन पंक्तियां याद आती हैं वे इसलिये याद आती हैं कि वे पंक्तियां उसने सावन की दो बूंदों की विवशता के लिए कही हैं। मैं भी उस विवशता की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह कि बूंदी जिला, बूंदी का महल और दुगारी कोने में स्थित नहीं होते, वे भी जयपुर की तरह बीच में या उदयपुर की तरह बीच में स्थित होते तो वे निश्चित रूप से पर्यटन केन्द्र के रूप में घोषित हो गये होते लेकिन चूंकि उनकी भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है उसकी वजह से वे पर्यटन केन्द्र घोषित नहीं हो पाये। तो केवल मुझे साहिर की वह पंक्तियां याद आती हैं ।

" दो बूंदें सावन की,

एक सागर की सीप में टपके और मोती बन जाय,

दूजी गंदे जल में गिर कर अपना आप गंवाय,

किसको मुजरिम समझे कोई, किसको दोष लगाय ।"

मैं किसी को दोष नहीं लगाता, मैं पुरजोर शब्दों में पर्यटन मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो समय गुजरा है, जो अन्याय आपने बूंदी के साथ, बूंदी जिले के साथ, बूंदी जिले के ऐतिहासिक स्थानों के साथ में किया है उसको मेहरबानी करके यह वक्त है, वक्त के रहते उसका अधिकार दिलवायें । इतिहास के पृष्ठ आपसे कुछ मांगते हैं उनकी मांग को समझिये, उनकी पुकार को समझिये बूंदी जिले को पर्यटन स्थल, पर्यटकों के लिये आकर्षण के केन्द्र के रूप में घोषित करने की मेहरबानी कीजिये। इसी बात के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मुझे मौका दिया। धन्यवाद ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री बुलाकीदास कल्ला।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, अनुपूरक अनुदान की मांगों के संबंध में जो कटौती प्रस्ताव मैंने दिये हैं उनके संबंध में अपने विचार रखता हूं । 1975 में आल वर्ल्ड ट्रेवल एजेंट एण्ड ट्रेवल एक्सपर्ट्स कांफ्रेंस जेनेवा में हुई थी उसमें यह निर्णय लिया गया था कि विश्व में सबसे आकर्षक यदि कोई प्रान्त है तो वह राजस्थान है। इस राजस्थान में उपाध्यक्ष महोदय आप स्वयं राजस्थान के हैं, यहां पर बर्फ और समुद्र के अलावा सब कुछ है।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

मगर आज कल प्रकृति की कृपा से बीकानेर जैसे रेगिस्तान हैं। यहां पर अरावली की पर्वत शृंखलायें हैं जिसमें माउण्ट आबू जैसे रमणीक स्थान हैं। यहां पर राजस्थान की वह चमकीली धरती है--जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर का इलाका साबित करता है। इसी प्रकार दुर्ग, किले, यहां की मस्ती के आलम हैं, जो वास्तुकला, चित्रकला और दस्तकारी के भवन बने हुए हैं--यह सारे हमारी गुलाबी नगरी जयपुर में, राजस्थान के दूर दराज में फैले हुए हैं। अपने देश का पर्यटन का नक्शा उठा कर देखें तो राजस्थान में इतने ऐतिहासिक, इतने पुरातत्व से सम्बन्धित पर्यटन के हिसाब से महत्वपूर्ण स्थल हैं, मैं समझता हूं कि विश्व में नहीं हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान के विभिन्न त्यौहार, मेले, यहां की परम्परायें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि आज विश्व के अधिकांश नागरिक राजस्थान के ऐतिहासिक स्थानों के बारे में जानकारी लेने के लिए यहां की सभ्यता, संस्कृति की जानकारी करने के लिए दूर दराज से आते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय,

(3.12 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत, सभापति, पदासीन)

राजस्थान इस प्रकार का प्रान्त है कि यहां पर पर्यटन को इण्डस्ट्री मानकर चलना होगा। मैं कहना चाहूंगा कि इसी दृष्टि से पर्यटन को देखा जाना चाहिए। मैं यह मांग करूंगा कि पर्यटन को उद्योग की तरह माना जाये और इसको प्रायोरिटी सैक्टर में लेकर तरजीह देकर बजट की व्यवस्था की जाये। स्पेन, फ्रांस, इटली, हांगकांग इन देशों के बजट में राजस्व की जो प्राप्तियां होती हैं, उसका अधिकांश भाग पर्यटन से प्राप्त होता है। स्विटजरलैंड, स्पेन की राजस्व का 60 प्रतिशत भाग पर्यटन से आता है लेकिन दुर्भाग्य से हमारे राजस्थान में जहां एक वर्ष में एक लाख 96 हजार पर्यटक विदेशों से आते हैं, वहीं पर लगभग 23 लाख देशी पर्यटक राजस्थान में आते हैं।

राजस्थान के पर्यटन स्थलों के सुधार और उनके विकास के लिए जो नेशनल सर्वे टीम आफ टूरिज्म राजस्थान में आई थी, उसकी सिफारिशें आज तक लागू नहीं की गई हैं। उसने तीन मुख्य सिफारिशें की थीं। एक तो डवलपमेंट आफ टूरिज्म के बारे में, अकोमोडेशन के बारे में और ट्रांसपोर्टेशन फैसेलिटीज के बारे में। जहां तक पर्यटन स्थलों के विकास की बात है जयपुर, उदयपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर, जैसलमेर, बीकानेर जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, उनके लिए अलग अलग सिफारिशें की थीं। इन सिफारिशों को विभाग अतिशीघ्र लागू करके इनका विकास करे।

जहां तक अकोमोडेशन का सवाल है, उन्होंने तीन प्रकार की सिफारिशें की थीं। एक तो ट्रायो एयर सर्विसेज, दूसरी होपिंग एयर सर्विसेज के बारे में सिफारिश की थी। इसी प्रकार उन्होंने यह सिफारिश की थी कि बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर के लिए रेल सेवा शुरू की जाय। जयपुर, भरतपुर, अलवर, चित्तौड़ के लिये भी सेवायें शुरू की जायं। इसके साथ जयपुर से माउण्ट आबू और उसके साथ ही आगे कोटा तक की ट्रायो एयर सर्विसेज शुरू करने की सिफारिश की

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

थी। इसके अलावा अच्छी बसेज राजस्थान के पर्यटन स्थलों तक जयपुर से सीधी शुरू की जायें, इसके बारे में सिफारिश की थी लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस समिति की सिफारिशें नहीं मानी गई हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि इन सिफारिशों को मानकर टूरिज्म का विकास किया जाय।

इसके अलावा दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय कान्फ्रेन्स होती है, वहां इतनी भारी आबादी बढ़ गई है जिसके कारण से विदेशी पर्यटक उमस महसूस करते हैं। हमारी केन्द्रीय सरकार यह महसूस करती है कि ऐसी कान्फ्रेन्स दिल्ली के पास ऐसे इलाके में हो जहां पर विदेशी पर्यटक मनोरंजन कर सकें और ऐसे स्थान मिल सकें। लेकिन हमारी राजधानी जयपुर में विदेशी पर्यटकों के लिए रहने की पर्याप्त सुविधायें नहीं हैं। यहां पर क्लार्क आमेर, मानसिंह, खासा कोठी और जितने भी आपके प्राइवेट होटल्स हैं उनमें केवल पांच हजार बैड्स की व्यवस्था है। जबकि राजधानी जयपुर में जितने पर्यटक आते हैं, उनके दबाव को देखते हुए काफी बैड्स बढ़ाने की गुन्जाइश है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अन्तर्राष्ट्रीय कान्फ्रेन्स जयपुर में तभी हो सकती है जब कि यह जयपुर में सेमिनार के लिए, रहने के लिए लोगों को सुविधायें उपलब्ध हों, अकोमोडेशन हो। साथ ही विज्ञान भवन जैसे भवन- टूरिज्म डिपार्टमेंट बनाते तभी जाकर राजस्थान में इन्टरनेशनल कान्फ्रेन्स होने की गुन्जाइश है।

इसके अलावा, जो हमारे देशी पर्यटक आते हैं उनकी अवहेलना की जाती है। उनके रहने के लिए सस्ते होटल पर्यटन विभाग को खोलने चाहिये। जहां तक इस इण्डस्ट्रीज के विकास का सवाल है, मैं आपको कहना चाहूंगा कि टूरिज्म इण्डस्ट्री किसी एक व्यक्ति या किसी एक विभाग से सम्बन्धित नहीं है। जो व्यक्ति पर्यटन के लिए आता है, उससे कितने लोगों को फायदा होता है। जो भी व्यक्ति आता है उससे चाय से लेकर डबल रोटी, धोबी, जूते बेचने वाले व अन्य वस्तुएं बेचने वाले लोगों को इनकम होती है। अर्थात् कहने का तात्पर्य यह है कि यह केवल क्लार्क आमेर का उदाहरण है, यहां पर 50 दुकानें हैं और उनसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पांच हजार लोगों को रोजगार मिलता है। यह ऐसा उद्योग है जिससे हमारे राजस्थान के 25 लाख से ऊपर बेरोजगारों की बेरोजगारी मिटायी जा सकती है। इसलिये इसको प्रायोरिटी सैक्टर में लेकर इसके विकास के लिए अधिक से अधिक बजट प्रावधान करके अधिक से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया जा सकता है।

सभापति महोदया, पर्यटन की तरफ ध्यान देने के लिए समय-समय पर सरकार ने प्रयास किये हैं लेकिन यह प्रयास भी अधूरे प्रयास हैं और अधिक प्रयास करने की जरूरत है।

मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि पर्यटन विभाग मरु मेला और कई मेले आयोजित करता है। हमारे राजस्थान में तो अनेक मेले पहले से ही आयोजित किये जा चुके हैं, किये जा रहे हैं, जिनमें हजारों लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, वहां पर विभाग किसी

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

प्रकार की सहायता नहीं देता है। कोलायत का मेला, नागौर का मेला, चाकसू का मेला इतने प्रसिद्ध हैं फिर भी वहां पर विभाग किसी प्रकार का शिविर नहीं लगाता है, पर्यटकों को आकर्षित नहीं करता है। जो मरु मेला आयोजित होता है उसमें आई.ए.एस. अधिकारी, आर.ए.एस. अधिकारी और पुलिस अधिकारी अपने मनोरंजन के लिए जाते हैं। देशी विदेशी पर्यटकों को रहने के लिए स्थान नहीं मिलते हैं।

सभापति महोदया, जो लोग पर्यटन स्थल पर जाते हैं, वहां विभाग के द्वारा जो टूरिस्ट बंगले बनाये गये हैं और जो कर्मचारी वहां पर काम करते हैं, उनका व्यवहार ठीक नहीं होता है। उनको मधुर व्यवहार करना चाहिए। उनको इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिये ताकि लोग आने वाले समय में बता सकें कि भारत के जो पर्यटन स्थल हैं उनमें ऐसी-ऐसी सुविधाएं हैं, लोगों को इतना अच्छा रखा जाता है। इन सारी बातों के लिये विभाग को प्रयास करना चाहिये। जो पारम्परिक मेले हैं, पारम्परिक उत्सव और विभिन्न प्रकार के धार्मिक उत्सव होते हैं। हमारे यहां पर ढाई दिन का झौंपड़ा है, गुरुद्वारे हैं, गिरजाघर हैं, क्या कुछ नहीं हैं। सारे सेकुलरिज्म से प्रभावित हमारे देश की, प्रान्त की संस्कृति है। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया लेकिन अफसोस है उनको पर्याप्त; अच्छा अवसर नहीं मिला है और हमारे देश के और हमारे प्रान्त के ही अधिकारी आ जाते हैं और इन मेलों का लाभ उठाते हैं। मैं कहूंगा कि पारम्परिक मेले जो हमारे यहां पर सदियों से आयोजित होते हैं जिनमें सभ्यता, संस्कृति का प्रत्यक्ष आपको उदाहरण मिल सकता है उन मेलों को विभाग द्वारा कार्यवाही करके विदेशी पर्यटकों को दिखाया जाये उनके विकास में सहयोग दें। हमारी जो धर्मशालायें हैं उनमें कुछ परिवर्तन करके विभाग उनको आधुनिक साधनों के रूप से सुसज्जित करने में मदद कर सकता है। जो व्यक्ति नई धर्मशालायें बनाने को तैयार हों उनको सस्ती जमीन देकर या आपका विभाग जिस प्रकार चाहता है उस प्रकार एक नक्शा बनाकर धर्मशालाओं के निर्माण के लिये भी प्रेरित करे।

हमारे जो टूरिस्ट सैंटर हैं उनमें पुरातत्व सामग्री, वास्तुकला और पुरानी मूर्तियां हैं उनकी चोरियां होती हैं क्योंकि पर्यटन विभाग और पुरातत्व विभाग में कोई ताल मेल नहीं है। ताल मेल नहीं होने के कारण हमारे देश की संस्कृति का विदेशों को निर्यात हो रहा है। उसको रोकने के लिये मैं, सभापति महोदया, मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इन दोनों विभागों को समन्वित करें। हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता के अन्दर जो विदेशी रुकावट पैदा हो रही है, उसके ऊपर आघात लग रहा है उसे तुरन्त रोक कर हमारे देश के पुरातत्व व संस्कृति व हमारी वास्तुकला की जो अमूल्य सामग्री है उसको हमारे देश में ही सुरक्षित रखा जाये।

इसी प्रकार हमारे देश में जितने टूरिस्ट आते हैं उनको पर्याप्त सूचना समय समय पर नहीं मिलती है इसलिये टूरिस्ट सूचना केन्द्रों का विस्तार किया जाना चाहिये।

मैं पुनः कहना चाहूंगा मंत्री महोदय को कि आप इसको इन्डस्ट्री घोषित

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

कर देंगे तो राजस्थान की अर्थ-व्यवस्था, जो घाटे की वित्त व्यवस्था करनी पड़ती है यह समाप्त हो जायेगी और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा ।

मास्टर प्लान टूरिस्ट विभाग ने बना लिया है लेकिन मैं प्रश्न करता हूँ कि क्या मास्टर प्लान के हिसाब से पर्यटन विभाग काम कर रहा है ? क्या समय बद्ध कार्यक्रम इस विभाग ने बना लिया है ? यदि बना लिया है, तो कितने इलाके को कवरेज किया है, कितने इलाकों में टूरिस्ट बंगले बना लिये हैं, कितनी जगह मिडवे बने हैं, कितनी जगहों पर सस्ते होटल कायम किये हैं ? उत्तर मिलेगा कि अभी तक विभाग इस सम्बन्ध में बहुत कम काम कर रहा है । इसमें वित्तीय साधनों का अभाव प्रायः देखा जाता है इसलिये मैं अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि टेलीफोन और महंगाई भत्ता तथा अन्य कारण आपने दिये हैं, यह सही है कि इन कारणों से अधिक बजट आपने मांगा है लेकिन आप इनमें कमी करें । दूसरा, मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इसको प्रायोरिटी देकर अधिक से अधिक बढ़ाया जाना चाहिये । टूरिज्म डवलपमेंट कार्पोरेशन . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मुखबंद के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सभापति : मुखबंद का समय पहले साढ़े तीन बजे का था वह अब साढ़े चार बजे किया जा रहा है । कई माननीय सदस्यों को बोलना है इसलिये आप संक्षेप में कहें ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, 6 आदमी ही हैं जिन्होंने कटौती प्रस्ताव दिये हैं ।

श्री सभापति : नहीं, यह सही नहीं है ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नियमानुसार इस पर दो घण्टे बहस होगी ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य मैं जानती हूं कि मेरे पास कितनों के नाम हैं । मुझे मालूम है कि कितनों को बोलना है इसलिये आप संक्षेप में कहें ।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : कोरम नहीं है ।

श्री सभापति : क्या ?

श्री दाऊदयाल जोशी : हाउस में कोरम नहीं है पूरा ।

श्री सभापति : मेरे खयाल से तो है ।

श्री दाऊदयाल जोशी : कोरम नहीं है यह तो ये आ रहे हैं इससे हो रहा है ।

एक माननीय सदस्य : दिखायी नहीं देता है ।

मांग संख्या 47 व 28 पर विचार

श्री सभापति : आप समाप्त करें । औरों को भी बोलना है ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : टूरिज्म डवलपमेंट डिपार्टमेंट और टूरिज्म डवलपमेंट कार्पोरेशन . . .

श्री सभापति : मैं आपसे निवेदन कर दूं कि 10 मिनट हो गये हैं . . .

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं दो मिनट में समाप्त करूंगा । हमारे यहां पर दो विभाग हैं, ये अलग अलग हैं उनमें कोआर्डिनेशन बराबर होना चाहिए । राजस्थान

(श्री बुलाकीदास कल्ला)
विश्वविद्यालय में टूरिज्म और होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा कोर्स पढ़ाया जाता है हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय से...

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा निवेदन करना यह है कि सूखा सम्भावित क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण विषय है, राजस्थान में अकाल है। वहां पर हमारी यह दुर्दशा है, राजस्थान की सारे सदस्यों को चिन्ता नहीं है....

श्री सभापति : आप अपनी पार्टी को देखें पहले।

श्री दाऊदयाल जोशी : हमारी पार्टी के लोग तो आते हैं नाश्ते का कार्यक्रम है। नाश्ता करने गये हैं। सब आते हैं।

श्री सभापति : बीच में व्यवधान न करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : 200 में से 20 हैं यहां पर, हम अकाल पर विचार कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, क्या मतलब है। यह सदन की गरिमा है, श्रीमान् ?

(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय में टूरिज्म का पत्राचार का पाठ्यक्रम है। उनको प्रेक्टिकल ट्रेनिंग नहीं दी जाती है इसलिये मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि विश्वविद्यालय को सुझाव दें कि अन्य प्रान्तों में विश्वविद्यालयों में पत्राचार पाठ्यक्रम के अलावा प्रेक्टिकल कोर्स का भी प्रावधान है उनको नियमित रूप से टूरिज्म और होटल मैनेजमेंट का कोर्स चालू करना चाहिये। अब मैं सूखा सम्भावित....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं सूखा संभावित क्षेत्र से आता हूं इसलिये दो मिनट का समय दें। मैं दो मिनट में बोल दूंगा।

श्री सभापति : बेहतर होता आप उस पर पहले बोल लेते....

श्री बुलाकीदास कल्ला: वह भी आवश्यक था।

श्री सभापति : आपके कहने से बोलने दूं तब दूसरे माननीय सदस्यों को समय नहीं मिलेगा।

एक माननीय सदस्य : हमारी तरफ और कोई बोलने वाला नहीं है।

श्री सभापति : क्या कह रहे हैं कोई बोलने वाला नहीं हैं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : चार आदमी के ही नाम हैं।

श्री सभापति : मेरे पास तो 10-12 की लिस्ट है। श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, दो मिनट और दे दें जिससे कि मैं अपनी बात समाप्त कर दूं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : क्षमा करें। मैं आपसे कितनी देरी से निवेदन कर रही थी आपने दो मिनट दो मिनट करते कितना समय ले लिया है। कई सदस्यों को बोलना है। आपकी पार्टी के 6 लोग बोलने हैं। दूसरी पार्टी के लोगों को भी बोलना है।

श्री दीपेन्द्रसिंह : आपकी ससुराल के पास के हैं बोलने दें। बीकानेर से आये हैं।

एक माननीय सदस्य : ग्रामीण क्षेत्र के हैं, सूखे के बारे में बोल रहे थे बोलने दें।

श्री सभापति : आपका समय काट लूंगी।

एक माननीय सदस्य : नहीं, मैं तो बोलूंगा।

श्री दीपेन्द्रसिंह : आपकी ससुराल के पास के हैं बीकानेर के। दो मिनट बोलने दें।

श्री सभापति : आपका समय काट दूंगी अगर आप यह कहते हैं, फिर आप यह शिकायत करेंगे कि हमें बोलने नहीं दिया जाता है। मैं तो चाहूंगी कि तीन घंटे बोलें मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है।

एक माननीय सदस्य : मेरा काट लेना।

श्री सभापति : आपका समय काट लूंगी। श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची): मेरा क्यों समय काट लेंगी ?

श्री दीपेन्द्रसिंह : हमें तो बोलने दें।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपका समय काट लूंगी।

श्री दीपेन्द्र सिंह : हमारा तो नहीं कटवायेंगे।

(व्यवधान)

अकाल से संबंधित क्षेत्र है सहानुभूति-पूर्वक विचार कर लें।

श्री सभापति : आपका समय काट लूंगी। मुझे फिर मत कहें। आप एक तरफ तो सुझाव देते हैं और दूसरी तरफ यह कहते हैं। क्या कह रहे हैं ? इधर कहते हैं कि बोलने दें।

श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय सभापति महोदया, आज पर्यटन और सूखा संभावित क्षेत्र के बारे में मांगें रखी गयी हैं, पैसा देने के लिये तीन दिन के लिये। उसके बारे में मैं कहना चाहूंगी कि कई बार चर्चा होती है कि पर्यटन क्षेत्रों का विस्तार किया जाना चाहिये। माननीय सदस्य जहां जहां से आते हैं उन्होंने यह बताया है कि हमारे ये दर्शनीय स्थान हैं जिनको पर्यटन में जोड़ लेना चाहिये लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। समग्र रूप से सर्वे कराया जाना चाहिये। अनेकों दुर्ग, अनेकों किले और अनेकों ऐसे क्षेत्र हैं, जो गोगुन्दा जैसे क्षेत्र हैं, जो आबू की तरह से हैं उनके विकास के लिये विनिश्चय कर लिया होता। मैं पर्यटन मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि इस विषय का ध्यान रखें कि यह हमारा खजाना है जिसका कि हम दोहन कर सकते हैं। इसको हम इण्डस्ट्री बना लें, यह राजस्थान की आय का बहुत बड़ा स्रोत है। इसलिये, माननीय सभापति महोदया, मैं एक बात बताना चाहूंगी जब मैं लखनऊ गयी थी तब 10 बजे से 1 बजे तक जो पर्यटन केन्द्र थे उनकी पूर्ति हो गयी थी और हम सब सदस्यों की जेब से प्रति व्यक्ति के हिसाब से चालीस चालीस रुपये

(४१)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

खर्च हो गये थे। उन्होंने वहां पर टैक्स लगा रखे हैं। कुछ टैक्स हम भी अगर बढ़ा दें तो आमदनी के स्रोत बढ़ जायेंगे तो जो पर्यटन क्षेत्र जीर्ण शीर्ण हैं और पर्यटन क्षेत्र बने हुये हैं उनका विकास कर सकेंगे। उनकी सुन्दरता, उनकी वास्तुकला, उनकी स्थापत्य कला को हम सुरक्षित रख सकेंगे। हमारे मरमरी महलों के कंगूरे कई चित्र ऐसे हैं जो अन्य जगह मिलने दुर्लभ हैं। माननीय सभापति महोदया, मैं निवेदन करूंगी कि जो अधिकारी हैं उनको सलाह दें कि हमारी जो प्रचार सामग्री है उसमें प्रचुरता से राजस्थान रंगीनी के बारे में...

एक माननीय सदस्य : नया साहित्य सृजन कर रही हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : बतायें जिससे कि राजस्थान की ओर अधिक से अधिक लोग आकर्षित हो सकें। मैं कहना चाहती हूं जयपुर के बारे में, माननीय सभापति महोदया, कई तरह के मेले यहां पर आयोजित किये जाते हैं। मैं नहीं कहती कि मेले आयोजित नहीं होते हैं ग्रीष्म काल का मेला है जिसको लिया जाना था, खास तौर से बसंत का उत्सव उसका यहां अभाव है। हम तो 16 बसंत देख चुके हैं। 16 बसंत तक विकसित हो, 16 बसंत देखो-इस तरह की भावना व्याप्त है। बसंत के बाद मैं कहना चाहूंगी कि जो होली का त्योहार है वह रंगीनी भरा हुआ है।...

(व्यवधान)

16 बसन्त की हो गई इस कारण से 16 बसन्त देखे हैं। इस तरह से इस बसन्त की मर्यादा मानी थी, मधु, माधवी, बसन्त इस नाम से क्यों नहीं मनाया जाता जैसा पहले मनाया जाता था स्टेट टाइम पर। उस समय ढप बजाये जाते थे और ढप की ताल पर स्त्री-पुरुष मगन होकर नाच उठते थे। हमारे घरों में धान आ जाता था, स्त्री पुरुष मगन होकर नाच उठते थे। क्यों नहीं बरसाने की होली को यहां महत्व दिया जाता? मैं कहना चाहती हूं वसन्त के इस त्योहार को भी त्योहारों में निश्चित रूप से जोड़ेंगे, मेरा यह सुझाव है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि जो मेरे क्षेत्र में पड़ने वाला रामगढ़ का बांध है, इसको दुनियाभर से लोग देखने आते हैं। आपने देखा होगा भरतपुर में घना में पक्षी आते हैं। इसी तरह से यह बांध है इसको भी पर्यटन स्थल में क्यों नहीं शामिल किया गया? मान्यवर, जयपुर में सस्ते होटल का काम्प्लेक्स बनाये जाने की योजना थी उसको भी अभी गति नहीं दी गई है। उसका भी काम शुरू किया जाना चाहिये। वहां पर छोटी-छोटी छतरियां बनाकर लोगों के बैठने के लिये स्थान बनाये जाते थे, लोगों को आकर्षित करने के लिये स्थान बनाने थे, जिससे वे बरसात में बैठ सकें। आज की स्थिति में अगर बरसात आ जाये तो ठहरने का कोई स्थान नहीं है। जयपुर आने के लिये मार्ग में पुलिया का निर्माण भी अभी नहीं हुआ है। ऐसा सुरम्य स्थल, ऐसा सुन्दर स्थल है मैं समझती हूं इसके विकास पर आप विचार करेंगे, इसको विकसित किया जाना नितान्त आवश्यक है। माननीय सभापति महोदया, जयपुर पिन्क सिटी के नाम से जाना जाता है। इसके गुलाबीपन को देखने के लिये लोग आकर्षित होते हैं, किन्तु इसको गुलाबी के बजाय गेरुआ रंग कर दिया गया है।

श्री माणकमल मेहता : भावुकता में बही जा रही है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं कहना चाहूंगी इसकी एकरूपता को कायम रखने के लिये यदि नियम बनाने की आवश्यकता हो तो मन्त्री महोदय बनायें। बाजार वालों से सौ सौ रुपये लेकर रखे हुए हैं लेकिन रामगंज बाजार में अभी तक गुलाबी रंग नहीं हुआ है। माननीय सभापति महोदया, आप भी निकलती होंगी तो देखा होगा, एक दुकान पर गुलाबी पुताई है, उसके बाद महरूनी पुताई है, उसके बाद सफेद पुताई है। लोगों ने किस प्रकार से गुलाबी रंग को बदरंग किया है। आप इसकी व्यवस्था करेंगे, यह नितान्त आवश्यक है, इस शहर की एकरूपता को बनाये रखने के लिये।

हमारे यहां कहा जाता था कि एक रिंग रोड बनायेंगे जो जल महल है इसके चारों तरफ, पी. डब्ल्यू. डी. ने नक्शे भी मंजूर कर दिये लेकिन मालूम नहीं यह योजना कहां खटाई में पड़ गई। वाइल्ड लाइफ पार्क की भी योजना थी जयपुर के लिए। मैं नहीं समझ पाती कि जो नाहरगढ़ हिरण पार्क की योजना थी उसका क्या हुआ। वहां पर होटल बनना था। वहां पर एन्क्रोचमेन्ट हो रहा है। सभी विभाग कहते हैं कि हमारा दायित्व नहीं है। जिस सुन्दर योजना से जयपुर बसाया गया उसी को नष्ट-भ्रष्ट किया जा रहा है और तरह-तरह की विरूपता कायम की जा रही है। मैं समझती हूं इसको सुधारने की नितान्त आवश्यकता है। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि हमारी योजना थी, म्यूजियम और सरगासूली के बारे में जो। मैंने आग्रह किया था कि इनको ठीक तरह से मरम्मत करायें। यह ईसरलाट हमारा विजय स्तम्भ है। इसके लिए एक समिति बनाई जाय। ईसर एक नरेश हुए हैं यह उनकी विजय स्मृति का चिन्ह स्वरूप है। कई लोग इसकी ओर आकर्षित होते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इसकी मरम्मत कराके इस पर स्थाई लाइट का प्रबन्ध करेंगे। जनता पार्टी के समय में भी इस पर विचार किया गया था और पैसा भी जमा किया गया था। यह मान्यता है कि सरगासूली पर चढ़कर स्वर्ग को भी देखा जा सकता है। इतना सुन्दर स्थान है, भूत की तरह खड़ा दिखाई देता है। उसमें लाइट लगाकर पैसे को यूटिलाइज करना चाहिये। जयपुर के दरवाजे हैं उनकी छतरियों में लाइटें लगवाई जायं ताकि दूर से घुसते ही लोगों को मालूम हो जाय। दिल्ली से आने वाले रास्ते में "पिंक सिटी आपका स्वागत करती है" यू. आई. टी. का बोर्ड है, वह ठीक नहीं कराया जा रहा है। वह स्वागत तो करता है लेकिन मौन स्वागत करता है। खड़ा जरूर है। इसी तरह से, मान्यवर, चारों दिशाओं में "पिंक सिटी आपका स्वागत करती है" विद्युत यन्त्रों के बोर्ड लगाये जाने चाहिये, ताकि रात्रि में भी स्वागत कर सकें। ऐसा किया जाना मैं जरूरी मानती हूं।

मैं यह भी मानती हूं कि हमारे जो अन्य क्षेत्र हैं जैसे नागौर, जालौर का किला, उनका भी ऐतिहासिक महत्व है। इस तरह के पुराने किलों को भी लिया जाय। माननीय मन्त्री महोदय सर्वे करावें और सर्वे करवाकर ऐतिहासिक स्थलों का विकास कर उनको पर्यटन की दृष्टि से आकर्षक बनावें। माननीय सभापति महोदया, मैं इसके साथ ही यह कहना चाहूंगी कि जो हमारे यहां दस्तकारी और पच्चीकारी के नमूने हैं उनको लोग दूर-दूर से

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

देखने आते हैं। मैं चाहूंगी कि उनके बुकलेट्स छपाये जाने चाहिये, उनका विकास किया जाना चाहिये जिससे लोगों को मालूम हो सके कि हमारे यहां किस तरह की दस्तकारी है और हमको मार्केट मिले।

ऐसे ही मैं कहना चाहूंगी हमारे यहां एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होना चाहिये, जिसके बारे में कई बार कहा गया है। राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मन्त्री महोदय इसका ध्यान रखेंगे और जो यहां की परिपाटी है उसकी ओर भी विशेष ध्यान देंगे।

अब मैं सूखा सम्भावित क्षेत्रों के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगी। इसमें नये ब्लॉक नहीं खोले गये हैं, माननीय सभापति महोदया, बसन्त के बाद पतझड़ नहीं आता है लेकिन मुझे बसन्त के बाद पतझड़ लाना पड़ रहा है। मैं कहना चाहूंगी कि 6 जिलों को सूखा सम्भावित क्षेत्र माना गया है जिनके बारे मे पहले एलान किया गया था लेकिन हम हर साल देखते हैं अन्य जिलों में भी भयावह अकाल पड़ा है,

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं समाप्त करती हूं। मेरे ग्रामीण क्षेत्र के बारे में कहना चाहूंगी, अनेक ऐसे गांव हैं जिनमें इस समय अकाल पड़ा हुआ है, वहां पर काम शुरू नहीं कराये जाते। अगर मौसम परिवर्तित होता है तो गिरदावरी का टाइम आप अपनी रिपोर्ट में बदल दीजिये जिससे गिरदावरी जल्दी से जल्दी हो सके। वन विभाग के लोगों को आप सक्रिय करिये जिससे अधिक से अधिक पेड़ लगाये जा सकें। हमारे यहां पर अनेक पहाड़ हैं जिन्होंने गांवों की धरती को काट दिया है। पहाड़ों की वजह से बरसात में खेतों में मिट्टी भर जाती है, कोई उनको ठीक नहीं करता, लोग बुआई नहीं कर सकते इसलिए आप भू-संरक्षण विभाग को सक्रिय करिये और अन्य जिलों में भी सर्वे कराइये। वन विभाग के अधिकारियों को चाहिए कि वहां पर पेड़ लगावें जिससे भूमि का कटाव नहीं हो। सात करोड़ की केन्द्रीय सहायता मिलती है उसका सही उपयोग नहीं किया जा रहा है। कुछ गांवों में बड़े नींबू के पेड़ लगाये, लेकिन मैं कहना चाहूंगी वह नींबू के पेड़ उनकी बदौलत नहीं हैं। वहां तो किसानों ने समय पर अच्छे बीज बोये हैं। इंगलिश की किताबें केवल आलमारियों की शोभा बढ़ा रही है। उनका क्या उपयोग है? दुनिया भर की किताबें खरीद लीं लेकिन उनको व्यवहार में नहीं लेते। जिनके लिए पूंजी ली गई है उनके लिए उसका उपयोग होना चाहिए। उस इलाके में अधिक पेड़ लगाये जायं जिससे भूमि का कटाव नहीं बढ़े और सूखा सम्भावित क्षेत्र में अन्य ब्लॉक्स भी खोले जायं। जयपुर ग्रामीण के लिए सर्वे कराया जाय और इन बातों में सहायता दें। जो काम यहां पर किए जा रहे हैं वे धीमी गति से हो रहे हैं। मेरे यहां काम खोले ही नहीं गए हैं। मैं कहना चाहूंगी कि ऐसे क्षेत्रों मे जो लोग भूख से मर रहे हैं उनके लिए अगर आपने काम नहीं खोले और जिस तरह से लोग प्रभावित होकर गलत गिरदावरी कर रहे हैं, उस ओर आपने ध्यान नहीं दिया और उन क्षेत्रों की पुनः गिरदावरी नहीं हो सकी तो आप उन लोगों के साथ न्याय नहीं कर सकेंगे।

जिन क्षेत्रों में अकाल पड़े हैं...

श्री सभापति : माननीय सदस्या, जरा समय का ध्यान रखें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : बिलकुल। मैं एक उदाहरण देती हूं। मैं सोकर गई थी वहां पहाड़ों का पानी आता है। पहाड़ काट कर नाले बनाकर नीचे टैंस बना दिए गए हैं। पानी जहां जाता है, उससे छोटी-छोटी खेती करते हैं। इस तरह से पहाड़ की जो श्रेणियां हैं जगह जगह बन्धों के नीचे पहाड़ों को काटा है वहां पानी को एकत्रित करें जिससे भूमि कटाव को रोक सकें और हम उस क्षेत्र में खेतीबाड़ी कर सकें, पशुओं को पानी, घास उपलब्ध करा सकें, ऐसे कार्य हाथ में लेने चाहिएं। मंत्री महोदय, यह गम्भीर प्रश्न है। दोनों मंत्रियों से मेरा आग्रह है, इसमें आप व्यावहारिक दृष्टिकोण का उपयोग करें। आप अनुभवी हैं और बड़ी उम्र लेकर बैठे हैं, आप क्षेत्र में भी घूमें जिससे हम उन क्षेत्रों का विकास कर सकें।

श्री सभापति : श्री भैरूंसिंह गुर्जर।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : सभापति महोदय, आज की जो मांग संख्या 47 है उस के सम्बन्ध में सर्वप्रथम मैं बुजुर्ग पर्यटन मंत्री का ध्यान दिलाऊंगा कि उदयपुर में लोक कला संस्थान नाम की संस्था है, सैकड़ों पर्यटक उसको देखने के लिए आते हैं। एक बार मैं भी गलती से उसको देखने चला गया। पर्यटक देखते-देखते ऐसी एक कांच की मूर्ति के पास पहुंच जाते हैं जिसके नीचे लिखा था यशोमति मैया। उस मूर्ति को मैं भी देखने लग गया। उसको ब्लाउज पहना रखा था, बाकी निर्वस्त्र थी। भारतीय संस्कृति को इस प्रकार में देखकर दंग रह गया, बड़ी ग्लानि हुई, क्षोभ हुआ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उसके बाद उसको बैल बाटम पहनाया गया है, जो परम्परागत वस्त्र है, उस पर नहीं है, मैं नहीं बोलना चाहती थी।

श्री सभापति : किसी को राय देने दीजिए।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : तब वहां के कर्मचारी को बुलाकर ध्यान दिलाया कि देखो यशोदा मैया निर्वस्त्र खड़ी हैं, बाहर के पर्यटक क्या कहते होंगे। दुबारा जब उदयपुर गया मैंने जाकर देखा यशोदा मैया की क्या हालत है तो देखता हूं कि उसको बैल बाटम पहना रखा है, हमारे पर्यटक देखकर क्या कहेंगे ? आधुनिक यशोदा मैया कहां से आ गई जो बैलबाटम पहनकर खड़ी है। इसके अलावा लोकल ...

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदय ध्यान दो।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मैं जब दुबारा गया तो गैलरी में देखा कुछ मूर्तियां रखी हैं। उनमें एक भांड की मूर्ति थी। उस पर नाम लिखा था श्री भैरोंसिंह शेखावत। ऐसा तो हाल है उस कला मण्डल का। वहां भांड की मूर्ति पर श्री भैरोंसिंह शेखावत का नाम लिखा है। मैंने कर्मचारी को बुलाकर कहा कि ये विपक्ष के नेता हैं, इस पर क्या लिखा है ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : कहीं आपका नाम तो नहीं था ?

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सभापति महोदया, भरतपुर में जो घना पक्षी विहार है उसकी ओर मैं मंत्री

(84)

(श्री भैरू सिंह गुर्जर)

महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं। गैत जनता सरकार ने न मालूम किस आदेश के तहत वन विभाग के रेंजर को आदेश दिया और ट्रेडीशनल प्लांटेश जितने हैं, जिनमें पशु-पक्षी आकर रहते थे जिन्हें पर्यटक देखते थे, उन ट्रेडीशनल प्लांट्स को कटवा दिया। पशु-पक्षी और जो जानवर आकर बैठते थे वे कहां बैठेंगे? पर्यटकों को उनका अभाव खटकता है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम वे प्लांट, जो जल्दी से जल्दी पनप सकें, लगवाये जायें तो उचित होगा।

इसके बाद आता हूं, कल भी मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया था बयाना कस्बे में जो शीराना नाम का स्थान है, जो वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति है उसको पर्यटन केन्द्र घोषित किया जाय। आज से हजारो वर्ष पूर्व बाबर ने राणा सांगा के साथ युद्ध लड़ा थो। जब खबर मिली कि उसका बेटा हुमायूं बीमार है तो वहां मस्जिद में बाबर ने घुटने टेक कर मिन्नत मांगी कि ऐ खुदा, अगर मेरे हुमायूं को ठीक करें तो आज से मैं शराब पीना छोड़ दूंगा, तो शराबबंदी की शुरूआत वहां से हुई थी। कम से कम उस स्थान को पर्यटन केन्द्र घोषित करेंगे तो मुस्लिम राज्यों से पर्यटक आयेंगे और अजमेर की तरह आमद होगी। उसका हिसाब तो अलग होगा। मंत्री जी, उसका हिसाब रखेंगे।

एक बात और, उस स्थान पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। भूतपूर्व सरकार के जो मुख्य मंत्री थे उनके विंग बोस की भी घोषणा की थी। वहां पर्यटन केन्द्र बनाया जाय और वहां से चमचों का कब्जा हटवाया जाये।

उसके बाद मैं अपने जिले की ओर आता हूं। रणकपुर का प्राचीन मंदिर हजारों वर्ष पुराना है और पहाड़ियों में स्थित है। मैंने ऐसा सुना टूरिस्ट बंगलो वहां स्वीकृत किया है लेकिन निर्माण हुआ या नहीं उसकी जानकारी मंत्री जी को हो तो देने की कृपा करें। वह ऐसा महत्वपूर्ण स्थान है कि महमूद गजनवी जब मंदिरों को लूटने आया, सारे मंदिरों को तोड़ रहा था तो यह पहाड़ियों का मंदिर नहीं मिला और हजारों वर्ष पुराना यह मंदिर बच गया इसलिए उसकी सुरक्षा की जाय, जो आगरा के ताजमहल को मात करता है।

सभापति महोदय, उसके बाद मैं मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि पाली जिले में जवाई बांध को पर्यटन केन्द्र बनाया जाये। उसकी सूरत देखने के लिए हजारों पर्यटक पहुंचते हैं, हजारों देशी लोग जाते हैं, वहां सड़क बनाई जाय, टूरिस्ट बंगलो बनाया जाय। वहां जो बगीचा लगा है, 10 वर्ष पूर्व उसमें विभिन्न प्रकार के गुलाब लगाये थे, वह उजड़ रहा है इसलिए अगर उसको पर्यटन विभाग को दे दिया जाएगा तो वर्तमान पर्यटन निदेशक उसको अच्छी तरह से जानते हैं, उसकी सुरक्षा अच्छी होगी।

वहां पर स्वीमिंग पूल बना हुआ है जो विभाग ने क्यूरिंग के नाम से बनाया है उसको स्वीमिंग पूल का रूप दिया जाय। उसमें लीकेज हो रहा है, वह टूट रहा है। अगर पर्यटन केन्द्र बनाया जायेगा तो सरकार को आमदनी होगी, उसमें आपत्ति भी नहीं होगी।

पाली शहर में कोई टूरिस्ट बंगला नहीं है, इस जिला मुख्यालय पर टूरिस्ट बंगलो

(श्री महेन्द्र सिंह गुर्जर)

इस विभाग के मंत्री के रहते हुए तो बनवा दें मेहरबानी होगी।

सभापति महोदया, जो मिडवेज बने हुए हैं वहां पर पर्यटकों को शराब दी जाती है वह किस आधार पर दी जाती है ? अगर दी जाती है तो ठीक है लेकिन कई बार मैंने देखा है टूरिस्ट बसों के अन्दर जो दूसरे वियकेंड यात्री होते हैं वे भी टूरिस्ट बसों में जाते हैं और बिना किसी आधार के, बिना परमिट के शराब बेचते हैं, यह तो मिडवेज का हाल है, वहां मिडवेज के कर्मचारी दुगुना तिगुना शराब से पैसा बना रहे हैं।

एक बात और, कुम्भलगढ़ किला प्रसिद्ध है, युद्ध के बारे में कुम्भलगढ़ का नाम कई बार आया है। मेवाड़ के इतिहास में अगर मैं कहूं कि कुम्भलगढ़ का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कुम्भलगढ़ के किले को आज तक पर्यटन मंत्री और पर्यटन विभाग किस प्रकार इगनोर करते आए हैं, यह समझ से बाहर की बात है। कुम्भलगढ़ किले को अविलम्ब पर्यटन केन्द्र बनाया जाय। वहां चढ़ने के लिए सड़क बनाई जाय ? दीवान मानसिंह का सुझाव है उसी से उतर जाना।

अन्त में मैं अनुशासित सदस्य होने के नाते समय का ध्यान रखते हुए सिर्फ एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाऊंगा। सभानेत्री जी, अरावली पहाड़ियों में गोरम-घाट की जोग मंडी है, बरसात के दिनों में झरना गिरता है, हजारों पर्यटक देखने जाते हैं, स्नान करते हैं और खाना बनाकर खाते हैं, पर्यटन मंत्री भी वहां भी थोड़ी नजर पहुंच जाय तो उस जगह का भला हो जाय।

मैं एक बात कहना भूल गया था जवाई बांध पर जो डाक बंगला बना हुआ है वह सिंचाई विभाग के तहत है। अगर पर्यटन विभाग उसी को टूरिस्ट बंगला बना दे, टूरिस्टस के ठहरने की जगह बना दें तो उचित रहेगा।

आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री दीपेन्द्रसिंह शायद सो रहे हैं।

श्री दीपेन्द्रसिंह (सीकर) : सभापति महोदया, मुझे तो नींद नहीं आ रही है लेकिन आपके माध्यम से पर्यटन विभाग की नींद अवश्य खुलाने की कोशिश कर रहा हूं। सभापति महोदया, मुझे यह कहने में हिचकिचाहट नहीं होगी कि प्रदेश में यदि पर्यटन विभाग सक्रिय रूप से काम करे तो विशेष सुविधायें देकर, विशेष प्रचार करके पर्यटकों को अपने यहां पर खींच कर ला सकता है। सभापति महोदया, अगर पर्यटक विभाग सुनियोजित ढंग से काम करे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान का पर्यटन विभाग और राजस्थान के पर्यटन विभाग के अधिकारी हमारे प्रदेश में पूरे भारतवर्ष के सभी प्रदेशों से ज्यादा विदेशी मुद्रा प्राप्त करके केन्द्रीय सरकार को वे अपनी सरकार को दे सकता है। मुझे यह भी कहने में हिचकिचाहट नहीं है कि हमारे यहां पर पर्यटन विभाग जो काम कर रहा है वह धीमी गति से कर रहा है। अगर वह धीमी गति को छोड़ कर तेजी से कार्य करे और पर्यटकों के लिये आवश्यकतानुसार सामग्री जुटाये और सरकार पर्यटन विभाग

(श्री दीपेन्द्रसिंह)

को अधिक पैसे दे तो हमारे प्रदेश में पर्यटकों को ज्यादा से ज्यादा खींचा जा सकता है जिससे, सभापति महोदया, राजस्थान की जो अधूरी योजनायें पड़ी हैं उनको और राजस्थान के विकास के लिये कम पड़ने वाले धन को, हमारे राजस्थान का यह अकेला पर्यटन विभाग पूरा कर सकता है।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस बारे में सोचें, मनन करें और पटर्यन विभाग की जो आवश्यकतायें हैं उन्हें पूरा करें। अगर मन्त्री महोदय उसकी तरफ ध्यान दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान की धरती पर विदेशी पर्यटक ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं। मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान देते हैं या नहीं, यह तो मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन अगर उस ओर राज्य सरकार ध्यान दे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह न केवल राजस्थान सरकार की कृपा होगी बल्कि पर्यटन विभाग की कृपा होगी और राजस्थान के पर्यटन विभाग के अधिकारियों की कृपा होगी। हमारे राजस्थान की जो संस्कृति है, हमारे राजस्थान की जो सभ्यता है उसको देखने के लिये बाहर से विदेशी पर्यटक आते हैं। वे लोग हमारे राजस्थान के इतिहास को देखने आते हैं वे लोग राजस्थान की धरती के कण-कण को देखने व नमस्कार करने आते हैं। मैं, सभा नेत्री जी, मन्त्री महोदय से आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि पर्यटकों को आपको विशेष रूप से सुविधायें देनी चाहिये। इसके बारे में पर्यटन विभाग के मन्त्रीजी या पर्यटन विभाग कुछ सोचता है या नहीं मुझे इसका पता नहीं है लेकिन इतना सत्य है कि राजस्थान की धरती के ऊपर पर्यटकों के लिए सस्ती न सस्ते किस्म की ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। आज जो राजस्थान में पर्यटक आते हैं विदेशों में उनका बहुत अधिक मात्रा में पैसा खर्च होता है। जिनके पास ज्यादा पैसा है वे तो यहां पर जो फाइव स्टार होटल है, उनमें ठहरते हैं लेकिन जो साधारण पर्यटक होते हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण वे सड़कों पर ठोकरें खाते फिरते हैं। इसलिए राजस्थान सरकार को चाहिए कि वह सस्ती दरों के होटल्स का निर्माण करें, इस प्रकार की झोंपड़ियों का निर्माण करे जो कि सस्ती हों जिससे कि ज्यादा से ज्यादा साधारण और मध्यम वर्ग के विदेशी पर्यटकों को सुविधायें मिल सकें और उनको राजस्थान के गांवों का –सा वातावरण देखने को मिल सके। सस्ती दर से अलग होटल्स का निर्माण होगा तो, सभापति महोदया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो वास्तव में आनन्द विदेशी पर्यटकों को मिलना चाहिए वह मिल सकेगा। सभापति महोदया, मुझे बड़ा दुख होता है कि आज राजस्थान सरकार के पास पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कोई योजनायें नहीं हैं। जहां तक मेरी जानकारी में है मैं, दावे के साथ कह सकता हूं कि पर्यटन विभाग के पास राजस्थान के पर्यटन स्थलों के बारे में पूरी सामग्री भी नहीं है जिससे कि विदेशी पर्यटकों को राजस्थान में आकर्षित किया जा सके। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर राजस्थान के इतिहास को संजो कर पर्यटन विभाग रखे और उसकी एक पुस्तिका बना कर उसको

(श्री दीपेन्द्रसिंह)

आने वाले पर्यटकों में बांटे तो बहुत से पर्यटक इस ओर आकर्षित हो सकते हैं। उस पर्यटन विभाग की पुस्तिका में हमारे राजस्थान का जो इतिहास है उसका वर्णन हो। अगर पर्यटन विभाग चाहे तो राजस्थान विश्वविद्यालय का इतिहास विभाग उसमें मदद दे सकता है।

इसके अलावा पर्यटन विभाग के अन्दर इस प्रकार की एक कमेटी बनायी जावे जो राजस्थान के इतिहास को देखे. हमारे जो महान पूर्वज थे उन्होंने बड़े बड़े किलों का निर्माण करवाया, उनको संजोया। उनकी फोटोज वगैरह भी एक पुस्तिका में इकट्ठी करके रखें। इस प्रकार और कई चीजें हैं वह उस पुस्तिका में रख कर विदेशों में उसकी पब्लिसिटी की जावे जिससे कि विदेशी पर्यटक हमारे यहां पर अधिक से अधिक आ सकें। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं, अभी पिछले दिनों मुझे एक महत्वपूर्ण कान्फ्रेंस में शिमला जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैंने शिमला में देखा कि किस प्रकार, वहां पर हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पर्यटकों के अन्दर पब्लिसिटी करवायी। वहां न्यूज रील्स बनाते हैं वह विदेशों में भेजी जाती है और कई सामग्री विदेशों में भेजी जाती है लेकिन सभापति महोदया, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसी कोई व्यवस्था हमारे राजस्थान के पर्यटन विभाग के पास नहीं है। इसलिए मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार भी हमारे यहां जो दर्शनीय स्थान हैं उनकी न्यूज रील्स बना कर विदेशों में भेजे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे यहां जो किले हैं, हमारे यहां जो हल्दी घाटी और अनेक स्थान हैं उनकी न्यूजरील बना कर विदेशों में भेजें तो वहां बहुत अच्छा प्रचार हो सकता है जिससे कि विदेशी पर्यटक हमारे यहां पर आकर्षित होकर उमड़ पड़ेंगे। इस लिए राजस्थान सरकार को पर्यटन विभाग के अन्दर प्रचार सुविधाओं की जो कमी है वह दूर करनी चाहिये। जिस प्रकार राजस्थान विश्वविद्यालय में यूथ फेस्टीवल्स आयोजित किये जाते हैं उसी प्रकार के यूथ फेस्टीवल्स राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किये जाने चाहिये। मुझे बहुत खुशी है, सभापति महोदया, अभी पिछले दिनों जैसलमेर में एक मेला आयोजित किया गया था। उसी प्रकार के मेले राजस्थान के दूसरे क्षेत्रों में आयोजित किये जाने चाहिये जहां पर ऊंटों की सवारी की रेस हो, हाथियों की दौड़ हो, इस प्रकार के कार्यक्रम किये जावें इससे विदेशी पर्यटक आकर्षित होंगे। इसके अलावा पर्यटकों को विशेष प्रकार की सुविधायें दी जानी चाहिए और उनको विशेष प्रकार की छूट भी दी जानी चाहिए। इसके अलावा हमारी भारतीय संस्कृति की न्यूज रील बनाकर विदेशों में भेजी जानी चाहिये। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि करोड़ों विदेशी नागरिक उसको देखने से राजस्थान देखने के लिये आकर्षित हो सकेंगे और वह यहां पर आयेंगे। इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विदेशों से आने वाले पर्यटकों को विशेष सुविधायें दी जानी चाहिये। यहां पर उन्हें एक एक दो दो महीने तक फ्री घुमाया जावे उन्हें यूनिवर्सिटी वगैरह में फ्री घुमाया जावे। हमारी भारतीय संस्कृति को दिखाया जावे। इससे हमारे भारतीय संस्कृति का प्रचार होगा, यहां के पर्यटन स्थलों का प्रचार होगा।

इसी प्रकार अन्य और प्रचार के

(श्री दीपेन्द्रसिंह)

माध्यमों से यहां पर विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया जाना चाहिये। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान की सभ्यता, राजस्थान की संस्कृति का तालमेल पर्यटन विभाग के साथ होना चाहिये। उसके लिये पर्यटन मन्त्रालय में एक अलग से विभाग होना चाहिये। पर्यटन विभाग में हमारी संस्कृति को संजोया जावे। उसको विदेशों में भेजकर, प्रचार करके विदेशों से पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है। यहां की संस्कृति को देखने के लिये विदेशी पर्यटक उमड़ पड़ेंगे। सभापति महोदया, मैं यहां पर आपके माध्यम से मन्त्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार के पर्यटन विभाग ने आर्टिफिशियल टूरिस्ट स्पाट्स डवलप कर लिये हैं। मुझे दुख है कि हमारे यहां पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है जबकि हमारे यहां पर नेचरल सीन्स हैं। इसी प्रकार दूसरी जगहों का आर्टिफिशियल डवलपमेन्ट हो सकता है। अगर हम दूसरे देशों के अनुपात में राजस्थान के टूरिज्म डवलपमेन्ट को देखें तो एक प्रतिशत भी डवलपमेन्ट नहीं है। राजस्थान के अन्दर ऐतिहासिक स्थल हैं, राजस्थान के अन्दर ऐतिहासिक भवन व किले हैं और कई चीजें हैं जिनको डवलप किया जा सकता है। इसके लिये हमारे यहां के इतिहासकारों से बात करें उनकी राय लें, पर्यटन कमेटी का निर्माण किया जावे जो इसका मापदण्ड तैयार करे कि इसमें क्या हो सकता है और खोज करें किस आधार पर टूरिज्म को राजस्थान में डवलप किया जा सकता है।

सभापति महोदया, मैं इसके साथ साथ आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां की जो गेम्स सैंक्चुरी है उसकी तो हालत आपको पता ही है। उसकी दशा की तरफ कुछ भी न राज्य सरकार द्वारा ध्यान दिया जाता है, न ही पर्यटन विभाग द्वारा कोई ध्यान दिया जाता है। सभापति महोदया, सीकर में पर्यटन का अधिक से अधिक विकास हो सकता हैं। सीकर में पहाड़ों की चोटियां अरावली के पहाड़ियों की चोटी से जुड़ी हुई हैं वहां पर बहुत ही बढ़िया डवलपमेन्ट किया जा सकता है। वहां पर एक मन्दिर है, शायद मन्त्री महोदय को यह जानकारी नहीं होगी कि महमूद गजनवी ने उस मन्दिर को बारूद से भर दिया था और उसे उड़ाने की कोशिश की थी। इसके अलावा वहां पर जो ऐतिहासिक स्थान हैं वहां तक सड़क पहुंचाई जानी चाहिये। अभी टी.बी. अस्पताल वालों ने कुछ मकान बनाये हैं पहाड़ी के ऊपर। तो मेरा निवेदन है कि इस प्रकार टूरिज्म का डवलपमेन्ट हो सकता है।

इसके अलावा अगर सरकार यह सोचती है कि सिर्फ विदेशी पर्यटक ही आते हैं वह बात नहीं है। हमारे यहां के पर्यटन स्थानों पर देशी यात्री भी भ्रमण करने के लिये आते हैं। सीकर जिले में लाखों पर्यटक बाहर से हर साल आते हैं हर साल लाखों की तादाद में पर्यटक जीणमाता के मेले में देश के कौने कौने से आते हैं। आज पर्यटन के बहुत से स्थान हैं पर राजस्थान सरकार के द्वारा उनके रास्ते बन्द हैं इसलिये, सभापति महोदया, मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा और सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि हमारे यहां पर मिडवे बनाये जायें। रींगस में मिडवे बन सकता है। सीकर

(श्री दीपेन्द्र सिंह)
में टूरिज्म को डवलप करने के लिये टूरिस्ट बंगलो का निर्माण किया जा सकता है ।

इसी प्रकार मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदया, मन्त्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां पर जो त्यौहार हैं, गणगौर और तीज के जो मेले होते हैं उनकी फिल्म बनाकर प्रचार के लिये विदेशों में भिजवायी जानी चाहिये । इस प्रकार प्रचार के माध्यम से राज्य सरकार विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकती है । सभापति महोदया, हम राजस्थान में टूरिज्म के विकास के लिये हरियाणा की सरकार की तरह आर्टिफिशियल टूरिज्म स्पाट्स का डवलपमेन्ट भी कर सकते हैं जिससे हम बहुत अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं ।

इसके अलावा आज हमारे यहां पर जो पर्यटन विभाग है उसका हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट एक आई. ए. एस. अधिकारी है। मैं उनका विरोध नहीं करना चाहता हूं लेकिन मेरा सुझाव है कि पर्यटन विभाग में पर्यटन के अन्दर रुचि रखने वालों को भी प्रमोशन दिया जाना चाहिये। पर्यटन के अन्दर जो रुचि रखते हों उनको बाहर से बुलाना चाहिये। इस विभाग में जो नीचे के अधिकारी रुचि रखते हों उनको बढ़ावा देने के लिये प्रमोशन्स दिये जाने चाहिये। टूरिज्म डवलपमेंट की बात करते हैं। टूरिज्म में जो रुचि रखने वाले अधिकारी हैं उनको टूरिस्ट बंगलो का मैनेजर बना दिया जाता है। जो होल मैनेजमेंट में दखल रखते हैं उनको गाइड का काम सौंप दिया जाता है। आपको यह तय करना चाहिये किस को क्या काम सौंपना है। इसके लिए विशेष रूप से कार्यक्रम बनाकर पाठ्यक्रम लागू किया जाना चाहिये। मुझे दुख होता है यह कहते हुए कि टूरिस्ट डिपार्टमेंट को राजस्थान के इतिहास का ज्ञान नहीं है। राजस्थान के विभिन्न ऐतिहासिक क्षेत्रों में टूरिस्ट्स को लेकर जब गाइड जाते हैं उनको स्वयं उस स्थान के ऐतिहासिक महत्व का ज्ञान नहीं होता है। मुझे आश्चर्य नहीं है····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मंत्रियों को, बड़े अधिकारियों को महत्व का पता नहीं तो छोटे कर्मचारियों को कहां से पता होगा। राजस्थान के टूरिज्म के विकास के लिए गाइड्स को तैयार करना चाहिये, उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिये। इस प्रकार की उनको सामग्री दी जानी चाहिये····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और अन्त में केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि प्रादेशिक स्तर पर आपको कार्यक्रम हाथ में लेने चाहिये। राजस्थान में टूरिज्म के विकास के लिये टूरिस्टों को आकर्षित करने के लिये निश्चित रूप से गरीब जनता की सेवा कर सकते हैं, लोगों को रोजगार दे सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा, आपने जो समय दिया, सभापति महोदया, उसके लिये धन्यवाद। लेकिन इतना अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि जो बातें कही

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

हैं वे मंत्री महोदय के कागजों में न बंधी रह जायें आगे आने वाले सदन से पहले कार्य किया जाय और आने वाले सदन में इस बात की घोषणा की जाय कि इस प्रकार के सुझाव पर कार्य किये गये हैं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री ताम्बी।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : सभापति महोदया, पर्यटन का हमारे देश और प्रदेश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। राजस्थान की धरती में ऐतिहासिक महत्व, प्राचीन संस्कृति और अरावली पर्वत माला के विशेष तौर से झरने कई स्थलों के लिए अपने आप में काफी महत्व रखते हैं। पर्यटन के बजट को यदि हम देखें तो बड़ा निराशाजनक बजट है।

बहुत बड़ी सम्भावना है पर्यटन विकास की। राजधानी के आसपास कुछ महत्वपूर्ण स्थानों को इस दृष्टि से निश्चित कर दिया होगा लेकिन सुदूर अरावली की गंधरों और पहाड़ियों में प्राकृतिक नदी नालों और झरनों के बीच में बहुत बड़े विकास की सम्भावना और गुंजाइश मौजूद है। समय के अभाव को देखते हुए मैं बहुत लम्बी बातें न करके सुझाव के तौर पर निवेदन करना चाहूंगा। मारवाड़ काम्पलेक्स के नाम से एक योजना, मंत्री महोदय, बनी है। कृपा करके उस योजना को देखें और उसको लागू कर दें। मेरी यह मान्यता है खास तौर से आप इस योजना को लागू कर देंगे तो आपके यहां पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और आपकी आय भी काफी बढ़ेगी। मेवाड़ का गौरवशाली इतिहास इस बात का प्रतीक है, वीरता और बलिदान के जो ऐतिहासिक स्थल हैं, वे इतिहास में मौजूद हैं। उन स्थलों को आप इतिहास से और अन्य जानकारी के आधार पर देखकर विकसित करें तो, मैं समझता हूं, बहुत बड़ी आय राजस्थान को होगी और वह एक आकर्षण केन्द्र बन जायेगा। मैं याद दिलाना चाहता हूं चित्तौड़गढ़ के उस किले की, गढ़ में तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ियां। उस चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मनी का इतिहास सब जानते हैं। मैं इसकी भूमिका में नहीं जाना चाहता परन्तु इसमें विकास की गुंजाइश है, आप उसको विकसित करें तो निश्चित रूप से वहां पर काफी विकास हो सकेगा।

इसके साथ-साथ पर्यटक वाली जो बसें चलती थीं चित्तौड़ क्षेत्र में, दुर्भाग्य से, हम विकास की बात करते हैं, वे बसें भी बन्द कर दी गई हैं। उस ओर ध्यान दिया जाय। इसके साथ ही मेवाड़ का दूसरा हिस्सा है, जिसको माण्डलगढ़ का इलाका कहते हैं, वहां भी अच्छा किला है। मैनाल का एक शानदार भ्रमणीय स्थान है वहां के जितने भी विधायक महोदय रहे जागरूक नहीं रहे, मैं कहना चाहता हूं इतना बढ़िया स्थान है, बहुत बड़ा झरना है, बड़ी ऊंचाई से गिरता है। अभी भी बिना पर्यटन केन्द्र घोषित किये हजारों आदमी वहां पहुंचते हैं। मैनाल के उस इलाके में मोण्डकी महादेव, जोगन्या माता और भी ऐतिहासिक स्थान हैं। वह माण्डलगढ़ का इलाका है उसमें विकास की बहुत बड़ी गुंजाइश है। मंत्री महोदय, अगर वहां के विधायक आमंत्रित कर नहीं ले जाना चाहते हैं तो आप अपने स्तर पर विभाग के लोगों को ले जाकर देखें आपकी तबियत बाग-बाग हो जायेगी। उस इलाके में विकास की बड़ी सम्भावना हो सकती है। उसकी तरफ आपका ध्यान आज तक नहीं गया है।

(श्री रतन लाल ताम्बी)

इसके साथ-साथ मैं आगे निवेदन करना चाहता हूं, मेवाड़ का आखिरी छोर है खेराड़ और जहाजपुर। जहाजपुर मेरा क्षेत्र है, उसके मैं आपको दिग्दर्शन कराना चाहता हूं। वहां चंवलेश्वर का पहाड़ है। बहुत बड़ी पहाड़ी पर चंवलेश्वर पार्श्वनाथ का स्थान है हजारों जैन वहां आते रहते हैं और पौष दशमी के दिन बहुत बड़ा मेला भरता है। 20, 25 हजार आदमी इकट्ठे होते हैं। दुर्भाग्य से वहां यातायात का कोई साधन नहीं है, सड़क नहीं है। पहाड़ों के बीच में बड़ा अच्छा मन्दिर है वह रमणीय स्थल आप निश्चित करें यह मेरी मांग है। और इससे आगे बढ़कर वह नगरी कई बार लुप्त हो गई और प्रकट हो गई। छोड़ महादेव का स्थान है। छोड़ नगरी के नाम से आज भी ईंटें पत्थर और दीवारें निकलती हैं इसलिये छोड़ महादेव क्षेत्र को विकसित करें। मैं समझता हूं, ऐसे इतिहास के पन्ने जो एक तरह से ओझल हो गये हैं पर्यटन के माध्यम से उनको आगे बढ़ा सकते हैं ऐसी मैं आशा करके आपसे चलता हूं। इसके साथ साथ आजादी के बाद राजस्थान सरकार ने मेजा बांध बनाया था। मेजा बांध बहुत ही बढ़िया था। तत्कालीन सिंचाई मंत्री, श्री रामप्रसाद लड्ढा ने बनाया था बड़ा अच्छा विकसित किया, विकसित करते करते वह काम अधूरा रह गया। वह आज के दिन भीलवाड़ा नगर का पर्यटन स्थल है। बाहर के लोग आते हैं। उसको ठीक ढंग से विकसित कर दें।

(4.08 म. प.)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

प्राकृतिक पहाड़ी के बीच में मेजा बांध है। 16 करोड़ रुपये से जो मेजा फीडर बनी है उस मेजा फीडर का विकास अच्छी तरह से किया जा सकता है। यहां के विधायक महोदय ने यह सवाल आपके सामने नहीं रखे होंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेजा बांध निश्चित रूप से विकास के लिये बहुत बड़ा स्थल बन सकता है। उसी तरह बदनौर, बागौर यह स्थल भी काफी महत्व के हैं। भीलवाड़ा में शाहपुरा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बड़ा प्रसिद्ध है। रामसिंह सम्प्रदाय की बहुत बड़ी पीठ है और महाराष्ट्र और गुजरात से हजारों यात्री हर वर्ष आते हैं। दुर्भाग्य से वहां कोई विकास नहीं हुआ है। पर्यटन विकास की दृष्टि से जहां तक मुझे मालूम है, मंत्री महोदय, आप भी उस सम्प्रदाय में निष्ठा रखते हैं। रामसिंह सम्प्रदाय का सबसे बड़ा रामद्वारा है, कृपा करके वहां का विकास करें, पर्यटन की दृष्टि से विकास की बहुत बड़ी सम्भावना मौजूद है। मैं यह सब आपसे निवेदन करता हुआ इस बात की अपेक्षा करता हूं कि इन स्थलों पर काफी विकास की गुंजाइश है, उसको आप देखें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य जरा जल्दी कीजिये।

श्री रतनलाल ताम्बी : मेरे दल से मैं ही बोल रहा हूं। मैं निवेदन यह कर रहा था, अब टोंक जिले, जो मेरे क्षेत्र की सीमा से लगा हुआ है, पर आना चाहता हूं। राजमहल का स्थान जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था, मंत्री महोदय, उसको आप देखलें तो आप प्रफुल्लित हो जायेंगे। पहाड़ों के बीच में बनास का स्थान है और वहां के बहुत

92

(श्री रतन लाल ताम्बी)

पुराने महल और मन्दिर मौजूद हैं, पहाड़ी पर भी हैं और नीचे भी हैं । मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं, आप जाकर देखें वहां पर्यटन विकास की बात आप भी करेंगे । ये बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। मंत्री महोदय के जवाब का समय हो गया इसलिये समय सीमित कर दिया है । मैं, राजसमन्द, जयसमन्द के ऐतिहासिक महत्व की भी बात करना चाहता था लेकिन समय कम है । मेवाड़ तो ऐसा क्षेत्र है जिधर भी जावो उधर ही विकास हो सकता है । सारी अरावली पहाड़ियां इसके लिये मौजूद हैं, वृक्ष मालाएं मौजूद···

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट के लिये सूखा सम्भावित क्षेत्र की बात करना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके प्रथम बार पधारने पर बधाई देता हूं । आप निर्वाचित होकर आये हैं, इसकी बहुत खुशी है ।

मैं, इसके साथ ही निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की धरती और अकाल दोनों में मेल है । पश्चिमी राजस्थान अकाल क्षेत्र घोषित है और स्थायी तौर से पानी की कमी की दृष्टि से सूखा संभावित माना जाता है । मगर मेरा निवेदन है कि भीलवाड़ा के 15 वर्ष के इतिहास को देख लें केवल 3-4 वर्ष अच्छे निकलते हैं बाकी अकाल खास तौर से है । माण्डल का इलाका रह जाता है । हुण्डेल, बनेड़ा, जहाजपुर, आसीन्द, कोटड़ी, माण्डल आदि की बहुत हालत खराब रहती है इसलिये मेरा निवेदन है कि सूखा सम्भावित क्षेत्र में भीलवाड़ा जिले को शामिल कर लें ताकि वहां की जनता जो हमेशा अकाल और अभाव से जूझती है उसको आपकी योजना से लाभ मिले । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने इस जिले को देखा है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त करें । अब साढ़े चार बजे मुख बन्द है और माननीय मंत्री महोदय का जवाब आना बाकी है ।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं समय के खातिर ज्यादा बात न कहकर भीलवाड़ा जिले की जो हालत है, उसके बारे में कहना चाहता हूं । वहां बराबर अकाल पड़ता है उसको सूखा सम्भावित क्षेत्र घोषित करें ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिल सके । मेरा यही निवेदन है कि भीलवाड़ा जिले को सूखा सम्भावित क्षेत्र में सम्मिलित करके वहां की जनता को आप राहत देंगे । इसके साथ ही आपने जो समय दिया उसके लिये धन्यवाद देता हूं ।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सूखा सम्भावित पर दो मिनट बोलना चाहता हूं . . .

श्री उपाध्यक्ष : I am sorry, आॅर्डर प्लीज । मंत्रीजी उत्तर देंगे ।

श्री महाराम चौधरी : सूखा सम्भावित क्षेत्र की मेरी थोड़ी जानकारी है । मुझे केवल दो मिनट दिये जायं ।

श्री उपाध्यक्ष : No please.

श्री महाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम और मरु विकास कार्यक्रम जो इस क्षेत्र में चल रहा है, इस क्षेत्र के अन्दर जो एक प्रकार का ध्वाज प्रशासन चल रहा है उसमें विकास के कामों पर जो पैसा खर्च होना चाहिये, वह नहीं हो रहा है और

(श्री महाराम चौधरी)
सारा पैसा बिल्डिंग और एस्टब्लिशमेंट पर खर्च हो जाता है और उस विकास के····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। तशरीफ रखिये, बैठ जाइये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (पर्यटन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश कर रहा हूं कि सदन में आपने इस पद को सुशोभित किया।

पर्यटन विभाग के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने जो बहुत से कट मोशन्स दिये हैं और बहुत से सुझाव दिये हैं...

श्री रामसिंह विश्नोई : और देने हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : और देने हैं, मैं उन सबके लिये धन्यवाद देता हूं और माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि वे मुझसे मिलते रहें। जो सुझाव दिये है उनके सम्बन्ध में अवश्य कार्यवाही करूंगा।

श्री रामसिंह विश्नोई : मंत्री महोदय, जरा जवाब जोर से दें, सुनाई नहीं आ रहा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक इस विभाग के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गई है, मैं सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि पिछली बार कुछ महीने पहले आल इण्डिया सर्वे टीम आफ टूरिज्म को इन्वाइट किया था। सारे हिन्दुस्तान से टूरिस्ट आये थे उन सबने अपने जितने प्रान्त हैं उनकी बड़ी तारीफ की। राजस्थान के लिये भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं उन सबके मन में कामना थी कि राजस्थान के ऐतिहासिक महत्व को देखा जाय। मैंने यह कहा राजस्थान का इतिहास एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है और उसको देखने के लिये पर्यटक बहुत आते हैं इसलिये राजस्थान का नाम बड़ा मशहूर है। राजस्थान के पर्यटन विभाग ने इस सम्बन्ध में जो पब्लिसिटी का कार्य किया है, उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं बहुत ही अच्छा कार्य किया है। हमारे यहां ट्रेवल एजेन्ट्स एसोसियेशन आफ इण्डिया की टीम आई थी उन्होंने हमारे डिपार्टमेंट को मार्च, 80 में सर्टिफिकेट आफ मेरिट दिया है। सबके मुकाबले में हमारे डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा कार्य किया है और उसके लिये सर्टिफिकेट दिया है···

एक माननीय सदस्य : बहुत अच्छा···

श्री रामसिंह विश्नोई : यह सर्टिफिकेट किसने दिया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ट्रेवल एजेन्ट्स एसोसियेशन आफ इण्डिया ने।

श्री रामसिंह विश्नोई : डिपार्टमेंट मिलने के बाद दिया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दूसरी बात और निवेदन करना चाहता हूं···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आपस में बातें न करें। आर्डर प्लीज।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने एक स्पेसिफिक बात बताई है जो सारे प्रान्तों में और दुनियां के मुकाबले में काम करता है उसने सर्टिफिकेट दिया है वह in appreciation of distinguished

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

performance for the promotion of tourism in Rajasthan and India. मैं कहना चाहता हूं माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं वे अमूल्य हैं और उन सबके···

(व्यवधान)

···बारे में काम करेंगे···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी इधर मुंह करके बोलिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, उनके बारे में विचार करेंगे···

(व्यवधान)

हमारे पर्यटन विभाग का काम काफी बढ़ रहा है, उसमें बहुत से काम किये हैं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान का टूरिज्म डिपार्टमेंट आइन्दा भी करता रहेगा और राजस्थान का नाम पर्यटन की दृष्टि से ऊंचा होगा।

श्रीमती कमला (कृषि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके पद ग्रहण पर बहुत-बहुत बधाई देती हूं···

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्रीमती कमला : मैं भी कह दूं, उसके बाद पूछ लेना। समय की बहुत कमी है इसलिये मैं बहुत संक्षेप में अपनी इस अनुपूरक मांग के सम्बन्ध में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ बातों से अवगत कराना चाहती हूं। माननीय सदस्यों ने अपने क्षेत्रों में सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम को कहीं पर कम और कहीं पर कार्यक्रम को लागू न करने के बारे में कहा है साथ ही यह भी कहा है कि इस कार्यक्रम को व्यापक बनाया जाय और तत्परता से क्रियान्वित करने के बाबत भी आपने सुझाव रखे हैं उनके आधार पर जो गति लाई जा सकेगी, उसको हम पूरे गौर के साथ देखेंगे ही लेकिन साथ ही विशिष्ट क्षेत्रों के लिये जो बातें कही हैं उन पर मैं अलग से ध्यान में रखते हुए कार्यवाही करने की कोशिश करूंगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम राजस्थान की 79 पंचायतों में लागू किया गया है जिसमें कुछ जिले पूरे के पूरे हैं, कुछ जिलों की तहसीलें हैं और कुछ जिलों की पंचायत समितियां। इनका आधार बहुत पहले जब यह शुरू किया गया था 74-75 में उस वक्त तय किया था। बहुत सी बातों को ध्यान में रखा-बरसात का औसत कम हो, बार-बार अकाल पड़ता हो, बिना लगान के माफी दी जाती रही हो-इस प्रकार के आधार तय करके सारे देश में डी. पी. ए. पी. के कुछ कार्यक्रम घोषित किये थे।

आज के दिन जो सबसे बड़ी कमी हम लोग महसूस करते हैं, मैंने स्वयं ने भी भारत सरकार के स्तर पर और हमारे राजस्थान के सारे देश में भारत के स्तर की एक बैकवर्ड एरिया एण्ड डी. पी. ए. पी. एरियाज की एक बहुत बड़ी कान्फ्रेंस यहां हुई थी, जिसमें प्लानिंग कमीशन की जो प्लानिंग कमेटी है उसके जो चेयरमैन हैं, शिवरमन जी, वह भी आये थे और उन्होंने उसमें भाग भी लिया था। इस बात को पुरजोर शब्दों में मैंने स्वयं और विभाग के अधिकारियों ने जैसा कि कार्यक्रम है इस बात को उनके सामने प्रतिपादित करने की कोशिश की है कि आपने

(श्रीमती कमला)

जो आधार तय किये हुए हैं, उनसे हमारी स्टेट को बहुत एरिया मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पा रहा है। एक तो उन्होंने कितना मिलीमीटर रेन फाल हुआ; तो राजस्थान में 5 सौ 6 सौ मिलीमीटर के ऊपर उन्होंने माना है। किसी एरिया में उन्होंने ग्यारह सौ बारह सौ मिलीमीटर का भी मापदण्ड कायम किया हुआ है। तो ग्यारह सौ हिन्दुस्तान के दूसरे एरिया में माना है तो हमको भी उसी के बराबर रखते हैं, हमारे राज्य में बहुत से एरिया उसके अन्दर आ सकते हैं। इस बात को भी हमने कहा। दूसरी तरफ हमने उनसे यह भी कहा कि आप पर ब्लाकवाइज हमें इतना रुपया देंगे यह कायम कर रखा है, यह गलत पद्धति है। जो थिकली पोपूलेटेड एरियाज हैं, जिनमें ब्लाक्स ज्यादा हैं। एक जिला हो सकता है जिसमें आबादी ज्यादा होने के कारण 10 ब्लाक हैं तो आपने उसको 10 ब्लाक के हिसाब से दे दिया और हमारे जैसलमेर, बाड़मेर, झुंझनू, चूरू में दूर-दूर के डिस्टेन्सेज पर कहीं 5, कहीं 3, कहीं 2 ब्लाक हैं तो हमको आप पर ब्लाकवाइज जब पैसा देते हैं तो हमको बहुत घाटा पड़ता है। तो हमको इस बात को भी उनके सामने रखना है कि उस एरिया की जो ज्योग्राफीकल कन्डीशन्स हैं और वहां के जो एरियाज के डिस्टेन्स हैं या एरिया की जो हालत है इस तरह की एडवर्स कन्डीशन है, उनको देखते हुए आपको पैसा देना चाहिए, न कि पर ब्लाक एक राशि निर्धारित कर दें। अब उस राशि में जयपुर का ब्लाक तो अच्छी तरह से काम कर लेगा क्योंकि थिकली पापूलेटेड ब्लाक है और जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के एरिया में कहीं जायेंगे तो उस पैसे से इतने बड़े ब्लाक, जो इतनी दूर तक ब्लाक फैले हुए हैं, जो डेजर्ट हैं, सैन्ड ड्यून्स हैं, इतनी डाइवर्स क्लाइमेटिक कन्डीशन्स हैं, में उतने से पैसे से कोई लाभ नहीं पड़ता। हमने यह सामने रखा है। दूसरी बात हमने उनके सामने यह भी रखी है कि आप जो सूखा संभावित क्षेत्र में अपने ढंग से राशि का आइटमवाइज अलाटमेन्ट करते हैं, सिंचाई के लिए इतनी, कृषि के लिए इतनी, सड़कों के लिए इतनी, बिजली के लिए इतनी, अण्डर ग्राउण्ड के लिए इतनी, पशुपालन के लिए इतनी। हम चाहते हैं कि जिन चीजों से इन्फास्ट्रक्चर तैयार होता है, उनको प्रायोरिटी देते हुए सबसे ज्यादा पैसा देना चाहिए, जैसे सबसे ज्यादा जरूरत यदि डेजर्ट डवलपमेन्ट या डेजर्ट रिक्लेमेशन की है। सूखा संभावित क्षेत्र में कम से कम सूखा पड़े और वह ज्यादा से ज्यादा खुशहाल बने तो उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है जल, पानी। चाहे हम रीजनल पाइप स्कीम से लावें, चाहे जो अण्डरग्राउण्ड पानी है, उसका एक्सप्लोरेशन करें, एक्सक्लेमेशन करें, उसकी स्कीम्स बनायें, ट्यूबवैल खोदें। दूसरी चीज यह है। तीसरी चीज यह है कि इन्फा स्ट्रक्चर के लिए हम ज्यादा से ज्यादा सड़कें बनायें जिससे अकाल का साधन बने और ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकें। इन तीन चीजों के अलावा जो चौथी चीज मैं आवश्यक मानती हूं, वह यह भी है कि जितने भी साधन हैं उसके डवलपमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रावधान करें। तो जो इन्फास्ट्रक्चर वहां के किसान की, बच्चों की, लोकेलिटीज की इकोनोमी को फिल अप करने के लिए जरूरी हैं, उन आइटम्स को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। जो आपने रेन फाल का एवरेज बनाया है उसको आप

(श्रीमती कमला)

चेंज करें और जो आपने पर ब्लाक पैसा निर्धारित कर दिया, उसका एडवर्स क्लाइमेटिक कन्डीशन्स, ज्योग्राफिकल कन्डीशन्स, एरियाज के हिसाब से आप मापदण्ड निर्धारित करें, इस हिसाब से डी.पी.ए पी. की स्कीम को रिवाइज करने के लिए राजस्थान के हिसाब से हमने इस बात के लिए उनको विवश किया है। इसके अलावा आम तौर पर सदन में माननीय सदस्यों, जो खास तौर से डेजर्ट एरिया से आते हैं या डी.पी.ए.पी. एरिया से आते हैं, का मानना रहता है, जो राजस्थान सरकार भी मानती है कि हम उन एरियाज का इस ढंग से प्लानिंग करें कि कम से कम अकाल पड़े और कम से कम लोगों को अकाल की विभीषिका की चपेट में आना पड़े। इस तरह की स्थायी, व्यापक और दूरगामी योजना राजस्थान के लिए तैयार करनी चाहिए। मैंने इस बाबत वर्ल्ड बैंक के एक प्रतिनिधि से बात करने के बाद, भारत सरकार के जो हमारे मंत्री हैं उनसे बातचीत करने के बाद एक नेशनल प्रोजेक्ट डेजर्ट रिक्लेमेशन की एक बड़ी योजना तैयार करवायी है और की है। उसमें एक और जहां अफोरेस्टेशन के लिए, पाश्चर डवलपमेंट के लिए, सैन्ड ड्यून्स स्टैबलाइजेशन के लिए और दूसरी मिक्स ब्रीड वगैरह के लिए प्रोग्राम रखा है। उसके साथ साथ यह भी प्रोग्राम है कि हम ज्यादा से ज्यादा पानी की व्यवस्था वहां कर सकें, उसमें 103 करोड़ के लगभग तो वाटर सप्लाई स्कीम्स या वाटर सप्लाई प्रोग्राम्स के लिए, अन्डरग्राउन्ड वाटर और सरफेस वाटर दोनों के लिए रखा है और 58–60 करोड़ के लगभग इसके अलावा रखा है, जिसमें कि हम जितना भी वहां पर खेती का, जितना भी अफोरेस्टेशन का या जितना भी ग्रास एण्ड फोडर डवलपमेंट का काम कर सकते हैं वह सारा खडीन कन्सट्रक्शन वगैरह भी उसमें शामिल किया है। तो यह तमाम सम्भावित कार्यक्रम डेजर्ट को रोकने के लिए, दबाने के लिए और उस इलाके को खुशहाल बनाने के लिए किया जा सकता है, उसके लिए इस प्रकार से 103 करोड़ की वाटर की स्कीम, 58–60 करोड़ की अफोरेस्टेशन की स्कीम तैयार की है, जिसको भारत सरकार से बातचीत करके नेशनल प्रोजेक्ट के तौर पर लेने की हम कोशिश में हैं। ये मुख्य मुद्दे जो आपके सामने हैं, जो बार बार निगाह में आते हैं और आप भी कहते हैं, इसके लिए भी मैंने निवेदन किया है।

एक खास तौर से हमारे डी.पी.ए.पी. के इम्प्लीमेन्टेशन में कमी रहती है, उसमें 2–3 कारण रहे हैं, इस साल हमने काफी कोशिश की है और 11 करोड़ 40 लाख के करीब 80–81 का हमारे पास में प्रावधान था, उसके अगेन्स्ट में साढ़े सात करोड़ के लगभग तो हम फरवरी के अन्त तक यूटीलाइज कर चुके हैं और हम यह उम्मीद करते हैं कि मार्च के अन्त तक जितना भी प्रावधान 11 करोड़ 40 लाख का था, उसका पूरा यूटीलाइजेशन ये डिपार्टमेन्ट कर सकेगा, बल्कि इसका यूटीलाइजेशन करने के बाद भी जरूरत होगी हमको। इसलिए माननीय सदस्यों के सामने यह 60 लाख की अतिरिक्त राशि की हमने मांग की है। मैं समझती हूं, किसी भी वर्ष में इस प्रकार का एचीवमेंट है पुरानी राशि को यूटिलाइज करने, यूटीलाइज करने के बाद में इस विभाग को और राशि की जरूरत पड़ी है। आज तक किसी भी वर्ष में इस प्रकार का रिकार्ड नहीं

(श्रीमती कमला)

है। कोशिश करते हैं कि आने वाले वर्षों में हम यूटीलाइजेशन, परफोर्मेंस, एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेन्टेशन और भी ज्यादा तत्परता से करके भारत सरकार से और भी ज्यादा रकम लाने की कोशिश करेंगे।

साथ साथ में जो मैंने बताया था कि जिन आधारों के कारण राजस्थान के बहुत से इलाके एलीजिबल हैं, इस डी.पी.ए.पी. स्कीम में इन्क्लूड किये जाने के लिए उन आधारों को बदला जाय, उनमें संशोधन किया जाय और राजस्थान के उन इलाकों को भी शामिल किया जाय तो बहुत से इलाके आने वाले समय में हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं सम्मिलित किये जा सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आपको यह भरोसा दिलाना चाहती हूं कि जिस प्रकार से इस साल में कोशिश करके हमारे विभाग ने भी, हमारे सचिव स्तर पर सारा दौरा किया, मैंने स्वयं भी तमाम जिलाधीश को कान्ट्रैक्ट करके उनको इम्प्लीमेन्टेशन में तत्पर करने के लिए कोशिश की, उसके परिणामस्वरूप हम यह नतीजा आपको दे सके। तो आगे और भी अच्छे नतीजे दे पायेंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ी दिक्कत आती रही है, उसके बारे में निर्णय लिया जा रहा है कि डी.पी.ए.पी. का कार्यक्रम बहुत सारे विभागों में सामूहिक रूप से होता है तो हम इसका कोआर्डिनेशन ज्यादा से ज्यादा कर सकें और कोआर्डिनेशन के अलावा जो हमारी लोकल डवलपमेंट अथोरिटीज हैं, उनको ज्यादा पावर दे सकें और यहां जो पावर सैन्ट्रलाइज हैं, उन्हें डी-सैन्ट्रलाइज करके उनको स्वयं में एक हद तक सक्षम बना सकें जिससे वे अपने आप अपने लेवल पर उसका अलाटमेन्ट कर सकें, आवंटन कर सकें, उस का एग्जीक्यूशन कर सकें तो उससे भी काफी प्रगति आने वाले समय में तेज होगी। तो यह तमाम कार्यवाही और तमाम कदम हम उठा रहे हैं और हमको उम्मीद है कि भारत सरकार भी बहुत से जो रीजनेबल मुद्दे हम उठाने जा रहे हैं उनके सामने, उनको मानेगी और राजस्थान को आने वाले समय में इस कार्यक्रम के तहत ज्यादा से ज्यादा लाभ देगी। इससे मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूं और जो विभिन्न कार्यक्रमों की क्रियान्विति में कई क्षेत्रों में कई कमी, खामी रहती है, मैं आपके कटौती प्रस्तावों पर विचार करके अधिकारियों को निर्देश दूंगी कि उनकी अनुपालना शीघ्र अति शीघ्र करायें। इसके साथ मैं आपका बहुत बहुत आभार मानती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री महाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, कमेटी के मैम्बर बनाने के बारे में . . .

(व्यवधान)

मांग संख्या 47 व 28 का पारण

श्री उपाध्यक्ष : टाइम हो गया मुख बन्द का।

प्रश्न यह है कि वर्ष 1980-81 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 47-पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 28,15,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि वर्ष 1980-81 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 28–सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 60,00,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मुख बन्द।

शेष अनुपूरक अनुदानों की मांगों का पारण

प्रश्न यह है कि वर्ष 1980-81 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 1-राज्य विधान मण्डल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,85,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि वर्ष 1980-81 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 3-सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 18,31,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि वर्ष 1980-81 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 4-जिला प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 15,98,000 तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि वर्ष 1980-81 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 5-प्रशासनिक सेवायें के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,92,94,000 तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि वर्ष 1980-81 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 6-न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 13,12,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि वर्ष 1980-81 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 8-राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने

(श्री उपाध्यक्ष)
वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,21,21,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि वर्ष 1980-81 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 9-वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में, किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 83,47,000 तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि वर्ष 1980-81 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 10 विविध सामान्य सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,95,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि वर्ष 1980-81 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 13-आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,06,13,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(ध्वनि मतदान)

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : ना पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष : मैं दुबारा पूछता हूं। दुबारा पूछना पड़ेगा मुझे।

प्रश्न यह है कि वर्ष 1980-81 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 13-आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,06,13,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, इस मांग पर आपने सदन का मत चाहा। आपने कहा कि मांग के पक्ष में हों वे हां कहें। कुछ लोगों ने हां कहा लेकिन आपने यह नहीं पूछा कि ना पक्ष में कोई है या नहीं और इसके पहले आपने यह घोषणा कर दी।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ! ऑर्डर प्लीज !

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को पूरा तो करने दीजिए पहले। मुझे पूरा करने दीजिये पहले।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझ गया आपकी बात को। आप तशरीफ रखिये। मैं इस मांग के बारे में दुबारा पूछ लेता हूं।

प्रश्न यह है कि वर्ष 1980-81 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 13-आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,06,13,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि वर्ष 1980-81 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 14-बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,02,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि वर्ष 1980-81 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 15-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,99,46,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

माननीय सदस्य, बातें नहीं। मुख बन्द है।

प्रश्न यह है कि वर्ष 1980-81 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 16-पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,23,24,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

आप भी हां बोल रहे हैं। जो वाकई अच्छी बात है, इसके लिए हां कहें।

प्रश्न यह है कि वर्ष 1980-81 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 17-कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 9,52,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि वर्ष 1980-81 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 18-जनसम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,92,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि वर्ष 1980-81 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 19-लोक निर्माण कार्य के संबंध में

(श्री उपाध्यक्ष)

31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,14,21,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि वर्ष 1980-81 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 20-आवास के संबंध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,23,72,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

इसे दुबारा लिख लें। सर्वसम्मति से स्वीकार की गई।

श्री भंवरलाल शर्मा : पुलिस वाली जो हो, वह भी सर्वसम्मति से है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं। उन्होंने कहा हम साथ हैं, सर्वसम्मति से तो इसमें क्या एतराज है आपको।

प्रश्न यह है कि वर्ष 1980-81 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 21-सड़कें एवं पुल के संबंध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,85,53,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि वर्ष 1980-81 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 22-क्षेत्र का विकास के संबंध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,76,96,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग सर्वसम्मति से स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि वर्ष 1980-81 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 23-श्रम और रोजगार के संबंध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग सर्वसम्मति से स्वीकार की गई।

माननीय सदस्यों को यह ध्यान रखना चाहिये कि मुखबंद है, बोलना नहीं है।

श्री अनंग कुमार जैन : पाइन्ट आफ आॅर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : पाइन्ट आफ आॅर्डर होता ही नहीं है इसमें।

प्रश्न यह है कि वर्ष 1980-81 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति के संबंध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त,

(श्री उपाध्यक्ष)

राज्यपाल महोदय को 7,45,67,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि वर्ष 1980–81 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 25-कोषागार व लेखा प्रशासन के संबन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8,29,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग सर्वसम्मति से स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि वर्ष 1980–81 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य तथा सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,18,11,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग सर्वसम्मति से स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि वर्ष 1980–81 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 27-पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,51,56,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग सर्वसम्मति से स्वीकार की गई।

माननीय सदस्य खड़े थे इसलिये मैं बैठ गया ताकि अन्दर आ सकें।

प्रश्न यह है कि वर्ष 1980-81 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांग सं. 29 – नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,16,000 तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग सर्वसम्मति से स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि वर्ष 1980-81 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांग सं 30–जन जाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,61,90,000 तक की राशि और प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग सर्वसम्मति से स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि वर्ष 1980-81 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 31-पुनर्वास एवं सहायता के संबंध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,45,90,000 तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग सर्वसम्मति से स्वीकार की गई।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप कैसे एंटीसिपेट करते हैं कि ये ना करेंगे और वह हां करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : आप इस क्वेश्चन को ना कीजिये ।

श्री भंवरलाल शर्मा : क्यों ? क्यों ना कीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इसको सही कर रहा हूं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : सही तो आप करलें । लेकिन हां कहते हैं तब उधर देखते हैं, ना कहते हैं तब इधर देखते हैं तो आप कैसे एन्टीसिपेट करते हैं कि वे हां करेंगे और ये ना करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं चारों तरफ देखता हूं एक ही तरफ नहीं देखता हूं ।

प्रश्न यह है कि वर्ष 1980-81 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 32—नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 12,65,000 तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हीरालाल देवपुरा (मंत्री, संसदीय कार्य) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन का समय आज की अनुपूरक मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक पारित हो जाय तब तक के लिये बढ़ा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से विनियोग विधेयक पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया गया ।

शेष अनुपूरक अनुदान की मांगों का पारण

प्रश्न यह है कि वर्ष 1980-81 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 33—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के संबंध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,08,00,000 तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग सर्व सम्मति से स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि वर्ष 1980-81 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 34 प्राकृतिक आपदाओं से राहत के संबंध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 12,82,31,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग सर्व सम्मति से स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि वर्ष 1980-81 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 35—विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के संबंध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त

(श्री उपाध्यक्ष)

राज्यपाल महोदय को 37,40,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग सर्व सम्मति से स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि वर्ष 1980–81 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांग सं. 36–सहकारिता के संबंध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 12,51,34,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग सर्वसम्मति से स्वीकार की गई।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आॅर्डर !

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री कैलाश मेघवाल : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है, श्रीमान। एक मिनट जरा पाइन्ट आफ आर्डर सुनिये। आप जरा बिराजिये। मैं आपको पाइन्ट आफ आॅर्डर...

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठिये। सदन की सहमति से जब तक आज की कार्यवाही पूरी न हो, सदन का समय बढ़ाया जाता है।

शेष अनुपूरक अनुदान की मांगों का पारण

श्री भंवर लाल शर्मा : पाइन्ट आफ आॅर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो आप...

श्री उपाध्यक्ष : मुखबन्द के दौरान पाइन्ट आफ आर्डर उठता ही नहीं है।

श्री कैलाश मेघवाल : यह कहां लिखा है ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। आप तशरीफ रखिये।

प्रश्न यह है कि वर्ष 1980–81 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांग सं. 37–कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,34,80,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग सर्व सम्मति से स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि वर्ष 1980–81 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 38–लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,26,94,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग सर्व सम्मति से स्वीकार की गई।

आॅर्डर प्लीज ! बहुत हो गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि वर्ष 1980–81 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 39–पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 63,18,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 39 स्वीकार की गई।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह सारी ही कार्यवाही गलत हो रही है · ·

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। अंकित न हो। मैं एक बात भी सुनने वाला नहीं हूं।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पाइन्ट आफ ऑर्डर उठाने का अधिकार है। यह क्या, आप पाइन्ट ऑफ आर्डर नहीं उठाने दे रहे हैं।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : मुखबन्द है। इसमें आप कोई बात नहीं कह सकते हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह सारी कार्यवाही गलत हो रही है। आप करना क्या चाहते हैं ? व्यवस्था का प्रश्न क्यों नहीं उठाने देते।

श्री उपाध्यक्ष : आप मुखबन्दी में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। यह रूल 156 है :

"Time limit for disposal of financial business—In addition to the powers exercisable under these rules, the Speaker may exercise all such powers as are necessary for the purpose of the timely completion of all financial business including allotment of time for the disposal of various kinds of such business, and where time is so allotted, he shall at the appointed hour, put every question necessary to dispose of all the outstanding matters in connection with the stage or stages for which time has been allotted."

श्री कैलाश मेघवाल : आप मेरा पाइंट आफ ऑर्डर सुनिये तो सही।

श्री उपाध्यक्ष : आप मुझे रूल का हवाला दीजिये जिसमें मुखबन्द के टाइम पर पाइंट आफ ऑर्डर उठाया जा सके।

श्री कैलाश मेघवाल : × × ×

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने आसन को सम्बोधित कर कहा है × × × इन शब्दों पर मैं एतराज करता हूं और निवेदन करता हूं कि इन शब्दों को एक्सपंज किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : Expanjed.

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह इस सदन का डेकोरम है जब आप खड़े हों तो हम न बोलें। आपका सम्मान करें। आपने कहा कि वह रूल बता दीजिये। तो उस रूल को बताने के लिये मैंने कहा आप बिराजिये तो मैं बताऊंगा। यह मैंने कहा है।

×××अभिव्यक्ति माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

106

श्री हीरालाल देवपुरा : आपने तो यह कहा है आप बैठिये मैं बताऊंगा· · ·

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्री दीपेन्द्रसिंह : माननीय सदस्य, इसके लिये माफी मांगें ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : आप नये उपाध्यक्ष महोदय को × × ×

श्री दीपेन्द्रसिंह : आपकी यह ×××नहीं चलेगी । पहले आसन से माफी मांगो।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

एक माननीय सदस्य : आपको ××× गया है। पहले यह माफी मांगें उसके बाद इनकी बात सुनी जाये ।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रक्रिया नियम है, उसके अन्तर्गत· ·

श्री उपाध्यक्ष : रूल का हवाला दीजिये।

श्री कैलाश मेघवाल : जो प्रक्रिया अपनाई जायेगी इसके लिये रूल 286 जो है उसको आप देखिये। मैं इसलिये आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस सदन की कार्यवाही नियमों के अनुरूप चले, कोई चीज गलत न हो, अगर गलती हो जाये, उसको बाद में ठीक करने की स्थिति न हो और उसमें कानूनी पेचीदगी, उलझनें पैदा हो जायें, यह स्थिति न हो, इसके लिये प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है इसीलिए मैं आपका ध्यान खींच रहा हूं नियम 286 की तरफ और इसीलिये मैंने यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

"किसी वादविवाद की समाप्ति पर अध्यक्ष प्रश्न रखेगा और जो प्रस्ताव के पक्ष में हो उनसे "हां" और जो प्रस्ताव के विरुद्ध हों उनसे "ना" कहने के लिये कहेगा।

अध्यक्ष तब कहेगा "मैं समझता हूं कि "हां" वाले जीत गये हैं। यदि किसी प्रश्न के विनिश्चय के सम्बन्ध में अध्यक्ष की राय पर आपत्ति न की जाये तो वह दो बार कहेगा "हां" वाले जीत गये और सदन के समक्ष प्रश्न तद्नुसार निर्धारित किया जायेगा। यदि किसी प्रश्न के विनिश्चय के सम्बन्ध में अध्यक्ष की राय पर आपत्ति की जाय तो वह आदेश देगा कि सभा कक्षों को खाली कर दिया जाय। दो मिनट बीतने पर वह प्रश्न को दूसरी बार रखेगा और घोषित करेगा कि आया उसकी राय में हां वाले जीत गये या ना वाले।" उपाध्यक्ष महोदय, यह इम्पार्टेन्ट मसला है। इसमें इस तरह की निश्चित रूप से दिशा दे रखी है कि इस तरह से प्रश्न को रखा जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, केवल यह कहें कि हां पक्ष जीता, यह आपको उद्बोधन, सम्बोधन करना चाहिए। यह जो प्रक्रिया है, उसके अनुसार आपने न कह कर यह कहा है कि मांग सर्व सम्मति से स्वीकृत हो गई। तो यह गलत है इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस विषय पर व्यवस्था दीजिए।

एक माननीय सदस्य : यह कोट करें कि पाइंट आफ ऑर्डर उठा सकते हैं· ·

श्री उपाध्यक्ष : आपका सहयोग नहीं मिल रहा है...

×××माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अभिव्यक्ति व शब्द अपलोपित किये गये ।

(श्री उपाध्यक्ष)
सवाल यह है कि जो रूल का हवाला दिया गया है उसकी पालना तो मैं कर रहा हूं। यह कोई पाइंट ग्राफ ग्रॉर्डर का सवाल नहीं है।

प्रश्न यह है कि वर्ष 1980–81 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 40–राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,19,37,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि वर्ष 1980–81 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 41–सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि वर्ष 1980-81 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 42–उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,75,78,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि वर्ष 1980–81 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 43–खनिज के संबंध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,16,00,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि वर्ष 1980–81 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 44–लेखन सामग्री एवं मुद्रण सामग्री के संबंध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 34,82,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि वर्ष 1980–81 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 45–राजकीय कर्मचारियों को ऋण आदि के संबंध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,16,50,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि वर्ष 1980–81 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 46–

(श्री उपाध्यक्ष)
सिंचाई के संबंध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 23,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

माननीय सदस्य को यह मालूम होना चाहिये कि इस तरह से आवाजें उठायी गयी तो सख्त नोटिस लिया जायेगा।

(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न

अनुपूरक अनुदान की मांग पर ध्वनि मतदान

श्री नाथूसिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, यह कोई···

(व्यवधान)

यह आवाज नहीं निकाली जायेगी।

श्री नाथूसिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आपने पूछा कि ना कहें। माननीय सदस्य ने ना कहा उनके साथ····

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। यहां इस तरह आवाज निकालना मना है।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : डिमाण्ड पेश की जा रही है। आपने कहा कि जो डिमाण्ड पास करने के पक्ष में हों वो हां कहें इतना है, उधर से आवाज आयी है। इसके बाद आपने कहा कि जो विपक्ष में हो, पक्ष में नहीं हो वे ना कहें। माननीय सदस्य ने कहा ना। इस पर आपने कहा कि कोई भी माननीय सदस्य इस तरह से आवाज निकालेगा तो सख्त कार्यवाही की जायेगी। आब्जेक्शन यह है कि आप यह बतायें कि किस नियम के तहत···

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : हम आसन से यह अपेक्षा करेंगे कि हमें संरक्षण प्रदान करें न कि हमारे अधिकारों पर कुठाराघात करें।

श्री नाथूसिंह : मेरा पाइन्ट आफ ऑर्डर है। अभी व्यवस्था का प्रश्न पूरा नहीं हुआ है।

श्री अनंगकुमार जैन : यह जो कहा गया है···

श्री दीपेन्द्रसिंह : आपको इस पर व्यवस्था देनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। आपकी बात समाप्त हो गई। आप स्थान ग्रहण करें। आसन पर खड़ा हूं।

(व्यवधान)

ऑर्डर ऑर्डर। आसन पैरों पर है। आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सुन लें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पहले आप बैठ जाइये। सुन लूंगा।

श्री नाथूसिंह : मेरा निवेदन है। बहुत विनम्र निवेदन है कि आपने कहा कि नियमों में बोलें। उपाध्यक्ष महोदय आप आज ही आये और आते ही आपने व्यवस्था दी है, जो सदन का राइट है उस राइट पर आपने आपत्ति की है। सदस्यों के बोलने के अधिकार पर आपत्ति की है। सदस्य के अधिकार पर आघात है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय मैं, बोल रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : मेरा कहना है कि इसमें स्पष्टीकरण करें।

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। तसल्ली करें। बैठ जाइये। हां, आपका क्या है।

एक माननीय सदस्य : आप व्यवस्था दें।

श्री नाथूसिंह : मेरा निवेदन यह है कि आप कोई बात पूछें सदन में और हम उसका जवाब दें, इसमें क्या अपराध किया है माननीय सदस्य ने ? इस पर आपने×××दी है। यह सदस्य का राइट है, बोलने का सदस्य का अधिकार है। इससे सदस्य का अपमान होता है···

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह बात नहीं है। वास्तविकता यह है कि ये मांग स्वीकार हो चुकी थी उसके बाद में उन्होंने जोर से···

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण शर्मा : माननीय सदस्य हां कह सकते हैं, ना कह सकते हैं पर जिस तरह की आवाजें उठायी वह आपत्तिजनक है। उन शब्दों पर आपत्ति थी। जो कुछ कहा गया है वह ठीक है। ये ई ई नहीं कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि···

एक माननीय सदस्य : यह नहीं··

श्री उपाध्यक्ष : मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री नाथूसिंह : मैं आधा मिनट में समाप्त करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय···

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। मुझे जवाब देने दें।

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, एक सेकण्ड में आपसे निवेदन कर दूं। फिर आप जो एतराज उठा रहे हैं वह नहीं उठाना पड़ेगा.··

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप भी नियमों में बंधे हुये हैं। आसन कभी भी×××नहीं बन सकते हैं। आसन भी नियमों से बंधा हुआ है जैसे सदन बंधा हुआ है।

×××माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार शब्द अपलोपित किये गये।

श्री उपाध्यक्ष : आप तकलीफ मत कीजिये। आप भाषण मत कीजिये। आपने जो पाइन्ट आफ आर्डर उठाया है उसका जवाब देता हूं। बैठ जाइये।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य का अपमान हुआ है····

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूसिंह : आसन की मैं इज्जत करता हूं।

श्री दीपेन्द्र सिंह : आसन को तो उन्होंने ××× कहा है····

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

महोदय, मैंने इस सदन में किसी माननीय सदस्य को धमकी नहीं दी है। अगर कोई ××× बोलेगा तो उसके लिये····

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, आप माननीय सदस्य का अपमान कर रहे, हैं। आपको...

(व्यवधान)

श्री दीपेंद्र सिंह : वाक आउट करो, वाक आउट।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह ××× के शब्द नहीं चलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मेरी सुनें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पहले आप हमारी बात सुनें हम बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आसन पैरों पर है तो हम भी पैरों पर हैं।

श्री दीपेन्द्र सिंह : आप आसन को ××× दे रहे हैं। आसन पैरों पर है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। हमारी जो व्यवस्था है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ×××

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : आप आसन को ××× दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पहले हमारी सुनें।

(व्यवधान)

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अभिव्यक्ति व शब्द अपलोपित किये गये।

सुश्री पुष्पा जैन : । इस तरह से ××× नहीं चलेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, तशरीफ रखिये ।

(व्यवधान)

जरा सुनिये, व्यवस्था बनाये रखने के लिए यह बात कही थी ।

(व्यवधान)

मेरा मतलब यह नहीं था कि ××× हैं।

(व्यवधान)

श्री हीरालाल देलपुरा : मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ····

(व्यवधान)

मैं तो आप ही की बात कह रहा हूँ

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह : आसन को×××दी जा रही है। सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी जा रही है। बड़ी शर्म की बात है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे···

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था कायम रखने के लिए यह बात कही थी मैंने, इसको बुरे मायने में मत लीजिये ।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ××× इसको आप····

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह : पाइन्ट आफ ऑर्डर।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान··

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं नाम लेकर पुकारता हूं। श्री नाथूसिंह, श्री अनंगकुमार, श्री घनश्याम तिवाड़ी। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप बैठ जाइये, मुझे एक्शन लेना पड़ेगा···

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह : यह कोई तरीका नहीं होता है। इनको फौरन निकाल दीजिए। इस तरह से सदन का अपमान बरदाश्त नहीं किया जायेगा। इस तरह से सदन का अपमान कर रहे हैं। या तो सदन की कार्यवाही चलायें या इनको बाहर निकाल दीजिए। इस तरह से सदन का अपमान किया जा रहा है।

(व्यवधान)

आपको चैलेन्ज कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। यह तरीका नहीं होता है, हम बरदाश्त नहीं कर सकते।

×××माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार शब्द अपलोपित किया गया।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : किसी माननीय सदस्य का अपमान नहीं किया ।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : पाइन्ट आफ ऑर्डर ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपका मान करता हूँ, सम्मान करता हूँ, आर्डर देता हूँ, किसी भाई ने गलत ले लिया हो तो मुझे उसका खेद है।

श्री यदुनाथ सिंह : पवाइन्ट आफ आर्डर।

(व्यवधान)

मैं दूसरी बात··

(व्यवधान)

×××शब्द का प्रयोग किया है, ××× दी है। मैं चाहूंगा कि ये सदस्य भी इसकी माफी मांगें ।

(व्यवधान)

श्री भैरू सिंह गुर्जर : यह आसन को चैलेन्ज नहीं कर सकते। इनको माफी मांगनी पड़ेगी।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय मंत्री महोदय ।

विधायी कार्य

विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1981

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, वित्त) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

(स्वीकृत)

विधेयक पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करता हूँ ।

विधेयक पर विचार

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1981 को विचारार्थ लिया जाय ।

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : मुख बन्द है, उसके बाद कैसे बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

×××माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार शब्द अपलोपित किये गये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इस बात का प्रमाण है कि आप जिस समय मांग पारित करवा रहे थे उस समय...

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने पोइंट पर आ जायें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं अपनी पोइंट पर आ रहा हूं। यहां पर जो विनियोग विधेयक पेश किया गया है और विचारार्थ लिया गया है, मैं उस पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह विनियोग विधेयक पारित करने के बाद में हमें रुपया खर्च करने का अधिकार इन व्यक्तियों को देना पड़ेगा। लेकिन अधिकार देने से पहले हमको पिछले साल के कार्यकलापों को देखना पड़ेगा। इस सरकार ने पिछले साल जो कुछ काम किया है, उसके आधार पर अगर इस राज्य की सिंचित निधि से खर्च करने का अधिकार उसको दिया गया तो वह अधिकार बंदर के हाथ में उस्तरा देने जैसा अधिकार होगा। इस समय राज्य में कोई सरकार काम नहीं कर रही है जिस प्रकार के समाचार आ रहे हैं और चर्चा चल रही है, राज्य में कोई सरकार काम नहीं कर रही है। राज्य में इस समय काम चलाऊ सरकार काम कर रही है। इस सरकार के व्यक्तियों को मंत्रियों को काम किसको दिया गया, है आगे आने वाला समय राजस्थान विधान सभा में प्रक्रिया को देखेगा तो कहेगा कि अब्दुल रहमान चौधरी, ईश्वरलाल सैनी, मांगीलाल आर्य और भगवती देवी जैसे मंत्री थे जिन्होंने विधान सभा में आकर एक बार भी मुंह नहीं दिखाया। किस बात के लिये विधान सभा में पैसा बढ़वाया जा रहा है? किस बात के लिये अनुदान की मांग पास करवाई जा रही है? कौनसी परफार्मेंस दिखाई है? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे मंत्रिमंडल के खर्च पर...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आप फर्मायें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, जनता के खर्चे पर अगर आपने मंत्रियों को लाकर बिठाया और मंत्रियों को पैसा खर्च करने का अधिकार दिया तो यह बुद्धिमानी की बात नहीं है। पिछले साल के जो कार्यकलाप हैं, ऐसी सरकार के कार्यकलाप हैं जिस प्रकार खजांची का काम होता है, जब माननीय मुख्य मंत्री ने...

श्री गोकुल चन्द शर्मा (सुमेरपुर) : गलत बात हो रही है, 7 मंत्रियों ने पूरे साल काम किया है और बजट पेश किया है यह कह रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं किया है, यह गलत बात कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Sit down. Let him speak.

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं निवेदन कर रहा था कि यह सरकार जो इस समय काम कर रही है वह सरकार सरकार नहीं है, जिस प्रकार समाचार-पत्रों में समाचार आ रहे हैं, यह सरकार कुछ दिनों की मेहमान है। यह सरकार अपनी अंतिम सांस गिन रही है। अगर यह विनियोग विधेयक पास कर दें तो उसके बाद तीन दिन में इस पैसे का क्या होगा, किस प्रकार खर्चा किया जायेगा यह कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पिछले एक साल का रिकार्ड है कि इनका दामन साफ नहीं है।

आबकारी पर चर्चा चली, मुखबंद से मांग पारित कराई गई और कई प्रकार की

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बातें चलीं। इण्डस्ट्रीज का क्या हुआ ? वन विभाग के बारे में सवाल आया। शिक्षा के बारे में 3 करोड़ 49 हजार रुपये ट्रांसफर्स पर खर्चा किया गया, जो शेमफुल था और उसी सरकार ने जिसके काले कारनामे हैं, सारे पैसे को बर्बाद किया। इस सरकार ने पिछले साल राज्य के विकास की गति को अवरुद्ध किय, राजस्थान के बढ़ते हुए विकास के कदमों को रोक दिया, राजस्थान को डुबो दिया। आगे आने वाले समय में राजस्थान को बिजली नहीं मिलेगी, थर्मल पावर प्रोजेक्ट से काम होने वाला था वह काम ठप्प हो गया। इस सरकार के कारण राजस्थान नहर बन्द हो गई, इसमें इतना दम नहीं था कि केन्द्र सरकार से आवश्यक वस्तुओं की बराबर सप्लाई करवा सकती...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में बात न करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जहां इन्टर-स्टेट मैटर्स का मामला आया, इस सरकार ने इन्टर-स्टेट मैटर्स के मामले में राजस्थान का पर्दाफाश कर दिया, सारे राजस्थान के अधिकारों को हानि हुई, आप जानते हैं सारा शासन किस प्रकार से चल रहा है, आप भली प्रकार से परिचित हैं कि अकाल के समय में..

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कृपया खामोश रहें, बैठे रहें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इस सरकार के कार्यकलापों का ढंग ऐसा है कि यदि इनका बस चलता तो आपको डिप्टी स्पीकर भी बनने नहीं देते। यह तो हमारा सौभाग्य था कि आप जीतकर आये हमको बहुत बड़ी खुशी है, यह तो इनका काम करने का तरीका था।

एक माननीय सदस्य : आपने तीन-तीन बार तो उनसे माफी मंगवाई है।

(व्यवधान)

श्री भंवर लाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, एक जानकारी दीजिए। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि आपने तीन बार माफी मांगी है। मेरी समझ में नहीं आता माफी किस बात की ? मांगी या नहीं मांगी तो किस बात की ? बजारोजी ने अभी कहा कि आपने सदन में माफी मांगी है...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बोलना हो आपको तो बोलिए, बातें मत कीजिए। We should strict to our subject matter.

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले साल प्रशासन का सारा ढांचा अस्त-व्यस्त हो गया। पिछले साल जिस प्रकार के कार्यकलाप...

श्री उपाध्यक्ष : आपका बाकी रह गया भाषण ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : विनियोग विधेयक पर जनरल डिबेट होती है। उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से मंत्रिमण्डल का गठन हुआ, जिस प्रकार से मंत्रिमण्डल के कार्यकलापों को बांटा गया, जिस प्रकार से जवाब देने की नीति तय की, आखिर गृह राज्य

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मंत्री कोई नहीं, उद्योग राज्य मंत्री कोई नहीं, बिजली राज्य मंत्री कोई नहीं, मुख्य मंत्री ने सदन में आकर कहा, मैं नहीं रहता। मंत्रिमण्डल के सदस्यों को नीति सम्बन्धी विभागों का ज्ञान नहीं होता, जिनको नीति सम्बन्धी ज्ञान नहीं है उनको वक्तव्य देने के लिए अधिकृत कर दिया। बाणों की बौछार न हो, अपने बचाव के लिए मुख्य मंत्री ऊपर जाकर बैठ गये और प्रद्युम्न सिंह को यहां लाकर बिठा दिया। सौभाग्य है, दो चार मंत्री ऐसे आ गए जिनके कारण सदन का डेकोरम बना रह गया, उनसे बात कर सकते हैं बाकी राजस्थान का सारा ढांचा बिगड़ गया। केन्द्र में हमारी सुनने वाला नहीं, केन्द्र से राजस्थान नहर के लिए कोयला और सीमेन्ट नहीं ला सके। कोटा थर्मल पावर प्रोजेक्ट को पूरा कराने के लिए बी. आई. सी. के आर्डर्स पूरे नहीं करवा सके और राशन की चीनी व गेहूं नहीं ला सके। अकाल राहत क्षेत्र में काम नहीं खोल सके।

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : पाइन्ट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सदन का ध्यान आपकी निर्णय पुस्तिका के पृष्ठ 140 व 141 की ओर आकर्षित करता हूं। इसमें यह दिया हुआ है "विनियोग विधेयक: उन विषयों पर चर्चा नहीं की जा सकती जो अनुदानों पर बहस के समय उठाये जा चुके हों।"

इस तरह से सारे मुद्दे जो माननीय सदस्य आपके सामने रख रहे हैं, कटौती प्रस्तावों के समय रख चुके हैं। इसी तरह से पृष्ठ 144 पर है। "अनुपूरक अनुदानों से सम्बन्धित विनियोग विधेयक पर चर्चा का क्षेत्र।" इस सम्बन्ध में यह रूलिंग दी हुई है:

"एक बार हाउस आफ पीपुल के स्पीकर ने एप्रोप्रिएशन बिल के स्कोप पर अपनी रूलिंग देते हुए कहा था कि निश्चय ही सदन को यह अधिकार है कि वह एप्रोप्रियेशन बिल पर बहस करे किन्तु परम्पराएं ऐसी होनी चाहिए कि इस पर बहस को अवोइड किया जाय। सारी की सारी वे ही बातें इस समय भी दोहराई जाती हैं क्योंकि सदन के सामने जो डिमांड आती हैं वे तो पास कर चुकी होती हैं। इसलिए डिमाण्ड्स के पास हो जाने के बाद जो कन्सोलीडेटेड स्टेटमेंट होता है वह एप्रोप्रियेशन बिल के रूप में आता है।" इसके बाद में उन्होंने कहा कि "इस पर बोलने के लिए आप मेरी आंखें कैच करें, इससे बचने के लिए यह अच्छा हो कि मैं ही आंख बन्द करलूं।" यह हाउस आफ पीपुल की रूलिंग है।

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, मैं समझ गया आपकी बात को। जो मांगें मन्जूर हुई हैं, उनमें से किसी पर भी बोल सकते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपके निर्णय का स्वागत करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आपस में बातें न करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं निवेदन कर रहा था कि पिछले साल में जिस प्रकार के कार्य क्रम चले हैं उनके चलने से मैं इस निष्कर्ष

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पर पहुंचा हूं कि ऐसी परिस्थितियों में इस सरकार को पैसा खर्च करने का अधिकार देना एक बहुत बुरी बात होगी।

जो केन्द्र के दो मंत्री आ रहे हैं इसलिए वे आ रहे हैं कि कल रात्रि को जो भोज हुआ माननीय पहाड़ियाजी के समर्थन में, जो विदाई समारोह किया गया उसमें सिर्फ 63 एम. एल. एज. और तीन केबिनेट मंत्री शामिल हुए जबकि इनको पता है कि वे जाने वाले हैं,

(व्यवधान)

हमें पता पड़ा कि पहाड़ियाजी की विदाई होने वाली है और अब राजस्थान का भविष्य पहाड़ियाजी के हाथों में नहीं है। जब अपने को पता है कि यह एक काम चलाऊ सरकार है एक टैम्प्रेरी सरकार है, हमने देख लिया है कि इन्होंने हमारे राजस्थान की सरकार का ढांचा पिछले एक साल से बिगाड़ रखा है, जब हमें पता है कि पहाड़ियाजी की विदाई होने वाली है और दूसरा मुख्य मन्त्री आने वाला है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान नहीं डालें। थोड़ी सुनने की भी क्षमता रखें।

श्री गोकुल चन्द शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह विनियोग विधेयक पर नहीं बोल सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप आसन की तरफ मुंह करके बोलें। मैंने रूलिंग दी है यह बोल सकते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं नहीं कह रहा हूं और लोग भी कह रहे हैं। ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने दैनिक नवज्योति में स्टेटमेन्ट दिया था कि मैंने भूल की जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा अब मेरा गला घुट रहा है। मैं तो कांग्रेस से त्याग-पत्र देना चाहता हूं।

श्री गोकुलचन्द शर्मा : यह बिलकुल गलत कह रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

एक माननीय सदस्य : उनको तो टिकट नहीं दिया गया था इसलिए उन्होंने ऐसा छापा था।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया बीच में न बोलें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, राजेश पायलट ने एक स्टेटमेन्ट दिया अक्टूबर, 1980 को, वह अखबारों में छपा है उसमें राजस्थान सरकार की ट्रान्सफर्स की नीति की आलोचना की गयी है। उन्होंने कहा कि ट्रान्सफर्स की वजह से सारा प्रशासन ठप्प हो गया है, राजस्थान में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। इसी प्रकार मैं नहीं, जोधपुर से आने वाले संसद सदस्य, माननीय श्री गहलोत जी ने कहा कि जोधपुर में अकाल राहत कार्य नहीं चल रहे हैं। इसी प्रकार मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान देव संसद सदस्य ने कहा है कि राजस्थान में राजस्थान सरकार द्वारा कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। इसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने बूटासिंह जी को भेजा उन्होंने जो रिपोर्ट दी वह अखबारों में छपी।

(व्यवधान)

(117)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य थोड़ी सुनने की ताकत रखें। आपस में बातें नहीं करें। माननीय सदस्य आर्डर आर्डर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, उस रिपोर्ट में बूटासिंह जी ने प्रधान मंत्री को कहा, तस्वीर उन्होंने पेश की राजस्थान की कि राजस्थान में असन्तोष भयंकर है और राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। राजस्थान में विकास के काम बन्द हो चुके हैं। राजस्थान में अकाल राहत के कार्यक्रम बिलकुल नहीं चल रहे हैं। बिजली की कमी को पूरा नहीं किया जा रहा है जिससे उद्योग धन्धे ठप्प पड़े हैं। राजस्थान में अकाल के कारण हजारों लोगों की मौतें हो गयी हैं। राजस्थान के अन्दर सत्ता का बहुत भारी मात्रा में दुरुपयोग किया गया है। वहां सीमेन्ट के कारखाने खोलने की जो फाइल थी वह फाइल दबाये हुए बैठे हैं। पंचायतों को जो अंशदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है वह नहीं दिया जा रहा है, इससे पंचायतों के काम काज ठप्प पड़े हैं। इस प्रकार सरकार पंगु खुद है, पंचायतों को भी उसने पंगु बना दिया है। राजस्थान की सरकारी मशीनरी बहुत शिथिल है और राजस्थान से बाहर से लोग लाये गये हैं। चीफ मिनिस्टर का जो सेक्रेट्री है, मिस्टर खैरवाल उनके लिये तो अन्डमान और निकोबार के एक कांग्रेसी सांसद ने एक आरोप भी केन्द्रीय सरकार को भेजा है। ऐसे आदमी के हाथ में सरकार का प्रशासन दे दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : यह राज की बातें आपको कैसे पता लगीं ?

(व्यवधान)

आर्डर।

श्री गोकुलचन्द शर्मा : यह तो बता दीजिये कि यह कहीं जासूस तो नहीं हैं ? यहां पर जासूसी की बातें करते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपने उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली में जाकर हमारे राजस्थान का रिप्रजेन्टेशन किया उसका मुझे गर्व है। राजस्थान की सारी स्थिति प्रधान मंत्रीजी के सामने रखी।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य अब आप बहुत समय ले चुके हैं। दो मिनट में समाप्त करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, भेदभाव पूर्ण नीति पहाड़िया सरकार ने अपना रखी है। सीकर में कन्या विद्या मन्दिर की स्थापना के लिये हाई कोर्ट का फैसला हो चुका है। उसकी तारीख भी निकल गयी उसके बाद में भी राज्य सरकार ने उसको नहीं माना। उपाध्यक्ष महोदय, एक लाख बीस हजार रुपये की बिल्डिंग उस विद्यालय के लिये बना कर दी गयी। सरकार ने कहा दानदाता ने पांच लाख रुपये की बिल्डिंग बना कर दी। माननीय मन्त्रीजी, प्रभाकरजी ने कहा था और घोषणा की थी अगर बिल्डिंग बना कर दे देंगे तो वहां पर कन्या विद्या मन्दिर शुरू हो जायेगा, पर शुरू नहीं हुआ। उसके लिये कोर्ट में वहां के लोग गये और कोर्ट का फैसला हुआ। कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार की बात सरकार के

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

लिये बहुत ही शर्मनाक है। अगर सरकार इस प्रकार के कारनामे करे तो जो दान दाता हैं उनका दिल दुखता है। इसी प्रकार हमारे यहां पर रेलवे क्रासिंग की बात थी वह तो माननीय गुप्ता जी ने आकर ठीक कर दी लेकिन एक साल तक उस फाइल को लटकाये रखा। उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यक्ति आया और उसने शिकायत की कि वह कांग्रेस का जिला संयोजक है। असलियत में वह कांग्रेस का जिला संयोजक नहीं था लेकिन उसकी वजह से 12 महीने तक फाइल लटकी पड़ी रही। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, रामनारायणजी इस्तीफा दे चुके हैं वहां पर कोई नहीं है।

श्री गोकुल चन्द शर्मा : यह सब गलत कह रहे हैं। कांग्रेस आज भी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तो उपाध्यक्ष महोदय, जब कांग्रेस पार्टी ही नहीं है तो जिला संयोजक कैसे वहां पर बना हुआ है। आज कोई भी आकर कह देता है कि मैं कांग्रेस पार्टी का जिला संयोजक हूं उसके आधार पर फाइल रोक ली जाती है। जैसे ही पता चलता है कि फाइल पर आर्डर होने वाले हैं तो उनके एजेन्ट्स वहां पर घूमते हैं और उनके कहने से फाइल वापस मंगाली जाती है वह फाइल तब तक दबी पड़ी रही जब तक की सौदा पट नहीं गया। तो इस प्रकार की सरकार है जिसको काम करने का तरीका नहीं आता है।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो सरकार प्रशासन को निष्क्रिय करे, जो सरकार उद्योग धन्धों को ठप्प करे, जो सरकार बिजली की कार्यवाही को बंद करे जो सरकार राजस्थान में लोगों को रोजगार नहीं दे सके, जो सरकार जनता को राशन की चीनी व गेहूं नहीं दे सके, जो सरकार इन्टर-स्टेट मुद्दों पर राजस्थान के हितों की रक्षा नहीं कर सके उस सरकार को राज्य में शासन चलाने का कोई अधिकार नहीं है। जिस सरकार की समझ-बूझ इतनी भी नहीं है कि किसको मन्त्री बनाया जाय और किसको नहीं बनाया जाय, जिस सरकार को यह पता नहीं कि किसको विधान सभा में उपाध्यक्ष बनाया जाय ऐसी सरकार को काम करने का कोई हक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त कर दें। बहुत हो गया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बन्दर के हाथ में उस्तरा देने से कोई मतलब नहीं है। यह खजान्ची मुख्य मंत्री हैं। जिस तरह से खजान्ची हर माह अपने लोगों को तनख्वाह बांटा करता है उसी तरह इन्होंने 12 माह तक सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह बांटी है। इसलिए तनख्वाह बांटने वाले खजान्ची मुख्य मन्त्री को पैसा खर्च करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे जो समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और आपके निर्वाचन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अब समय समाप्त हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य और कोई बोलने वाला है। पांच मिनट में माननीय सदस्य अपनी बात समाप्त करें।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पांच मिनट में ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

एक माननीय सदस्य : लेकिन बोलेंगे विनियोग विधेयक पर ही।

श्री यदुनाथसिंह : आपको क्या पता मैं किस पर बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप पांच मिनट में ही अपनी बात समाप्त करें। आप अपना भाषण शुरू करें। माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें।

श्री यदुनाथसिंह : आपकी आज्ञा को टालने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले आठ महीनों से पहाड़ियाजी राजस्थान सरकार में बिराजे हुए हैं। जब से पहाड़ियाजी आये हैं उसके बाद से ऐसा लगता है कि लगभग राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। यहां पर राज करने वाला कोई है नहीं। न तो इनकी कोई ग्रिप प्रशासन पर है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो बात कही जा चुकी है वह रिपीट नहीं करें।

श्री यदुनाथसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सारे का सारा इस पर डिपेन्ड करता है। पहाड़ियाजी जब से पधारे मुख्य मन्त्री बनकर तब से न तो कोई इनकी ग्रिप एडमिनिस्ट्रेशन पर है, न इनकी ग्रिप मन्त्रि-मण्डल पर है, न ही इनकी ग्रिप विधायकों पर है और न ही इनकी ग्रिप पार्टी पर है। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो स्वर्गीय संजय गांधी की कृपा थी कि इनको यहां पर लाकर रख दिया गया। जो मन्त्री या मुख्य मन्त्री बनाये गये श्री संजय गांधी द्वारा उनके काम करने का तरीका क्या है यह तो श्रीमती इन्दिरा गांधी को पता नहीं था क्योंकि वह तो पर्सनली उनको जानती नहीं थी। इसका कारण यही है कि वह तो केन्द्र के अन्दर उप मन्त्री या राज्य मन्त्री थे जहां पर इनको डिसीजन लेने का अधिकार नहीं था और न ही इनको कभी डिसीजन लेने का मौका ही मिला। इनको यहां पर कैबिनेट स्तर का मन्त्री बनाकर भेजते तो बात चल सकती थी लेकिन इनको तो मुख्य मन्त्री बनाकर भेज दिया गया। इस प्रकार इनके ऊपर पूरे राजस्थान का भार पड़ गया, इनको सारे राजस्थान के विकास के बारे में डिसीजन लेने का मौका मिला उसमें यह बुरी तरह से फेल हो गये। इस प्रकार राज्य में अस्थिरता फैल गयी। उपाध्यक्ष महोदय, इन्दिरा गांधी को तो पता नहीं था कि पहाड़ियाजी की केपेबिलिटी क्या है। यह तो केन्द्र में डिप्टी मिनिस्टर की हैसियत से पड़े हुए थे। संजय गांधी की अकाल मृत्यु के बाद इनके कारनामों को देखकर श्रीमती इन्दिरा गांधी का विश्वास इनके ऊपर कम होता गया और दूसरी तरफ पहाड़ियाजी को गड़बड़ी लगी कि अब मैं गया, इनका टेलीफोन का तार कट चुका था, संजय ग्रुप का तार कट चुका था और राजीव गुट से इनका कनेक्शन नहीं हुआ। राजीव गुट से दूसरे लोगों का कनेक्शन हो चुका है इसलिए वहां पर एक ही लाइन की व्यवस्था होने की वजह से दूसरा कनेक्शन इनका हुआ नहीं। इसलिये जो हमारे इन्टर-स्टेट मसले थे, जो केन्द्र से सुलझाने वाले मसले थे उनके बारे में किस प्रकार की बात दिल्ली में हुई है, उसका माननीय मुख्य मंत्री जी ने जवाब दिया ? वे अखबारों के हिसाब से जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा भी जो पत्र गया राज्य सरकार का, उस पत्र का भी केन्द्रीय सरकार ने उत्तर नहीं दिया। उत्तर नहीं दिया, इससे जाहिर होता है कि

120

(श्री यदुनाथ सिंह)
इन्दिरा गांधी माननीय पहाड़िया सरकार को कितना महत्व देती है। मुझे तो इस बात में शंका होने लगी है कि इन्दिरा गांधी पहाड़िया जी को मुख्य मंत्री मानती हैं या नहीं मानती हैं। इसलिये यह जो अन्तर्राज्यीय मसले हैं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जरा टॉपिक पर बोलिये...

श्री यदुनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज करने वालों की जो स्थिति होगी, आपको भी पता है 'आप भुक्तभोगी रहे हैं। मैं आपको बधाई देता हूं आपने वीरता के साथ इन्दिरा गांधी से सीधा सम्पर्क कर उसमें विजय पाई है। इन्दिरा गांधी की तरफ से मुख्य मंत्री पहाड़िया जी को शिकस्त देना शुरू किया है। आप यहां राज को हिलाना चाहते हैं। हम सत्ता में आने वाले नहीं हैं। चुनाव तक पार्टियां होती हैं लेकिन चुनाव के बाद सब राजस्थान विधान सभा के सदस्य होते हैं। सभी माननीय सदस्यों का यही उद्देश्य होता है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो लेकिन जब राज्य में राज करने वाले जो हैड आफ दी स्टेट हैं, वैसे तो हैड आफ दी स्टेट राज्यपाल होते हैं लेकिन काम करने वाला हैड आफ दी स्टेट मुख्य मंत्री होता है वह यदि बिलकुल अक्षम हैं, इस तरह से कतराते हैं, पार्टी मीटिंग बुलाते नहीं, विधायक दल की मीटिंग बुलाते नहीं, विधायकों से कभी मिलते नहीं...

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : इससे क्या लेना देना है...

एक माननीय सदस्य : यह विनियोग विधेयक पर बोल रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें...

श्री यदुनाथ सिंह : यह क्या जानते हैं, राजस्थान की जनता जानती है...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

आपके पांच मिनट हो चुके हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : अभी भूमिका ही हुई है। पांच मिनट नहीं हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट और

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : तो मैं अर्ज कर रहा था इन्टर-स्टेट मसलों के बारे में। इन्टर-स्टेट मसलों में राजस्थान की बिजली को देख लीजिए, आया पानी को देख लीजिए, जो बाहर से चीनी आती है उसको देख लीजिए बाहर से जो गेहूं आता है उसको देख लीजिए...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अगर आप इन्टरप्ट करेंगे तो मुझे एक मिनट और बढ़ाना पड़ेगा।

श्री यदुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि केन्द्र में राजस्थान की लाबी बिलकुल कमजोर पड़ चुकी है। राजस्थान के हितों को देखने के लिए केन्द्र में कोई नहीं है। मुख्य मंत्री जी यहां से

(श्री यदुनाथ सिंह)
दिल्ली तो रोज भागते हैं लेकिन मेरे खयाल से मेरे मुख्य मंत्री का राजस्थान से पूरा सम्बन्ध है . . .

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, यह मुद्दे की बात हो रही है ?

श्री यदुनाथ सिंह : इससे ज्यादा मुद्दे की बात और क्या हो सकती है ।

श्री उपाध्यक्ष : आपका टाइम खत्म हो गया ।

श्री यदुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी थी ।

श्री उपाध्यक्ष : आपने एक की बजाय तीन मिनट ले लिए। I am sorry. Please sit down.

श्री यदुनाथ सिंह : धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : अब और कोई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं तो दो-दो मिनट बोल लें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ही बोल देता हूं । विनियोग विधेयक . . .

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, जवाब दें ।

श्री नाथूसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण मसला है । आपने समय दिया आपको धन्यवाद देना चाहता हूं . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपको समय नहीं दिया है । आप विराजें ।

श्री नाथू सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट . . .

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री नाथूसिंह : आप बड़े दयालु हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : मेरी तरफ से कोई नहीं बोल रहा है, इनको दो मिनट दे दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय बोलेंगे ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये, यहां पर श्रीमान् लगता था कि सीकर से आने वाले माननीय सदस्य और नदबई से आने वाले माननीय सदस्य सरकार के समक्ष कुछ ठोस सुझाव रखेंगे . . .

एक माननीय सदस्य : अन्धे के आगे रोना है . . .

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठे-बैठे बात न करें ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : कुछ ठोस सुझाव रखेंगे । सीकर से आने वाले माननीय सदस्य और भरतपुर जिले के नदबई क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य की योग्यता से मैं कायल था और उम्मीद की थी कि कोई नया सुझाव देंगे नौजवान दोस्त माननीय सदस्य लेकिन आज इनको हमारी पार्टी का फिक्र ज्यादा है . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जरा सुनने की क्षमता रखिये माननीय सदस्य।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा पी.सी.सी. (आई) का गठन नहीं हुआ। आपको हमारी पार्टी से क्या लेना देना। वह तो हमारा सवाल है। आपको क्या लेना देना। आप अपने घर का हाल देखो, क्या हाल है। हमें भी मालूम है आपके घर में दो ग्रुप चल रहे हैं इस वक्त···

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय जवाब दीजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जब राजनैतिक भाषा का प्रयोग किया गया है तो उसका उत्तर भी राजनैतिक तौर पर देना पड़ेगा निश्चित रूप से इस बात को आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। यह मेरा आपसे निवेदन है, श्रीमान्। आपकी पार्टी का क्या हाल है, आपके विधायकों का क्या हाल है मैं नहीं जानना चाहता आप अपनी छाती पर हाथ रखकर देखिये। माथुर साहब का क्या हुआ था, अगर मैं कहूं, छोड़िये मैं नहीं कहता। माननीय ललित किशोर जी चतुर्वेदी और भैरोंसिंह जी के ग्रुप का क्या हाल है, मैं नहीं कहना चाहता। श्रीमान्, मैं आपके समक्ष कहना चाहता हूं इन्होंने कहा देश के अन्दर कोई सरकार नहीं है। सन् 80 के अन्दर श्रीमती इन्दिरागांधी की कांग्रेस पार्टी को जनता ने विशेष मौका दिया। हम बहुमत के आधार पर सरकार बना कर बैठे हैं यह कहना कि काम चलाऊ सरकार बिना आधार के है तो निराधार आरोप है। मंत्रियों के ऊपर जो कुछ कहा कि मंत्री काम नहीं कर रहे हैं, यह भी गलत है। इनको क्या मतलब है काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्या यह सेक्रेटेरियेट में जाते हैं···

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप जानते हैं जब आपकी सरकार बनी थी आपका क्या हाल था, आपके मंत्रियों का क्या हाल था। मुझे आपकी जगह बैठने का सौभाग्य मिला था। मुझे मालूम है आपके मंत्रियों का क्या हाल था···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री उनको एड्रेस न करिये। मुझे एड्रेस करिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं बहुत शुक्र गुजार हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि आपने मेरी गलती की ओर ध्यान दिलाया। आइन्दा मैं इसका ध्यान रखूंगा, श्रीमन्, । श्रीमन्, नजर तो सामने जाती है, आपकी तरफ नहीं जाती है।

श्री उपाध्यक्ष : कोई बुरी सूरत नहीं है मेरी।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्रीमन्, माननीय दोनों सदस्यों ने और खास तौर से सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर वे ही बातें दोहराई जो उन्होंने बजट भाषण के दौरान और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान उठाई थीं। विभिन्न मंत्रालयों की जो बातें माननीय सदस्य ने दोहराई, मैं उनमें तो अब नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि उनका समुचित उत्तर दे दिया गया था उस समय, लेकिन मैं फिर भी उन बातों को संक्षिप्त रूप से कहना चाहूंगा। इन्टर स्टेट डिस्प्यूट की बातें कही गई, मैं कहता हूं यह सही है कि दूसरी स्टेट्स के डिस्प्यूट हैं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं क्या नाथपा–झाकड़ी, क्या थीन बान्ध, क्या भाखरा मैनेजमेंट बोर्ड, क्या हरिका बान्ध के जो सवाल उठाये हैं, आपके समय में भी वे डिस्प्यूट्स थे ? आज

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

भी वे डिस्प्यूट हैं और हम स्वीकार करते हैं हमारे देश की प्रधान मंत्री इन सब बातों से सीज हैं और वे इन समस्याओं का निश्चित रूप से हल करेंगी, ऐसा हमारा विश्वास है। नाथपा–भाकड़ी की बिजली आप प्राप्त नहीं कर सके, बराबर सदन में कहा लेकिन हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा केन्द्र को मजबूर किया जायेगा कि बिजली दी जायेगी और अब इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं रह गया है केवल मॉडलिटीज तय होनी हैं। पहले तो यह बात थी कि बिजली मिलेगी या नहीं मिलेगी लेकिन आज तो केवल मॉडलिटीज की बात रह गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं आप थीन बान्ध की बात बराबर उठाते हैं। थीन बान्ध के निर्माण की स्वीकृति तो आपकी सरकार ने की कि थीन बान्ध का निर्माण किया जाय। अगर आप उस समय स्वीकृति नहीं देते तो उसी समय राजस्थान के हिस्से का सवाल तय हो जाता लेकिन आपकी सरकार ने स्वीकृति दे दी।

(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज कहते हैं गांधी सागर से कैचमेंट एरिया से पानी नहीं आ रहा है और मध्य प्रदेश को जा रहा है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है माननीय चतुर्वेदी जी उस समय सिचाई मंत्री थे और श्रीमन् सकलेचा साहब मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, जो मन्दसौर के रहने वाले थे उस वक्त आपकी सरकार चुप रही क्योंकि वे जनसंघ के नेता थे मौका पाकर उन्होंने अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी में बान्ध का निर्माण करा लिया जिससे गान्धी सागर का पानी राजस्थान को कम मिलने लगा। उसको नहीं रोक सकते थे आप ?

(व्यवधान)

लेकिन उस समय आपने अपने उत्तर-दायित्वों को निर्वहन नहीं किया और लांछन इस सरकार पर लगाना चाहते हैं, यह नहीं हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में स्वीकार किया कि ऐसे इन्टर स्टेट के डिस्प्यूट्स हैं और हम उनको सॉल्व करना चाहते हैं और करेंगे। हमारी प्रधान मंत्री ने भाखरा मैनेजमेंट बोर्ड और हैड वर्क्स के जो डिस्प्यूट्स हैं उनके लिए तीनों प्रदेशों के मुख्य सचिवों की और सिचाई सचिवों की एक बैठक बुलाई है अपने स्तर पर और वे पूरी दिलचस्पी ले रही हैं। वे चाहती हैं कि स्टेट्स कोर्ट में न जाय, आपस में मुकदमें बाजी न हो और एक अच्छे वातावरण में डिस्प्यूट्स तय हों। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान के हितों की रक्षा होगी। ऐसा मैं मानता हूं, श्रीमान्।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पहाड़िया जी का क्या होगा ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : वह आपके सोचने की बात नहीं है, वह हमारे सोचने की बात है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्रीमन्, इसी प्रकार थर्मल पावर प्रोजेक्ट के बारे में आपसे कहा गया। इसके कन्स्ट्रक्शन के बारे में मैंने पूरे विस्तार से जवाब दिया था। इस सदन के अन्दर अब हमने रिवाइज्ड शिड्यूल तय किया है और उसके कई कारण हैं–सिविल एवियेे-

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

शन की जमीन का न मिलना और भी कारण हैं। जो हमारा थर्मल पावर प्रोजेक्ट बन रहा है उसको कैन्सिल कर दिया है, मैंने स्पेसिफिक उत्तर दिया था लेकिन बी.एच.ई.एल. ने हमारे किसी आर्डर को कैन्सिल नहीं किया है लेकिन उस बात को भी आप यहां दोहरायेंगे। आपने एक बात और कही–इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट की बात। माननीय विपक्ष के नेता अभी हैं नहीं, मैं उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूं वे अस्वस्थ हैं उसी बात को माननीय तिवाड़ी जी ने यहां दोहराया कि प्रदेश का औद्योगिक विकास अवरुद्ध हो गया है, उनका गलत नजरिया है बल्कि औद्योगीकरण की गति तेज हुई है। आपने सैन्ट्रल सब्सिडी के बारे में कहा कि राजस्थान स्टेट को सैन्ट्रल सब्सिडी कम मिली लेकिन जो आपके राज में सैन्ट्रल सब्सिडी दी गई थी, मेरे पास फिगर इस वक्त नहीं हैं किन्तु मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे राज्य में आपके राज के मुकाबले ज्यादा दी गई है। आपके सामने इस बात को कहा गया था।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आपने इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट की बात कही। आपने कहा हम ही सब चीजों की नींव डाल कर गये थे–ले–लैण्ड का कारखाना, सीमेन्ट के कारखाने की नींव हमने रखी लेकिन बाकी आपने कुछ नहीं किया। लेलैण्ड का कारखाना आया तो हमारे टाइम पर आया। बहुगुणा जी ने बम्बई में राजस्थान के लिये कहा था कि राजस्थान में एक फर्टिलाइजर की फैक्ट्री लगेगी किन्तु मेरी समझ में नहीं आता, बहुत पत्रावलियों को दिखवाया...

सुश्री पुष्पा जैन : मुख्य मंत्री जी ने एडमिट किया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अभी तक तो मेरी निगाहों में आया नहीं...

(व्यवधान)

अगर है, तो बहुत अच्छी बात है लेकिन मेरी निगाहों में नहीं आया आप हर बात में श्रेय अपने ऊपर लेना चाहते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बर्बाद करके रख दिया लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं जितनी डिस-सर्विसेज आपकी सरकार के समय में शुरू हुई-डिस-सर्विसेज मीन्स तबादलों की राजनीति किसने शुरू की? आपकी पार्टी ने शुरू की...

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : प्रभाकर जी ने की।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, तबादलों की राजनीति किसने शुरू की?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मुझसे नहीं पूछ सकते?

श्री प्रद्युम्न सिंह : किसने शुरू की...? ललित किशोर जी चतुर्वेदी ने की-जो पुरानी जनता पार्टी थी, उसने शुरू की। उपाध्यक्ष महोदय, उसमें घटकवाद था, एक पर्टीकूलर ग्रुप था, उसकी चलती थी। उनके घटकवाद में इतना नंगा नाच था कि इनके यहां घुटन महसूस हो रही थी और उसका नतीजा यह हुआ कि ढाई साल के शासन में वह बिखर गई...

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पब्लिक स्पीच अच्छी दे रहे हैं आज आप।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बातें न करें आपस में।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आज गेहूं और चीनी की बातें भी कही गईं। मैं फिर उसमें नहीं जाना चाहता हूं लेकिन श्रीमन्, चीनी की स्थिति के जिम्मेदार, गेहूं की स्थिति के जिम्मेदार कौन हैं? क्या हम हैं? एक दिन में तो स्थिति बिगड़ नहीं सकती है, श्रीमन्

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 9 महीने में।

श्री प्रद्युम्न सिंह : 9 महीनों में नहीं बिगड़ सकती, हमारा राज जनवरी के महीने में आ गया था। जो आपने दुर्दशा की ढाई साल के अन्दर उसका यह नमूना है। हिन्दुस्तान के अन्दर बड़े-बड़े खेतों में गन्ने को जला दिया गया–यू.पी. के अन्दर। मैंने पूर्व में भी कहा था, उपाध्यक्ष महोदय, अगर सरकार के अन्दर उस वक्त की, केन्द्रीय सरकार के अन्दर जरा भी अक्लमन्दी होती, तो जिस प्रकार इन्दिरा गांधी ने गेहूं के स्टॉक को जमा किया, उस प्रकार करते, गन्ना फैक्ट्रियों का मजबूर किया जाता है कि आप शुगरकेन को लीजिये और जितनी शुगर पैदा कर सकें, करें। उसको सरकार खरीदती, उसका स्टॉक बनाती तो यह स्थिति पैदा नहीं होती जो आज हो रही है। आपसे मैं कहना चाहता हूं, बड़ी तारीफ की भायी काम के बदले अनाज योजना की, बड़ा ढिंढोरा पीटते थे, सदन के अन्दर काम के बदले अनाज योजना का सारे अनाज को इन्होंने वेस्ट करके गेहूं को बर्बाद करके फेंक दिया। प्रदेश के अन्दर अपने चहेतों को बांटा, जिसके आज काले कारनामे सामने आ रहे हैं। हजारों टन गेहूं का दुरुपयोग करवाया इनकी सरकार ने और ये हमारे ऊपर आरोप लगाना चाहते हैं। श्रीमन्, मुझे उम्मीद थी कि विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य कुछ कन्स्ट्रक्टिव सजेशन देते, कुछ ठोस सुझाव देते जिस पर सरकार अमल करती लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इनकी तरफ से सुझाव आये भी तो राजनीतिक टाइप के आये और मुझे मजबूर होकर राजनीतिक प्रकार का जवाब देना पड़ा। इतनी बात कहकर, श्रीमन्, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

एक माननीय सदस्य : राज्य मन्त्री जी के लाजवाब भाषण के लिए उनकी पदोन्नति की सिफारिश कीजिए, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 1981 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

विधेयक का पारण

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि विचारार्थ तो पहले ले लिया। अब पारित करने का प्रस्ताव मैं किये देता हूं। मैं पारित करने का प्रस्ताव करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 1981 को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल लें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने····

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : बार-बार ये बोलते रहेंगे और उस बात का सरकार जवाब देती रहेगी क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : राजनीतिक भाषा में राजनीतिक तरीके से··

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं शायद न बोलता, आप शायद राजनीति में बोलें तो मुझे मजबूर होकर बोलना पड़ा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विनियोग विधेयक पर माननीय मंत्री महोदय ने जिस राजनीतिक जोश खरोश से राजनीतिक स्टाइल से उत्तर देने की कोशिश की है, आशा तो यह थी कि प्रदेश के सामने आयी हुई मौलिक समस्यायें, जो पिछले एक वर्ष में इस सारे प्रदेश को आक्रान्त किये हुए हैं, जिनकी ओर ध्यान माननीय सदस्यों ने माननीय मंत्री महोदय का दिलाया था, उन सारी बातों में···

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Don't talk, please.

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय मंत्री महोदय, अपना जवाब देंगे। विरोधी दल की भूमिका के नाते प्रदेश की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना, ये हमारा पुनीत कर्त्तव्य है जिसको हमारी ओर से दो माननीय सदस्यों ने निभाया। आशा थी कि उन समस्याओं के बारे में, हल करने के कौनसे प्रयत्न किये जायेंगे, कौनसी कोशिश की जायेगी, इसका उत्तर दिया जाता। किन्तु सारे भाषण में उन सब इश्यूज को निश्चित रूप से टाला गया है। ऐसा मेरा मत है। इन्टर-स्टेट मैटर्स, मैं मानता हूं कि आज के नहीं हैं, बहुत समय से चले आ रहे हैं, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय में थे, जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार के सामने थे, आज कांग्रेस सरकार के सामने हैं। किन्तु प्रश्न यह खड़ा होता है कि क्या वे इन्टर-स्टेट मैटर्स ऐसा टर्न ले रहे हैं कि जिन टर्म्स के आधार पर प्रदेश के आगे के भाग्य के सामने प्रश्न वाचक चिह्न लग जायेगा ? माननीय मंत्री महोदय ने नाथपा-झाकड़ी की बात की, थीन बांध की बात की। उन्होंने कहा थीन बांध की इजाजत हमारे समय दी गयी थी, मैं कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय से, जितने हल्के तरीके से इस बात को कह दिया इसकी इजाजत कभी किसी स्तर पर नहीं हुई। मुझे याद आ जाती है उस मीटिंग की, जिस मीटिंग के समय तत्कालीन प्रधान मंत्री महोदय के सामने इस बात को स्पष्ट रूप से रखने की कोशिश तत्कालीन मुख्य मंत्री ने की थी, मैं बैठक में स्वयं उपस्थित था। तत्कालीन प्रधान मंत्री महोदय ने क्लेरिफिकेशन मांगे थे कि सब सरकार अपनी-अपनी जिस प्रकार योजना बना रही हैं, उस प्रकार की केन्द्रीय सरकार के सामने लावें। उस पर विधि विभाग की सारी जानकारी ली जाय। ये पहला अवसर था जब राजस्थान के तत्कालीन मुख्य मंत्री

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

के प्रयास के कारण जो गर्त में बात छिपी हुई थी, पर्दे के पीछे कई वर्षों से बात हो रही थी वह उजागर हुई और पंजाब सरकार कटघरे में आकर खड़ी हुई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, नापपा-झाकड़ी की चर्चा की है। आज सवाल क्या आकर खड़ा हो गया केवल मॉडलिटीज का नहीं है, उस दिन मुख्य मंत्रीजी गोल-गोल उत्तर दे गये, सवाल एश्योर्ड सैल का है, एश्योर्ड सैल हमको स्वीकृत हुई है। मैं कहना चाहता हूं, मैं निश्चित रूप से स्पष्ट शब्दों में अपनी जानकारी के आधार पर कह रहा हूं, एश्योर्ड सैल का मतलब यह है कि हमारा हिस्सा नहीं है। इस बात का स्पष्टीकरण हो गया है। कहां है वह फौलाद, कहां हैं वे फौलादी चट्टानें, जिनकी चर्चा की गयी थी? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, केवल गोल-गोल बात करने से काम नहीं चलेगा। उस दिन माननीय मुख्य मंत्री जी कह गये, जो स्पष्ट है, आज एश्योर्ड सैल के नाते हमको बिजली मिल सकती है, इस प्रकार की स्पष्ट घोषणा यहां हो चुकी है। पत्रावली में पत्र का रेफरेन्स उस दिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने दे दिया, यह स्थिति न पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय थी, न जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार के समय थी। इन्टर-स्टेट मैटर्स उलझे हुऐ मैटर्स थे, आपस का झगड़ा था, झगड़े का हम रास्ता निकाल सकते थे, प्रदेश के हितों की चर्चा कर सकते थे, उसको बचा सकते थे किन्तु शर्म से कहना पड़ता है एक वर्ष में राजस्थान प्रदेश के हितों को बलि का बकरा बनाकर चढ़ा दिया गया। केवल लम्बे-लम्बे भाषण देने से काम नहीं चलेगा। हम तो आपके सामने भी बातों को रख सकते हैं किन्तु आपको तो करना है, आप तो शब्दों में नहीं उनको करके बताइये, नोट तो कर दिया मन्त्री महोदय ने…

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, नो टाक्स। आपस में बातें नहीं करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चर्चा करना चाहता हूं गान्धी सागर में…

एक माननीय सदस्य : ये बातें तो छः दफा सुन ली।

एक माननीय सदस्य : यहां कोई भाषण थोड़े ही देने आये हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसीलिए निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपके सामने नया चर्चा छेड़ रहा हूं मसानी की। मसानी बांध बन रहा है। कोटा, आसीन्द डूबेगा, पानी में। माननीय सिंचाई मन्त्री महोदय सुन लीजिए, नयी बात है उसकी चर्चा कर दी, केवल आपके शब्दों में उस स्थिति में एक साल में वह बांध पहुंच गया है और यह सरकार बैठकर हरियाणा से बात नहीं कर सकी। बांध लगातार बनता जा रहा है। स्थिति यह हो गई है लेकिन सरकार को कोई चिन्ता नहीं है। अगर कुछ स्थानों पर पानी रोक दिया तो कोटकासिम डूब में आ जाएगा, अलवर के कई क्षेत्र डूब जायेंगे। याद रखिये, सरकार को जागृत रखिये, इन बातों की चिन्ता रखिये। अगर चिन्ता नहीं की तो स्थिति खराब हो जाएगी। मैं आगाह करना चाहता हूं, मसानी के मामले में। जो

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

इन्टर-स्टेट का मैटर है, इन्टर-स्टेट का इस प्रकार का बांध बन रहा है, इस बांध पर आपस में चर्चा होनी चाहिए थी। सावी के पानी के कारण, सावी के फ्लड से बचाने के लिए एक योजना बनी थी, एक मास्टर प्लान बना था हमारे यहां के बांध के बारे में चर्चा नहीं कर सके, बांध हम बना नहीं सके वह तो केन्द्रीय सरकार ने कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया और आज मसानी बांध इस स्थिति में है जिसके कारण अलवर का कोटकासिम और कुछ क्षेत्र डूब जायेंगे। मैं अलवर के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, मैं सरकार को भी आगाह करना चाहता हूं कि इस इन्टर-स्टेट मैटर पर जागृत रहे, जागरूक रहें। अगर हमारी ठीक तरह से बैठ कर हरियाणा से बात नहीं हुई, पैसा नहीं दिया, हमने इन क्षेत्रों को बचाने की कोशिश नहीं की, इसके कारण जो प्रायोरिटी मैटर है उसको नहीं लिया, उसके कारण केन्द्रीय सरकार और हरियाणा सरकार से हमने आपस में बातचीत नहीं की तो अलवर के इस प्रकार के क्षेत्रों के सामने समस्या आ सकती है।

बिजली के बारे में कहना चाहूंगा, मैं चर्चा करूंगा आगे, सतपुड़ा से बहुत कुछ बकाया है। इस एक वर्ष में जो हमारे इन्टर-स्टेट मैटर्स हैं, गांधी सागर के समय के पांच करोड़ रुपये बकाया हैं, एक पैसा वसूल नहीं कर सके मध्य प्रदेश सरकार से। पिछला बकाया है, वह हमारे समय का बकाया नहीं है...

श्री विष्णुप्रकाश बजारी : वह तो आपका ही है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आप बैठिये, आप समझने की कोशिश कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जरा समझने की कोशिश कीजिए। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मांगों के सिलसिले में ही निवेदन करना चाहता हूं कि हम एक पैसा वसूल नहीं कर सके और इस बजट में तीस करोड़ रुपयों की कटौती हम करते रहे हैं। आज तक कोई एक्सप्लेशन नहीं दिया, आज तक कटौती क्यों की गई? हमारे सारे निर्माण कार्य ठप्प पड़े हुए हैं। प्रगति से पीछे ले गए हैं। हम पैसे को जनरेट नहीं कर सके, हम सरकारी विभागों को क्रियाशील नहीं कर सके विकास के कार्यों में नहीं लगा सके।

(व्यवधान)

मैं आप पर आरोप लगा रहा हूं, सरकार पर आरोप लगा रहा हूं। राजस्थान का एक वर्ष का शासन न केवल प्रश्नवाचक चिन्ह बन गया है बल्कि विकास की गति रुक गई है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जरा वक्त का खयाल करें समय का खयाल रखें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : चालीस लाख क्विंटल चीनी का जो हमारा कमिटमेंट है विदेशों के साथ में चीनी को बाहर भेजने के लिए...

(व्यवधान)

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बैठ जाता हूं। आप मेरे अधिकारों की रक्षा कीजिए। किस प्रकार से व्यवधान हो रहा है, आप इसको रोकिये।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज.. माननीय सदस्य.. आर्डर आर्डर.. कहिये। दो मिनट में समाप्त करें। संक्षेप में।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मंत्री महोदय ने बता दिया कि हम कमिटेड नहीं हैं। हम गेहूं नहीं दे सकते। काम के बदले अनाज योजना शुरू की थी उसके लिए कहा गया इसलिए गेहूं खत्म हो गया। यहां पर चर्चा की गई। आज सात हजार गांव राजस्थान के पुकार पुकार कर कह रहे हैं, राजस्थान के निर्माण की कथा को लिख रहे हैं, मन्त्री महोदय, आंख खोल कर देखें। आज जनता पार्टी के शासन की चर्चा करके हो न रह जायं, जरा देखने की कोशिश कीजिए। लेकिन क्या देखेंगे? सावन के अन्धे को क्या दिखता है? यह तो आप ही जानें कि राजस्थान में क्या दिखने लगा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस अन्त्योदय योजना को सारे विश्व ने सराहा, जिस अन्त्योदय योजना को प्लानिंग कमीशन ने सराहा उसकी सारे प्रदेशों ने नकल की। एक वातावरण बनाया था गरीब को ऊपर उठाने का। लेकिन यहां तो गरीबी हटाई जा रही है। किन में से हटाई जा रही है? एक लड़के को एक प्लाट, दूसरे लड़के को दूसरा प्लाट, तीसरे लड़के को ट्रक, चौथे को इण्टर-स्टेट परमिट, नेशनल परमिट। इस तरह से गरीबी हटाई जा रही है। गरीबी हट रही है, कुछ लोगों की हट रही है, डर हो रहा है इनको। आप अपने नेशन की बात सोचिये कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। भ्रष्टाचार जिस तरह से बढ़ रहा है उसको ध्यान से देखने की कोशिश करें। जनता पार्टी ने जो प्लान बनाया था उनको···

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, कृपया शान्त रहें माननीय सदस्य। शांत रहें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अंतिम बात कह कर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि प्रदेश के सामने एक वर्ष में समस्यायें आकर खड़ी हुई हैं, गरीब व्यक्तियों को···

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बातें नहीं करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक महीने में गेहूं की कीमत बढ़ रही है। अभी नया गेहूं नहीं आया, एक महीना बाकी है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्तियों को आप आठ से दस किलो के बीच में गेहूं मुहैया कराने की कोशिश कीजिए। यह मत समझिये, हम जानते हैं कि हमारी सरकार तीन प्रधान मंत्रियों की लड़ाई के कारण चली गई। हमारी सरकार चली गई इसका कारण हमारे तीन प्रधान मंत्रियों की लड़ाई था किन्तु उसके कारण वह ढाई वर्ष का समय, वह विकास का समय था, वह प्रगति का समय था, वह दिशा देने का समय था, वह करप्शन का समय नहीं था वह भ्रष्टाचार का समय नहीं था। वह केवल निष्क्रियता का

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

समय नहीं था, वह प्रगति के कदमों को पीछे ले जाने का समय नहीं था। ये तीन प्रधान मंत्रियों की लड़ाई के कारण हुआ, यह स्थिति हो सकती है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आगे आने वाले महीने भर में चीनी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि वह गरीब व्यक्ति को मुहैया हो, इस प्रकार की व्यवस्था आप करने का प्रयास करें।

आज चोरी और डकैतियां हो रही है, इनकी चर्चा विनियोग विधेयक संख्या दो के समय करूंगा, आज नहीं करना चाहता। लेकिन जिस क्षेत्र से आप चुन कर आए हैं, आप भी जानते हैं और मैं भी वहां जाकर आया हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आग सुलग रही है। जिस प्रकार से डकैतियों को चोरियों के रूप में रखा गया है। लगातार चार हो गई कामां में, नौ हो गई नगर में, वाड़ी में हो गई लगातार एक के बाद एक डकैती होती चली आ रही है। क्या करें गृह मंत्री जी मुख्य मंत्री हैं, यहां आते नहीं और स्थानापन्न मंत्री बैठे हुए हैं। बोलने का तो अधिकार हमारा है, करने का अधिकार आपका है। कुछ करके बताइये। कुछ प्रदेश को दिशा दीजिए। कुछ प्रदेश को राहत देने की स्थिति उत्पन्न कीजिए। ऐसी स्थिति उत्पन्न मत कीजिए जैसी कल से हो रही है। राजस्थान भर से फोन आ रहे हैं। क्या हो रहा है? कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। यह इण्टरनल विषय नहीं है। यह आपका अन्दर का विषय नहीं है।

मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप चुन कर आए। आपका चुनना आपको बधाई लेकिन आपका चुनना एक प्रश्नवाचक चिन्ह पहाड़ियाजी के सामने खड़ा हो गया है, माननीय मंत्री महोदय उसका उत्तर देंगे। ऐसा मुझे लगता है।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री रामनारायण बूंडी : उपाध्यक्ष महोदय, दूसरे दलों को भी समय दीजिए।

श्री तेजपाल यादव : चार आदमी लगातार उनके बोलने दे रहे हैं।

श्री नाथूसिंह : आज मेरा सौभाग्य है ...

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, बैठिये।

श्री तेजपाल यादव : यह कैसे हो रहा है कि चार चार आदमी एक दल के बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : मेरा सौभाग्य है कि आपने ...

श्री उपाध्यक्ष : सौभाग्य तो खैर ठीक है, मगर मैं समझता हूं कि दूसरों को भी मौका दिया जावे आप इससे सहमत होंगे। यह श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पहले परमिट कर दिया ...

श्री उपाध्यक्ष : आप बाद में बोल लें।

श्री रतनलाल ताम्बी : उपाध्यक्ष महोदय, जिस सारे विषय को लेकर चर्चा चली है, बात बहुत साफ है कि जिस आशा और विश्वास के साथ सोचा गया उतना काम नहीं हुआ, इस बात को सोचा जा सकता है। किन्तु जिस प्रकार की नीतियां और कार्यक्रम

(श्री रतनलाल तांम्बी)

को लेकर पिछली सरकार गई और जनता ने भी जिस ढंग से अपेक्षा की थी उन्होंने पूरी नहीं की और यह सरकार भी जो घोषणा-पत्र जनता के सामने दिये उसमें नहीं चलती है तो इसके लिए भी वही स्थिति पैदा हो सकती है। यह तो सब जनता ही फैसला करती है।

प्रश्न यह है कि राजस्थान प्रदेश में आज के जो मूल प्रश्न हैं, उन प्रश्नों की ओर आज जिस प्रकार से ध्यान देने की आवश्यकता है उस दिशा में खास तौर से ध्यान देना बहुत जरूरी है। राजस्थान में अकाल की स्थिति पर सरकार ने कुछ कण्ट्रोल किया वहां खाद्य और सिविल सप्लाई के मैटर्स में मंत्री महोदय बहुत सख्त हैं, कुछ करना चाहते हैं पर अभी तक व्यवस्था जिस प्रकार से गांवों में चल रही है, मैं समझता हूं कि इस दिशा में खास तौर से ध्यान देंगे। इन सारी बातों से जनता का सीधा जीवन और मरण का प्रश्न जुड़ा हुआ है। इसके साथ-साथ मैंने पहले भी मांग की थी कि राजस्थान की सरकार जो इण्टर स्टेट डिस्प्यूट हैं उस मामले में अभी तक स्पष्ट तस्वीर जनता के सामने नहीं रख पाई है। मैंने आसन के माध्यम से मांग की थी कि इन कामों के लिए, इन सब बातों के लिए एक दिन की चर्चा रखी जाय और राजस्थान की जनता के मन में जो उद्वेलित प्रश्न खड़े हैं इस मामले को लेकर वे रखे जायं। इस प्रकार के मामलों में बराबर सवाल उठाते हैं, इधर से सवाल उठ जाते हैं और राज्य मंत्री महोदय भी बड़े लहजे से वही की वही बात रोज बता जाते हैं। इससे प्रश्न हल नहीं होता। इसलिए मैं चाहूंगा कि राजस्थान के व्यापक हित में कई प्रश्न हैं, जैसे बिजली का मामला है। बिजली के मामले में राजस्थान में बिजली उत्पन्न हो रही थी, पूरी नहीं मिल रही थी उसके बाद भी राजस्थान के किसानों को मिनिमम चार्ज के नोटिस पहुंच रहे हैं वह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, मुख्य मंत्री ने कहा कि इस वक्त अकाल के समय वसूली नहीं होगी लेकिन मेरे भीलवाड़ा जिले की 16 पंचायतों में वसूली हो रही है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। वहां आज भी वसूली हो रही है। व्यवस्था नहीं हो पा रही है। यह सारे मूल प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के साथ राजनीति जोड़ करके दोनों तरफ से प्रश्न और उत्तर हो जाते हैं। इनसे काम नहीं चलने वाला है। मैं चाहता हूं कि यह मूलभूत प्रश्न है। अब चार पांच दिन और विधान सभा चलेगी। इन 4-5 दिनों के बीच में राजस्थान के विधायक फिर अपने-अपने क्षेत्रों में जायं तो वे एक नवीन दृष्टिकोण लेकर जायं इन समस्याओं का समाधान लेकर जायें यह सरकार की सफलता की बात होगी। बाकी सफलता असफलता का रोज चित्रण करते हैं, इसका कोई नतीजा नहीं लग रहा है। रोज चर्चा हो जाती है। विधान सभा सारे राजस्थान का प्रतिनिधित्व करती है इसमें जो चर्चा होती है वह गरिमापूर्ण होनी चाहिये। जो सुझाव दिये जाते हैं उनकी पालना होनी चाहिये। जो नीतियां बनाई जाती हैं वह नीचे के लेवल पर क्रियान्वित हो रही हैं या नहीं यह सवाल लेकर चलना चाहिये। इन्हीं बातों को कहता हुआ, मैं चाहूंगा कि इन बातों पर गम्भीरता से विचार किया जाय। यही बात मुझे कहनी है।

श्री उपाध्यक्ष: दो मिनट बोलिये।

श्री नाथू सिंह : मैं आपको धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि आप उपाध्यक्ष के पद पर चुन कर आये।

अभी माननीय मंत्रीजी कह रहे थे कि आपने मेरी बात मानी और आप मेरी बात मानते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप प्रद्युम्नसिंह जी की बात मानते तो आप उपाध्यक्ष नहीं बनते। आपकी आत्मा ने उनकी बात मानने से इंकार कर दिया जब आपने आवाज लगाई वह आवाज उन्होंने सुनी नहीं

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सबजेक्ट मैटर पर आइये।

श्री रामसिंह विश्नोई : मक्खन लगा रहा है।

श्री नाथूसिंह : लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं जब से सरकार बनी है यह इसलिए हुआ, कुछ माननीय कांग्रेस आई के सदस्य जो हमेशा सत्य का साथ देते हैं, उनको अनुभव होने लगा सरकार कुछ नहीं है। इसलिए वह आज बड़ी दुविधा में हैं कि वह क्या करें। क्योंकि जब सरकार बनी, बड़ी आशाएं थीं। पहाड़िया जी मुख्य मंत्री बन कर आये। लोगों ने सोचा राजस्थान का विकास होगा राजस्थान आगे बढ़ेगा, राजस्थान का भला होगा, प्रधान मंत्री के साथ हैं। लेकिन हुआ क्या ? मंत्री मण्डल बना तब से गड़बड़ हो गई। मंत्री मण्डल कैसा बना ? मुख्य मंत्री जगन्नाथ प्रसाद, दो नम्बर के मंत्री हनुमान प्रसाद, तीसरे नम्बर के मंत्री बद्री प्रसाद, कमला××××यह जगन्नाथ प्रसाद जी, हनुमान प्रसाद जी, बद्री प्रसादजी प्रसाद ही प्रसाद हो गया। उसके कारण क्या...

श्रीमती कमला : हम संगठन के साथ हैं।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कमला जी को प्रसाद नहीं मिला।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : आपको प्रसाद से क्या एलर्जी है ?

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है। कोई प्रसाद नहीं है। श्रीमती कमला हैं। प्रसाद यह कैसे बोल दिया आपने।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक मंत्री के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं किया जाय।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, कार्यवाही से यह शब्द निकाल दिए जायें,

श्री उपाध्यक्ष : निकाल दिए गए हैं।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : माफी मांगें।

×××शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री नाथूसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब से सरकार आई है, विकास के बजाय राजस्थान पीछे गया है। स्थानान्तरण के अलावा कोई काम नहीं हुआ। अकेले शिक्षा विभाग को ले लें। इसमें स्थानान्तरण किये हैं। जयपुर शहर में 277 प्राध्यापकों के स्थानान्तरण किये हैं और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके पश्चात् ...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य इन्टरफियर करेंगे तो लम्बा हो जायेगा।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : यह रिपीटीशन कर रहे हैं।

(व्यवधान)

जो यह पहले कह चुके हैं उनको रिपीट नहीं कर सकते हैं।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : हमको अवसर नहीं मिला ...

श्री नाथूसिंह : और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो स्थानान्तरण किये उसका नमूना पेश करता हूँ। 277 टीचर्स के स्थानान्तरण किये वापस कैंसिल हो गये ...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया हस्तक्षेप न करें। आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल चुके हैं, मैं मजबूर हूं, माफ कीजिए।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पाइन्ट आफ आर्डर।

एक माननीय सदस्य : महाराम को पुकार चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ... फिर आइन्दा खयाल रखें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जो समय दिया है वह समय मिल जाय बीच में ...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मुझे मजबूर न करें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य बैठ जाइये।

श्री नाथूसिंह : मेरा निवेदन सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिए।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : फिर इनट्रप्शन कर रहे हैं।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : फिर इन्ट्रप्शन कर रहे हैं।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : व्यवस्था का प्रश्न है।

134

श्री उपाध्यक्ष : क्या है ?

श्री राम रघुनाथ चौधरी : मैं निवेदन कर रहा हूं कि आपने माननीय सदस्य महाराम का नाम पुकार लिया था और जब आपने माननीय सदस्य महाराम का नाम पुकार लिया तो पूर्व में जो बोल रहे थे उनका भाषण समाप्त हो जायगा। इसलिये मैं व्यवस्था चाहता हूं कि उनका नाम पुकार लिया है, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। दुबारा आप समय दे रहे हैं तो इस पर आप व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य मैंने महाराम का जरूर नाम लिया। आप बोलिये, लेकिन बोलना शुरू किया उसके पहले इनको एक मिनट की इजाजत दे दी।

(व्यवधान)

श्री राम रघुनाथ चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियमों के तहत निवेदन कर रहा हूं कि विनियोग विधेयक पर बोलते समय अपने दिये हुए भाषण को दोहरा कर हाउस को प्रोवोक नहीं कर सकते। इसलिये इन्हें पाबन्द कीजिये कि दुबारा रिपीटिशन नहीं करें।

श्री नाथूसिंह : बिलकुल नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनको पैसा दे रहे हैं उसका किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, शराब की दुकानें जो पहले लगभग 170 थीं वे 255 कर दीं इसलिये कि मुख्य मंत्री सचिवालय के एक व्यक्ति हैं उन्होंने 225 दुकानें खोलने के लिये लाइसेंस दिये हैं और एक माह की अवधि बढ़ाई है उसमें 45 लाख का सौदा किया है, आर्डर्स हैं मेरे पास। जो 170 दुकानें थीं आज बढ़ा कर 225 कर दी गई।

(व्यवधान)

श्री सूरजपाल सिंह : गलत बयानी कर रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं चलेगा।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ये क्या बोल रहे हैं। इन्होंने किसी का नाम लिया क्या ?

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार इन्टर-स्टेट डिस्प्यूट्स के मामलों में असफल रही है जिस पर माननीय सदस्य ने प्रकाश डाला है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने नाथपा झाकड़ी के मामले में एक प्रमाण रखता हूं।

एक माननीय सदस्य : ये फिर रिपीटिशन कर रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री नाथूसिंह : मुख्य मंत्री जी ने वादा किया था, सरकार अब भी कह रही है···

एक माननीय सदस्य : वे क्यों रिपीटिशन कर रहे हैं जो ललित किशोरजी ने कहा था। हाउस का समय खराब कर रहे हैं।

श्री नाथूसिंह : अभी कुछ दिन पहले राजस्थान के कुछ अधिकारी गये और उन्होंने समझौता किया, उसमें आफिशियल सोर्स से, जो पेट्रियाट अखबार के संवाददाता ने कन्फर्म किया है, उसके बारे में लिखा

(श्री नाथूसिंह)
है जिसकी कुछ लाइनें आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं,

"Regarding power from the project, claim of the State was not accepted,"

उपाध्यक्ष महोदय, आज यह सरकार कुछ भी कह सकती है लेकिन कुछ दिन पहले मुख्य सचिव भी उस समझौते में मौजूद थे। वहां से समझौता करके आये, अखबारों ने कन्फर्म किया है इस बात को। इतना ही नहीं, अकाल राहत के समय में...

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंतिम निवेदन कर रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये। आसन पैरों पर है। कुछ कायदे, रूल्स बने हुए हैं उनका पालन कीजिये।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दुर्भाग्य है जब से पुकारा है बार-बार डिस्टर्ब हो रहा हूं। मेरा आपसे ज्यादा समय चला गया। जब कोई माननीय सदस्य को बोलने का अवसर देते हैं...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है। आप बराबर बोले जा रहे हैं, कृपया सहयोग दें। विराज जाइये। श्री महाराम जी।

श्री महाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से जनता सरकार ने काम करने में तत्परता नहीं दिखाई और काम सुचारू रूप से नहीं किया उसकी तो उसे सजा मिल गई। उस बात को बार-बार कहने से कोई फायदा नहीं। मेरा तो यही निवेदन करना है कि जनता सरकार जिस प्रकार कार्य कर रही थी उसी के अनुसार यह सरकार काम करती रही है, सरकारी अधिकारियों पर अंकुश लगाने का और जैसी उस सरकार की व्यवस्था पहले थी वही की वही व्यवस्था चल रही है। ट्रांसफरों के मामले में सरकार ने जो तत्परता बरती थी उसमें जो कारकून थे, आसपास में रहने वाले कई आदमी जो जनसंघी थे वे तो वैसे के वैसे जमे रह गये और जो बेचारे दूर रहने वाले सदस्य थे, जिनकी कोई पूछ नहीं थी वह आदमी तो वैसे के वैसे हैं।

मैं विशेष रूप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों की तरफ, ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ, पश्चिमी राजस्थान की तरफ जहां भयंकर अकाल है, अभी तक तो न सरकार पहुंची है न सरकारी अधिकारी पहुंचे हैं और न पेय जल के संबंध में सरकार बोल रही है। जो जनता सरकार ने व्यवस्था चलाई थी वही व्यवस्था है। वैसी की वैसी गांव वालों के साथ पानी की भयंकर समस्या है और हमारी सबसे बड़ी समस्या है। यही मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, अगर इस तरह से काम करते रहे, इसी भावना से चलते रहे और गांव वालों की अवहेलना होती रही तो जो सजा जनता सरकार को मिली थी वही सजा आपको मिल सकती है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण कीजिए। आपको भी टाइम दूंगा।

श्री भैरू लाल भारद्वाज : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बात सभी सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आज

(136)

(श्री भैंरूलाल भारद्वाज)

विरोधी पक्ष में जो मित्र बैठे हैं वे अपनी हार से बहुत बौखलाये हैं, यह उचित बात नहीं है। यह ठीक है कि उन्होंने जो सपने संजोए थे वे सभी पार्टियों की विचारधारा मिलाकर थे। हिन्दुस्तान जो कांग्रेस से सहमत नहीं थे वे भयंकर जनसंघी, दक्षिणपंथी और भयंकर वामपंथी, मार्क्सिस्ट थे, उनमें न किसी प्रकार की नीति का मेल था, न किसी प्रकार के सिद्धान्तों का मेल था न विचारों का मेल था। कई तो बेचारे, मेरे लायक दोस्त नाथूसिंह जी जैसे भी इस चक्कर में फंस गये थे कि शायद यह पार्टी जिसका नामXXX जनता पार्टी रखा हैं जनता का भला कर सकेगी। उस चक्कर में न केवल बहुत से मित्रों ने बल्कि जनता ने भी गुमराह होकर जनता पार्टी के नाम पर वोट दिये। वे बड़े बहुमत के साथ जाकर बैठे परन्तु उन्होंने जो काम किये उनकी चर्चा करके मैं सदन का समय व्यतीत नहीं करूंगा। मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि जिस पार्टी के पास सिद्धान्त हैं, न दिशा है न विचार हैं वह पार्टी कुछ भी नहीं कर सकती थी और न उसने कुछ किया। उसको ओलमा देना, मैं समझता हूं, हमारा काम नहीं। जिसके पास दिशा निर्देश नहीं हो, जिसके पास कार्यक्रम नहीं हो वह इस देश को क्या दे सकती थी? वह दे गये ढाई तीन साल के शासन में हिन्दुस्तान के खजाने को खाली करने का तोहफा। हमने बहुत सुरक्षित स्वर्ण भण्डार जमा किये थे, देश के लिए मौके पर काम आने के लिए वह उन्होंने सब खाली किए। अभी जो जांच रिपोर्ट आपके सामने आई, आपने अखबारों में पढ़ी होगी उससे पता चलता है कि जनता सरकार ने कितनी गैर जिम्मेदारी के साथ कितनी बेरहमी के साथ देश के स्वर्ण भंडारों को, खत्म किया है। जैसा कि ढोल पीटा जाता है काम के बदले अनाज योजना का, उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में हिन्दुस्तान के लोगों के लिए खाने का अतिरिक्त अनाज जमा करके दूसरे मुल्कों को निर्यात शुरू किया था और ऐसे भंडार इसलिये बनाये थे न मालूम कब मौका पड़े क्योंकि हिन्दुस्तान में कई बार अकाल आता रहता है।

इसके अतिरिक्त चीन और पाकिस्तान सदा इस फिराक में रहते हैं कि जायज और नाजायज किसी प्रकार की अशान्ति थोप दें। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं ऐसे ही मौके के लिए जरूरी अन्न भण्डार जमा किए थे हिन्दुस्तान में, कि काम आयेंगे। परन्तु जो लोग दिशा भ्रम होकर आपस में लड़ रहे थे, जिनके पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं बचा न सोना बचा और न कोई कार्यक्रम और दिशा निर्देश बचा, उन्होंने अन्न भण्डारों को भी गांवों में लाकर इस तरह लुटा दिया कि जैसे बड़े खजाने को लुटा रहे हों। मैं नाम तो नहीं लूंगा जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया था कि इस मामले में करोड़ों रुपए का घपला हुआ....

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री भैंरूलाल भारद्वाज : आरक्षण विरोधी आन्दोलन इन्होंने खड़ा किया। जयपुर, कोटा उदयपुर में यह आन्दोलन खड़ा किया गया। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस ने लगातार 30 वर्षों तक राज किया परन्तु कांग्रेस ने कभी भी इस प्रकार सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया •

XXXअभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलापित की गई।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मैं उपाध्यक्ष महोदय आरक्षण के बारे में ......

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री भैरूं लाल भारद्वाज : मैं अपनी बात यहीं पर कह कर समाप्त करता हूं और इसलिए कहना चाहता हूं कि ये सारी बातें ढाई साल तीन साल के शासनकाल में हुई। जनता पार्टी ने शासन की गाड़ी को पटरी से उतार दिया। इस गाड़ी को वापस पटरी पर चढ़ाने में समय लग सकता है, क्योंकि जनता पार्टी, लोकदल के शासन काल में सरकारी मशीनरी, व्यापारी, उद्योगपति ने जिस प्रकार से काम करना शुरू कर दिया था उसको हम दूर करते जा रहे हैं। शीघ्र ही यह सामने आयेगा और कांग्रेस की छवि इस देश के विकास करने में सामने आयेगी। कांग्रेस का जो कार्यक्रम है उसके जरिये वह देश में समाजवाद लाने जा रही है और उसके लिए कुछ निहित स्वार्थ वाले प्रतिनिधि अवरोध पैदा कर रहे हैं, किसान मजदूर विरोधी कार्य कर रहे हैं ...

श्री उपाध्यक्ष : अब काफी हो गया, माननीय सदस्य समाप्त कीजिये।

श्री भैरूं लाल भारद्वाज : यह निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय ....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

समाप्त हुआ भाषण।

श्री भैरूं लाल भारद्वाज : धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : केवल दो मिनट।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से बहस हो रही है, उसको सुन कर के जो पुण्य शरीर, जो पुण्यात्मा शरीर छोड़ चुकी है और जो कभी इस सदन में बैठ चुके हैं, उनकी आत्मा प्रसन्न हुई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस पूरे सदन को यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन 200 सदस्यों की इस प्रदेश के प्रति कोई जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को हम और आप मिल कर पूरा कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कभी इधर से यह प्रश्न उठाया जाता है कि कांग्रेस सरकार निकम्मी है और कभी उधर से यह कुरान दोहराया जाता है कि जनता शासन ने यह किया। मेरा यह निवेदन है कि क्या हम इनसे कोई सबक नहीं ले सकते हैं। हमारा क्या कर्त्तव्य है ? आज जो सत्ता में बैठे हुए हैं, उन माननीय सदस्यों का यह कर्त्तव्य है कि वे इस प्रदेश की उन्नति के लिये कटिबद्ध हों और हमारी ओर जो सदस्य बैठे हुए हैं उन सदस्यों का भी यह कर्त्तव्य है। हमारे पर ज्यादा बोझा है क्योंकि हम उनका ध्यान प्रदेश की समस्या की ओर दिला सकते हैं क्योंकि प्रदेश की व्यवस्था, लॉ एण्ड आर्डर का भार शासक दल पर है। वे अपने कर्त्तव्य को पूरा करें। मेरा आपसे निवेदन है कि हम उनको सहयोग दें और हम अपने ऊपर आई हुई जिम्मेदारी को समझें और प्रदेश जो पीछे जा रहे हैं उसको आगे बढ़ावें।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले जून महीने से इस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का शासन है परन्तु जिस आकांक्षा से इस प्रदेश की जनता से कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त समर्थन दिया था, वह आकांक्षा पूरी नहीं हुई है। मैं यह

(श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह)

चेतावनी देना चाहता हूं कि जनता जाग जायेगी और आप दुबारा नहीं आयेंगे। आप अपना कर्त्तव्य पूरा करें वरना आपको यह गद्दी छोड़ना पड़ेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ कमियां हैं, उनको इस सदन के सदस्य के रूप में हम जानना चाहेंगे। जो कमियां हैं उनकी तरफ मैं माननीय सिंचाई मंत्री का ध्यान खींचना चाहता हूं। यह सिंचाई मंत्री का दायित्व है कि वह यह देखें। यह प्रदेश की बहबूदी का सवाल है। अगर विपक्ष···

श्री उपाध्यक्ष : जल्दी समाप्त करें।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : बोलने दीजिये। अगर विपक्ष से सहयोग की बात है तो वह हम आपको देंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इंटर-स्टेट मामलों में माननीय मंत्री जी ने कहा कि वे अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। उनको हम कहते हैं कि आप जिम्मेदारी समझते हैं तो हम भी कन्धे से कन्धा मिला कर जुट जाएंगे। आप कहेंगे तो हम आपको पूरा सहयोग देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश में चारों तरफ सीमेन्ट का अकाल पड़ा हुआ है। उसमें हमारी कुछ कमियां है। आज विद्युत उत्पादन में कमी है। इसकी कमी की वजह से फैक्ट्रियां नहीं चल पा रही हैं। प्रदेश में सीमेन्ट का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। मैं एक ही पाइंट टच नहीं कर पाया हूं, उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जो कुछ भी हम को मिल रहा है, उसके वितरण करने का अधिकार सरकार के पास है। क्यों नहीं अच्छी तरह से वितरण होता है। आप लोगों की यह मान्यता है। नये मंत्री जी सक्षम हैं, प्रभाकर जी अच्छी तरह से वितरण इसलिये नहीं कर पाये थे कि उनका सैक्रेटरी नाकारा था। उनके आदेश की अवहेलना वह करता था। अब चन्दनमल जी बैद ने यह विभाग ले लिया है। उनके सैक्रेटरी बहुत योग्य हैं। जो फूड एण्ड सिविल सप्लाई का मामला है वह साधारण जनता से जुड़ा हुआ मामला है इसलिये इसकी व्यवस्था अच्छी तरह से करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो मंत्री जी सिंचाई विभाग में बैठे हुए हैं, वे मंत्री महोदय बहुत एक्टिव हैं परन्तु मैं उन पर यह आरोप लगाता हूं कि मेरे क्षेत्र में एक सिंचाई योजना है। उसके लिये यह मापदण्ड है, जिस योजना का बी. एस. आर. का रेशो 1:2 का हो वह तुरन्त खोल दी जाती है। मेरे क्षेत्र में एक सिंचाई योजना है जिसका रेश्यो 1:9 है परन्तु उसका कुछ नहीं किया गया है। कहते हैं कि हम कार्यकुशल हैं, तो यह क्या है? मेरा आरोप है कि अगर आप सिंचाई मंत्री जी, कार्य कुशल हैं तो इसको पूरा करिये। यह आपको चुनौती है। आप इन समस्याओं से लड़िये, जूझिये। हमारा सहयोग चाहेंगे तो हम आपको देंगे, यह मेरा निवेदन है। यह जो शासन की पकड़ ढीली हो गई है उसको मजबूत करिये, प्रदेश को आगे बढ़ाइये और इसमें जो बाधाएं हैं, उनको दूर करिये।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री जी जवाब देंगे।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मंत्री, वित्त) : श्रीमन्, मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं, खास तौर से बिजली के बारे में एक तारीख को सदन में बहस होगी तब इस पर विस्तृत चर्चा होगी। विपक्ष को भी अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलेगा और हमें भी सरकारी पक्ष की ओर से भी कहने का पूरा मौका मिलेगा। सरकार भी इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करेगी। वैसे इस अवसर पर मैं यह कहना चाहता हूं कि बिजली की उपलब्धि में प्रदेश को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इस साल सारे हिन्दुस्तान के अन्दर और खास तौर से पंजाब में बारिश कम हुई, गांधीसागर कैचमेन्ट एरिया में बारिश नहीं हुई और अणु बिजली घर में भी कुछ कमियां रहीं। मैं मानता हूं कि इससे हमारे उद्योगों के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ा है। हमारे यहां पर बिजली का उत्पादन कम हुआ है और इससे काश्तकारों और उद्योगों को हानि उठानी पड़ी है। इन सब तकलीफों के बावजूद इन एडवर्स सरकमस्टान्सेज के अन्दर प्रदेश की सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखकर जहां कहीं भी बिजली काटनी पड़ी है, बिजली काट कर के किसानों को मिनिमम सप्लाई बिजली की देने की कोशिश की है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, सदन को वह चार्ट दूंगा, इन्हीं दिनों में समीपवर्ती राज्य पंजाब, हरियाणा में बिजली की क्या स्थिति रही है? यह स्थिति होते हुए, इन सब कठिनाईयों के बाद भी सरकार ने इस कठिनाई पर काबू पाने की कोशिश की है।

माननीय सदस्य ने सरकार का ध्यान मसानी योजना की तरफ दिलाया है मैं उनका आभारी हूं। हम इस मामले को ठीक रूप से देखेंगे, मैं आपके माध्यम से सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान को किसी प्रकार की हानि न हो, राजस्थान के रहने वालों को, खास तौर से अलवर जिले के रहने वाले किसानों को नुकसान न हो, इस बात के लिए हम कदम उठायेंगे……

(व्यवधान)

और इस बात की पूरी व्यवस्था करूंगा कि राजस्थान के हितों के ऊपर कुठाराघात न हो।

मैंने पूर्व के अन्दर अपनी बात विस्तार से कही राजनैतिक चर्चा कुछ माननीय सदस्यों ने की इसलिए मुझे मजबूर होकर राजनैतिक स्तर पर उतर कर जवाब देना पड़ा। यही बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि इसको पारित करें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1981 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1981 पारित किया गया।

अब सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक 30 मार्च, 1981 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 7.00 बजे सोमवार दिनांक 30 मार्च, 1981 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)